राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 05] पन्द्रहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या: 03

सोमवार,

24 अगस्त 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

ईश्वर लाल सैनी, श्री, पूर्व उप मंत्री

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री ईश्वर लाल सैनी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य एवं राजस्थान सरकार के पूर्व उप मंत्री श्री ईश्वर लाल सैनी का जन्म 25 अक्टूबर, 1935 को अलवर में हुआ। आपने महाराजा कॉलेज, जयपुर से राजनीति शास्त्र में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री ईश्वर लाल सैनी सातवीं, आठवीं और नौवीं विधान सभा में लगातार तीन बार अलवर के लक्ष्मणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1981 में श्री जगन्नाथ पहाड़िया के मंत्रिमण्डल में शिक्षा विभाग के उप मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, जनलेखा समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप विधि एवं न्याय, चुनाव, श्रम तथा संसदीय मामलात विभागों संबंधी संसदीय परामर्शदात्री समिति 1982-85 तथा खाद्य एवं आपूर्ति, देवस्थान, दुग्ध विकास विभागों संबंधी संसदीय परामर्शदात्री समिति, 1991-92 के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री सैनी वर्ष 1961 से 1970 तक नगर परिषद, अलवर की विभिन्न समितियों के चेयरमैन रहे। आप वर्ष 1970 से 1974 तक नगर परिषद्, अलवर के अध्यक्ष भी रहे। अलवर जिला कांग्रेस

(श्री अध्यक्ष)

(आई) कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे श्री सैनी ने वर्ष 1978 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के समय जेल भरो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल यात्रा की।

श्री सैनी जीवनपर्यन्त दलितों एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्पित रहे। विख्यात धावक रहे श्री सैनी की खेलों में विशेष रुचि रही। आप राजऋषि कॉलेज अलवर तथा महाराजा कॉलेज जयपुर की फुटबाल एवं हॉकी टीम के कप्तान रहे। आप जिला हॉकी एसोसिएशन, अलवर के अध्यक्ष भी रहे।

श्री ईश्वर लाल सैनी का दिनांक 22 अगस्त, 2020 को देर रात्रि में निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 18)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के अठारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2020 को माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई। समिति ने सोमवार, दिनांक 24 अगस्त, 2020 को अग्रेतर कार्यों को सदन में लिये जाने का निर्णय लिया।

(डा. महेश जोशी)

सोमवार, दिनांक 24 अगस्त, 2020	1. राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 पर विचार एवं पारण। 2. राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 पर विचार एवं पारण। 3. राजस्थान पुलिस (संशोधक) विधेयक, 2020 पर विचार एवं पारण। 4. राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 5. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के अठारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन पारित किया गया।

श्री हरीश चौधरी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा है। (व्यवधान) किसी पर भी बहस नहीं, बिजली पर बहस नहीं, यह +++ मत करो ...(व्यवधान) लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में क्या मजाक हो रहा है? (व्यवधान) इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

राजस्व विभाग

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की ...(व्यवधान) पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री हरीश चौधरी)

(1) अधिसूचना संख्या: प. 10(3)राज-6/2001/41 दिनांक 29.06.2020 जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: प.6(30)राज-6/2000/44 दिनांक 17.07.2020 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व (गौशाला हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: प.9(77)राज-6/2007/45 दिनांक 22.07.2020 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व (डेयरी, कुक्कुट एवं सुअर फार्म आबंटन) नियम, 1958 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: प.9(72)राज-6/2019/53 दिनांक 13.08.2020 जिसके द्वारा राजस्थान राजस्व बोर्ड (विधि अधिकारी की नियुक्ति एवं शर्तों) नियम, 1980 में संशोधन किया गया है; एवं

(5) अधिसूचना संख्या: प.9(56)राज-6/2020/57 दिनांक 17.08.2020 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अगर यह आपकी +++ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, यह +++ मत करो। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अनुपूरक कार्य सूची। सोमवार, दिनांक 24 अगस्त, 2020 को विधायी कार्य, पुर:स्थापित किए जाने के विधेयक।

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020, परसादी लाल मीणा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह आपकी +++...(व्यवधान)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, यह एक-एक करके बिलों का तो ढेर लगा रहे हैं लेकिन उन पर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, हम आपके इस निर्णय पर बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो बात तय की थी उसके साथ आज और बिलों को जोड़कर एक तरह से लोकतंत्र के प्रति ...(व्यवधान) जिस जनता ने आपको और मुझे यह विधेयक बनाने के लिए भेजा है ...(व्यवधान) एक-एक दिन में आठ बिल तो पहले से रखे हुए हैं ...(व्यवधान) और आज पांच बिल और रखकर ...(व्यवधान)

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इस +++ के खिलाफ मैं और मेरा दल वाकआउट करते हैं। इस रिपोर्ट के खिलाफ। (व्यवधान)

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री विधेयक पुर:स्थापित करेंगे।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर: स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री हरीश चौधरी।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य, विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक।

राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020,

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कोरोना महामारी के कारण रेवेन्यू में जो लोसेज हुए हैं, उन रेवेन्यू लोसेज को ध्यान में रखते हुए सरकार यह जो संशोधन लेकर आई है यदि इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन पर हम ध्यान दें तो इसमें उल्लेखित किया

(श्रीमती अनिता भदेल)

गया है कि भारत सहित विश्व के कई देशों में कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए समय सीमा के विस्तार सहित कतिपय उपबंधों को शिथिल करने के उद्देश्य से राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में नई धारा 168 (क) अंत:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह नई धारा स्थापित की है लेकिन क्या इस नई धारा की स्थापना मात्र से ही राजस्थान की जीएसटी का जो कलेक्शन है वह हो जाएगा? समय विस्तार कर देने मात्र से हो जाएगा, या हमें उन्हें कुछ और देना होगा, या हमें प्रोत्साहित करना होगा? ऐसा माहौल बनाना होगा कि लॉकडाउन की वजह से जो इंडस्ट्रीज बंद हुई है, जो प्रोडक्शन बंद हुआ है, मजदूर नहीं आ रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में हमें पूरे वातावरण को देखने की जरूरत है। राजस्थान के पूरे सिनेरियो को देखने की जरूरत है। किस तरह से हम श्रमिकों को मोटिवेट करके, किस तरह से उन फैक्ट्रीज को चालू कराएं ताकि हमको रेवेन्यू मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन हो क्या रहा है, इस आफत के समय, इस महामारी के समय भी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज पर विद्युत शुल्क, जो स्थायी शुल्क है, उसको माफ नहीं किया गया है और उन पर डबल पैनल्टी रोपित की गई है। जो पहले से उनकी कमर टूटी हुई थी, वे और ज्यादा परेशान हो गये हैं। ज्यादा प्रोडक्शन को कैसे बढ़ायें, उस ओर सोचने के बजाय जो प्रोडक्शन वे कर सकते हैं, जैसे श्रमिकों को ला करके, जैसे तैसे वे फैक्ट्रियां चालू करवायें, वह प्रोडक्शन वे करें, उसकी ही नौबत अभी नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में समय सीमा हम बढ़ा देंगे या शिथिल कर देंगे कुछ प्रकरणों में तो हमें रेवेन्यू मिल जायेगा? मैं सोचती हूं कि ऐसा विश्वास करना, हम खुद को गलतफहमी में डाल रहे हैं कि उससे रेवेन्यू मिलेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि जितनी परेशानियां आलरेडी हैं, जी.एस.टी. के स्टेट लेवल पर जो हैं, यदि उनको हम ठीक करें, हम मोटिवेट करें और फोर्म्स को भरने की, समझाने की जो प्रक्रियात्मक प्रक्रियाएं हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करें, उनको सरल करने की कोशिश करें तो मैं समझती हूं कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और यह समय के कारण से, आपने जो कहा है कि हम समय बढ़ा देंगे तो हमें जी.एस.टी. का रेवेन्यू मिल जायेगा, मेरे खयाल से यह सही नहीं है इसलिये मैं इसका विरोध करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम?

श्री अध्यक्ष: बात हो गई थी कल। श्री अशोक लाहोटी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई? संशोधन जो मैंने मूव किया ...(व्यवधान) मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: मेरा भी अधिकार है आपसे बात करने के बाद। बैठें आप। श्री अशोक लाहोटी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुझे अधिकार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरा नाम है। संशोधन मूव किया है।

श्री अध्यक्ष: हां, पता है मुझे। (व्यवधान) हां मुझे पता है। श्री अशोक लाहोटी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्षजी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्षजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह क्या बात हुई अध्यक्ष महोदय, आप 13-13 बिल ले रहे हैं और उसके बाद जो मेरे को संवैधानिक, वैधानिक अधिकार दिया है, नियम और प्रक्रिया में अधिकार दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। श्री अशोक लाहोटी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना तो सुनें आप।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है इसमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुन ली मैंने। माननीय अशोक लाहोटी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, विधान बनाने की सभा में हम खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्लीज। मैं चैम्बर में जो बात हुई है, वह डिस्कस नहीं करता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) नहीं, यह बात नहीं हुई थी, अध्यक्ष महोदय। नो, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी। It will not be recorded. ...(व्यवधान) It will not be allowed.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी, बोलना है आपको? (व्यवधान) बोलना है आपको अशोक लाहोटी?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं बोल रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: बोलिये फिर आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हाउस आर्डर में लाइये, तभी बोल पाऊंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलिये आप अपनी बात।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री अध्यक्ष: आपको बोलना है, अशोक लाहोटी?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जैसे ही हाउस आर्डर में आयेगा।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आपका काम नहीं है। आप बोलिये, आपको बोलना है तो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हाउस आर्डर में आये न।

श्री अध्यक्ष: नहीं बोलना है, प्लीज बैठें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हाउस आर्डर में तो आये न, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: यदि नहीं बोलना है तो खतम करिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

जो पक्ष में हों, हां कहें। दोबारा सुन लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: दोबारा सुन लें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 एवं 3-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, थर्ड रीडिंग पर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां, हां, अब आयेगा थर्ड रीडिंग।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठे रहेंगे तो अलाउ करूंगा, बाकी अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) थर्ड स्टेज पर है। बात हो चुकी है पहले भी। जब पहले ही बात हो चुकी है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दोबारा पढ़ूं, साहब?

श्री अध्यक्ष: हां, पढ़िये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, विधान बनाने वाली सभा के अन्दर जिस प्रकार आज विधान बनाने की कार्यवाही हो रही है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह अंकित नहीं होगा। आप अपने सब्जैक्ट पर बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: I said, please speak only on subject.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: आप आज गुस्से में नहीं हैं, इसलिये मैं क्षुब्ध हूं। (व्यवधान) नहीं, आपका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। मैं खड़ा हूं, फिर भी आप खड़े हुए हैं। आपका अधिकार है। आप थर्ड रीडिंग पर बोल रहे हैं। आपको थर्ड रीडिंग में सब्जैक्ट पर ही बोलना है। नमस्कार। बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पिटिशन खारिज होने से दु:खी हैं। हाई कोर्ट के अन्दर पिटिशन खारिज हो गई है।

एक माननीय सदस्य: आपको अधिकार नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर चर्चा हो रही है। इस संशोधन के माध्यम से सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई है। राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के सैक्शन-दो के खण्ड (ग) और (घ) के अन्दर जो परिभाषा थी, जिसके अन्दर संघ, राज्य क्षेत्र परिभाषित किये गये थे, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और दादरा और नगर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हवेली तथा दमन दीव संघ राज्य क्षेत्र विलीन अधिनियम, 2019 के अनुसार इन्हें पुन: परिभाषित किया है।

अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की राजनीति के अन्दर बहुत वर्षों से यह मांग थी कि जम्मू और कश्मीर, जो हमारा मुकुट है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पाइंट आफ आर्डर, सर। यह तृतीय संशोधन नहीं है। यह द्वितीय संशोधन है। कृपया उस पर बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): द्वितीय संशोधन ही बोला है मैंने।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह जम्मू-कश्मीर वाला मामला तीसरे पर आयेगा। आप गलत-सलत किताब पढ़ रहे हैं। आपको ज्ञान ही नहीं है। आप यही नहीं देख रहे हो कि आप किस पर बोल रहे हो, किस पर नहीं बोल रहे हो, और बातें ठोके जा रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हाई-कोर्ट में रिट खारिज होने से थोड़ा डिप्रेशन में हैं। धारीवाल साहब, हाई-कोर्ट में पिटिशन खारिज हो गई, उससे थोड़ा ये डिप्रेशन में हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ये जो संशोधन लेकर आये हैं, उसके अन्दर सैक्शन-10 (2) (ख) और (ग) के अन्दर, जो जी.एस.टी. चुकाने का विकल्प है, इनपुट टैक्स रिबेट लेने का विकल्प है, इसके अन्दर प्रोविजिनल एक संशोधन लेकर सरकार आई है, उसके अलावा जो दूसरा संशोधन सैक्शन 29 (1) (सी) में लेकर आये हैं, उसमें जिस व्यवहारी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और किसी कारण से जी.एस.टी. के दायरे से बाहर चला गया, अपने व्यापार को बंद करने लग गया, तो वह अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकता है। मंत्री महोदय, अगर मैं गलत नहीं तो सैक्शन 30 (6) के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, फिर गलत कर रहे हैं। आप तृतीय का पढ़ रहे हैं, यह द्वितीय का नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आप विराजिये। राजेन्द्रजी, राजेन्द्रजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप फिर तृतीय संशोधन का पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेहरबानी करके, आज आप संतुलित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आज आपको टेंशन है। आप तनाव में हैं इसलिये विराज जाएं।

श्री अध्यक्ष: मैं समझता हूं, माननीय सदस्य ने दूसरे बिल पर अच्छी तैयारी की है। उस बिल पर आप बोलना। मैं समझता हूं कि इस ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैंने जब इसकी बात की, 168 (ए) की, तब मंत्री महोदय ने मुझे भ्रमित कर दिया। मैं पुन: अपनी बात पर लौट रहा हूं।

मैं समझता हूं कि यह 168 (ए) के अन्दर आपने नई धारा इन्सर्ट की है, उसके पीछे आपकी मंशा एक ही है कि कोविड महामारी के प्रसार को देखते हुए जी.एस.टी. का कलेक्शन जो नहीं हो सका, उसके कलेक्शन के लिये आप समयावधि बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस हिन्दुस्तान के टैक्स स्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन तब हो गया था जब 'वन नेशन-वन टैक्स', 'एक देश-एक बाजार' की अवधारणा पर जी.एस.टी. इंट्रोड्यूस हुई थी, और जितने भी हमारे डाइरेक्ट टैक्सेज हैं, वे सारे के सारे जी.एस.टी. के अम्ब्रेला के नीचे आ गये।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का जो ओन टैक्स रेवेन्यू है, उसमें जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी., ये तीन मेन कम्पोनेंट हैं। जिस प्रकार कोरोना की वैश्विक महामारी है, निश्चित तौर पर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को इसने झकझोर कर रख दिया और जो जी.एस.टी. का कम्पनसेशन है, जब वैट समाप्त हुआ था, उसमें तय हुआ था कि हर वर्ष 14 परसेंट की बढ़ोतरी के साथ इस कम्पनसेशन को केन्द्र सरकार देगी और इसी क्षतिपूर्ति उप कर के अन्दर मार्च, 2019 तक 1,65,000 का भुगतान केन्द्र सरकार ने किया। जबकि उनके पास इस कोरोना की छाया के कारण 95,444 करोड़ रुपये ही आये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अभी आई.एम.एफ. ने भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा की थी और कहा था कि चार दशक के अंदर सबसे बड़ी गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था में आई है और भारतीय अर्थव्यवस्था में आई, इसका अर्थ यह हुआ कि जी.एस.टी. का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन में निश्चित तौर पर कमी आई और जो रेटिंग एजेंसी मूडीज है, उसने तो यहां तक कह दिया कि इस बार जो जी.डी.पी. है, उसकी वृद्धि शून्य पर आ टिकेगी। ए.डी.बी. ने इसी प्रकार अपने सर्वेक्षण में 3.1 परसेंट पर हिन्दुस्तान की जी.डी.पी. की बात कही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण राजस्थान के अंदर जो बिल मंत्रीजी, आप लेकर आये हैं, आप यह बतायें क्या यह सही है कि 01 अप्रैल, 2020 को वित्त मंत्री के रूप में मुख्य मंत्रीजी ने यह कहकर कि राजस्थान का मार्च के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जिसमें जी.एस.टी. का कम्पोनेंट सबसे बड़ा है, एस.जी.एस.टी. का कम्पोनेंट सबसे बड़ा है, उसके अंदर 17 हजार करोड़ रुपये की कमी एक महीने के अंदर आई। आपने बड़ी कृपा की। आपने हमारे सारे मंत्रीगण, एम.एल.ए. सबके वेतन के अंदर 70 परसेंट ग्रोस सैलेरी के अंदर कटौती की। आपने आई.ए.एस. अधिकारियों के 50 परसेंट वेतन के ग्रोस में कटौती की। आपने आर.ए.एस. और अलाइड्स के कार्मिकों की सैलेरी में 30 परसेंट की कटौती की। पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके साथ ही पूरे जी.एस.टी. के कलेक्शन की जो कमी आ रही है, उस पर पूरे राजस्थान की अर्थव्यवस्था और जी.एस.टी. का कलेक्शन वापस ठीक हो, इसके लिए आपने एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जी.एस.टी. का बिल आप लेकर आये हैं। आपने हाई-पावर कमेटी बना दी। उस हाई-पावर कमेटी की रिपोर्ट आप सदन में बतायें कि उसका आकलन क्या है, जी.एस.टी. के कलेक्शन में कितनी कमी आ रही है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक महीने के अंदर 17 हजार करोड़ रुपये की कमी बताई। आज पांच महीने में राजस्थान का रेवेन्यू कहां पहुंच गया, आप यह बतायें। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस बार जो आपका एनुअल प्लान था, जिसको हम योजनागत व्यय कहते हैं, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ब्रीफली। आप जनरल न कहें। आप सीनियर आदमी हैं।

(श्री अध्यक्ष)

यह एक सिम्पल है। Be confined to this only, यह जो अमेंडमेंट किया है, उसका एक लिमिटेड परपज है, उस पर बोलें। सारी जनरल डिबेट तो इस पर है नहीं। बाकी इसका अंत तो नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप नहीं बोलना देना चाहें तो मैं बैठ जाऊंगा, पर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please don't blame me. मेरी ड्यूटी है to bring it to your notice, सब्जैक्ट के अंदर बोलें। यह मेरी ड्यूटी है, अनप्लेजेंट ड्यूटी है, this is my unpleasant duty which I am performing here, यह मेरी अनप्लेजेंट ड्यूटी है कि जो सब्जैक्ट है, उस सब्जैक्ट के अंतर्गत ही आप चर्चा करें। सब्जैक्ट में चर्चा सिम्पल है कि इसके अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है कि क्या यह रिट्रोस्पेक्टिव डेट से इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसीलिए है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: इतना ही सिम्पल है। उतना क्या हुआ? फलाना हुआ, यह सारी जनरल डिबेट के अंतर्गत है। जब बजट पर आये तब बात करें। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप सीनियर आदमी हैं। प्लीज, पहले आप तीसरे पर आ गये, फिर सैकण्ड पर आ गये। आप कष्ट करके जो इसका लिमिटेड परपज है, उसको हाईलाइट करें, which is more important rather than discussing entire thing. आई.एम.एफ. में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, यह सब बिल से रेलेवेंट नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल सही फरमाया है। मैं समझता हूं कि आप जैसा ज्ञानी, वित्त विशेषज्ञ दूसरा कोई है नहीं।

श्री अध्यक्ष: मैं ज्ञानी हूं या नहीं हूं पर अनप्लेजेंट ड्यूटी मुझे करनी पड़ेगी। अनप्लेजेंट ड्यूटी करनी पड़ेगी, आप अपने ज्ञान को सीमित रखें। इस बिल में लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप इतना ही है कि केवल इस बिल के संबंध में आप अपनी बात कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कितनी ही मेज थपथपाये, पूरा सदन जानता है कि जितना आज्ञाकारी आसन का मैं हूं, शायद कोई दूसरा नहीं होगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए जो 168A के अंदर नया इन्होंने इन्सर्ट किया है, उसके जो इम्पैक्ट आएंगे क्योंकि यह जी.एस.टी. कलेक्शन के अंदर शिथिलता देता है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण से जो कलेक्शन नहीं हो पाया, उसको कलेक्ट करने का, तो इसका इम्पैक्ट राजस्थान के अंदर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरी बात प्रारंभ करते हुए निवेदन किया कि सारे डाइरेक्ट टैक्सेज एक अम्ब्रेला के नीचे आ गये। जी.एस.टी., आई.जी.एस.टी. और सेंट्रल गवर्नमेंट की जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी., इनके आधार पर यह सारी जी.एस.टी. का कलेक्शन हो गया और इसी आधार पर मैंने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सिर्फ आप ही समझ सकते हो। ये थके हुए सेनापति हैं लड़खड़ाई सरकार के, लड़खड़ाई सरकार के ये थके हुए सेनापति शायद इस बात को नहीं समझेंगे ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आज आप कुछ भी कह सकते हो, आपका मानसिक संतुलन जरा थोड़ा-सा, हम बुरा नहीं मानेंगे, आप कुछ भी कहो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह बीच-बीच में आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप विराजे रहो न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस तरफ देखें आप, आप बोलें। आप आसन की तरफ देखकर बोलें। मेरी तरफ देखकर बोलें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस खूंखार नजरों से स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे देखा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने महसूस किया होगा कि मैं कांपने लगा। पर यह मत समझो, मैं वह ही हूं इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह जी.एस.टी. का प्रभाव जो हमारे एनुअल प्लान पर पड़ेगा, आप यह बता दो कि 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का एनुअल प्लान आप कैसे पूरा करोगे? जी.एस.टी. का ड्रिप हो गया, जी.एस.टी. में शिथिलता आप लेकर आ रहे हो 168A में, तो 17 हजार करोड़ रुपये एक महीने में चले गये तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आप कितने हमारे जो योजनागत व्यय हैं उनमें कटौती करोगे, आपकी घोषणाएं कैसे पूरी होंगी?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, मैं सरकार से यह चाहता हूं कि सरकार को रिवाइज्ड बजट लेकर आना चाहिए क्योंकि जी.एस.टी. का कलेक्शन आपका ही नहीं, इस हिन्दुस्तान के हर स्टेट का जी.एस.टी. का कलेक्शन कम हुआ है इसलिए आपकी बजटीय घोषणा पूरी नहीं हो सकेगी। आज आप पर वेतन का भार है 62 हजार 21 करोड़ रुपये, यह वेतन भी वह समय आ जाएगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सरकार वेतन भी नहीं चुका पाएगी और इस जी.एस.टी. के कारण से, गिरती हुई जी.एस.टी. के कारण से, इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण से देश के प्रधान मंत्रीजी ने पूरे राज्य के अंदर राजस्थान को भी अर्थव्यवस्था को सम्बल देने के लिए एफ.आर.बी.एम. एक्ट में जो जी.एस.डी.पी. का 3 परसेंट था, उसको बढ़ाकर 5 परसेंट किया और 3.5 परसेंट तो बिना शर्तों के करने का कह दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी, आपने जो कमेटी बनाई, आपने जो उच्च स्तरीय समिति बनाई, उसकी रिपोर्ट कहां है और आपका जी.एस.टी. के अंदर जो कलेक्शन ड्रिप हुआ है, आप 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं को कैसे पूरा करेंगे? आप योजना की कटौती करेंगे तो विकास के काम कौन-कौनसे बंद करेंगे? आपने फेयरमोंट और सूर्यागढ़ के अंदर जो रेवड़ियां बांटीं, उनको आप कैसे पूरा करेंगे, आप यह बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, थर्ड रीडिंग के अंदर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। यह ठीक रहेगा कि अब आप बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप नाराज हों तो हों, पर यक्ष प्रश्न यह है कि आज विधान सभा के अंदर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नाराज नहीं। I am on leg, प्लीज बैठें। I am on leg. बैठें आप नीचे। आप नीचे बैठें। I am on leg.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: मैं आपका ध्यान रूल 36 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप सीनियर आदमी हैं और डिबेट को यदि इस तरह से करेंगे तो नए आदमियों पर सही डाइरेक्शन नहीं होगा। 36 पढ़ लेता हूं मैं -

(श्री अध्यक्ष)

"Scope of debate - The discussion on a motion that the Bill or the Bill as amended as the case may be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for rejection of the Bill."

इसका मतलब यह थोड़े है कि आई.एम.एफ. पर शुरू कर दें अपन? "In making his speech, a member shall not refer to the details of the Bill further" मैं फिर दोबारा पढ़ रहा हूं, In making his speech, a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character. Please understand it. इतना ही स्कोप है इसलिए आप अपना वाइंड-अप करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह सही बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जैसा व्यक्ति जीवन में कभी स्कोप से बाहर गया ही नहीं इसलिए स्कोप से बाहर जाने की न मेरी तमन्ना है। हां, स्कोप से बाहर कुछ लोग चले गये थे, फिर वापस उनका स्कोप बदल गया, आस्थाएं बदल गईं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इन हालात के अंदर जो सरकार अमेंडमेंट लेकर आई है, यह फौरी तौर पर बात नहीं है। 168A के अमेंडमेंट के बाद आपके पास रोडमैप क्या है? राजस्थान के अंदर जी.एस.टी. का कितना कलेक्शन बकाया था वैश्विक महामारी कोरोना के कारण से, यह आप सदन को बतायें। उसका आप किस तरह से कलेक्शन करेंगे और आज आपकी जो स्थिति बनी हुई है आर्थिक तौर पर, उसको किस प्रकार से सुदृढ़ करेंगे? आपकी हाई-पावर कमेटी की रिपोर्ट, उस कमेटी की मीटिंग भी, यह दुर्भाग्य है कि आप घोषणा कर देते हैं, पर एक मीटिंग भी आप कर नहीं पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मेरी वाणी को एक तरह से नियंत्रण में ही नहीं, भयभीत कर दिया इसलिए मैं मेरी बात को, आधी बात को समाप्त करता हूं और आगे आप मुझे कभी मौका देंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे कहीं पर भी मौका दे देना, चैम्बर में ही दे देना, आपको बात सुनाऊंगा जरूर।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस कोरोना महामारी के कारण से सम्पूर्ण देश और देश के सभी राज्यों को अपने कलेक्शन में काफी घाटा हुआ है। जितना कलेक्शन उन्होंने सोचा था, उतना उनको रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ। केन्द्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। केन्द्र सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा रेवेन्यू काफी कम कलेक्ट हुआ, इस रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिये उन्होंने 168 (क) जो जोड़ा है, उसके पीछे उनका मन्तव्य यही था कि जो कलेक्शन की समय सीमा थी, उस कलेक्शन की समय सीमा को बढ़ा दिया जाए, जिसके कारण से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जा सके। मैं सोचता हूं कि इसमें जो मंशा थी, वह यही थी कि केन्द्र सरकार ने माल और सेवा कर यानी यह जो जी.एस.टी. 2017 के अध्यादेश दिनांक 31.03.2020 के जरिये जोड़ी गयी धारा 168 (ए) को राजस्थान माल सेवा कर कानून में भी जोड़ा जा रहा है, जो वहां जोड़ा था, सेम राजस्थान भी उसको रिपीट करके अपने कलेक्शन की समयावधि में जो कमी हुई है, इसको पूरा करने के लिये उसी धारा के तहत प्रयत्न रहा है।

लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जो देश का कम कलेक्शन हुआ, उसके बाद भी अप्रैल में जी.एस.टी. के अंगेस्ट सम्पूर्ण राज्यों को मिलने वाला जो पैसा था, वह 42 हजार करोड़ रुपया, सबको अपने शेयर के अनुसार जारी कर दिया और उसके बाद मई में भी विभिन्न राज्यों के कलेक्शन में जो कमी-बेशी रही, उसके तहत भी 12 हजार करोड़ रुपया आपको अतिरिक्त जारी कर दिया तो केन्द्र सरकार से जो आपका हिस्सा तय था, वह हिस्सा आपको मिल गया है। इस धारा के माध्यम से 168 (क) के तहत अपरिहार्य घटना यानी युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, अग्नि, भूकम्प आदि आपदाओं की स्थिति में विशेष परिस्थिति मानते हुए उन कार्यवाहियों के संबंध में, जिनकी अनुपालना संभव नहीं हो, इस कानून के तहत सरकार को समय सीमा विस्तारित करने की शक्ति प्रदान की गयी है।

मैं सोचता हूं केन्द्र सरकार ने अपने कलेक्शन को पूरा करने के लिये इस धारा में जो अमेंडमेंट किया, सेम उसी को हम यहां कर रहे हैं इस मंशा से कि हमारा भी जो कलेक्शन इस समय में कम हुआ है, कलेक्शन करने के लिये जो समयावधि हमारे पास निर्धारित थी, उस समयावधि को हम और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बढ़ाकर उसकी पूर्ति करने का प्रयास करें। मैं सोचता हूं यह अमेंडमेंट इसी सीमा तक सीमित है।

मैं आपसे यही चाह रहा हूं कि जैसे केन्द्र सरकार ने, अभी आपने एक डिमाण्ड खड़ी की थी अपने द्वारा, कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत हमको मैक्सिमम तीन परसेंट लोन लेने का अधिकार था, उस अधिकार को राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सबसे पहले इस बात को उठाया कि इसको हमको पांच परसेंट कर दिया जाए, जिसके कारण से हमें लोन लेने की अपनी सीमा को बढ़ाकर इस आपदा के समय में अपने प्रदेश के कामों को आगे बढ़ाने के लिये हमको एक राहत मिल जाएगी। मैं सोचता हूं केन्द्र सरकार ने आपको वह राहत भी दे दी। आपको ही नहीं, सम्पूर्ण देश को राहत दे दी कि आप पांच परसेंट तक ले सकते हैं, लेना या न लेना, यह राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा। मैं सोचता हूं कि जो मांग आपकी थी, उसको केन्द्र सरकार ने माना और जो शेयर आपका था, उसको उन्होंने जारी कर दिया, जो भी आपका था। जो कमी-बेशी रही, आपका जी.एस.टी. में जो कुछ नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई, जैसा आपने जी.एस.टी. एक्ट में समझौता किया था, उसके तहत उन्होंने मई में 12 हजार करोड़ रुपया सम्पूर्ण देश को जारी कर दिया। उसमें हमारे राज्य का जो शेयर था, वह भी हमको मिल गया है।

मैं सोचता हूं इसके तहत हमको अपने कलेक्शन में जो कमी हुई है उस कलेक्शन को बढ़ाने के लिये आप इस धारा में अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। कृपा करके इसकी पालना करते हुए अपना जो कलेक्शन कम हुआ, ताकि हमारे स्टेट की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जिसके कारण से सफर कर रही है या जिस प्रकार से लोगों को सहायता जारी की, वह सहायता जा नहीं पा रही है, उसकी पूर्ति करने के लिये यह अमेंडमेंट आप लेकर आये हैं, इस अमेंडमेंट के अनुसार कार्यवाही करना भी आवश्यक है। केवल अमेंडमेंट लेकर बैठ गये तो इससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। इस अमेंडमेंट का उपयोग करते हुए अपने राज्य की आमदनी को कैसे बढ़ाकर चलने वाले कामों में जो अवरूद्धता आयी है, उस अवरूद्धता को आप कैसे रोक सकें, उसका अगर आप प्रयोग करोगे तब तो अमेंडमेंट लाना और यह परपज जो केन्द्र ने किया और आप जो कर रहे हो, उसका सही परिणाम तभी आ पाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। बैठें प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बोलना है तो खड़े हो जाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी के बोलने के बाद बोलेंगे, फिर तो आप यह गलत परम्परा डाल रहे हैं। थर्ड रीडिंग में आप आखिरी बोलें तो ज्यादा बैटर रहेगा। फिर किसी का बोलना ठीक नहीं रहेगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैंने पहले से संशोधन तो दे रखा था।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के द्वारा जी.एस.टी. एक्ट में संशोधन किया गया है और उसी के अनुरूप राज्य सरकार यह संशोधन लेकर आयी है। कोविड-19 महामारी फैलने के बाद यह महसूस किया गया कि अधिनियम, 2017 में जो कुछ प्रोविजंस थे, उनको वह निर्धारित समयावधि में पालना करने में कठिनाई हो रही थी इसीलिए इसका वक्त बढ़ाया गया। इनकी परेशानियों को दूर करने के लिये समुचित कानूनी प्रावधान करना जरूरी था। विशेष परिस्थितियों में जैसे युद्ध है, बाढ़ है, महामारी है, भूकम्प है, आदि में अधिसूचित समय सीमा बढ़ाने की शक्तियां राज्य सरकार को दी गयी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने फरमाया कि अमेंडमेंट ला रहे हो तो फिर अमेंडमेंट के अनुसार काम भी करना है। तो फिर लाये काहे के लिये हैं अमेंडमेंट? काम करने के लिये तो अमेंडमेंट लाये हैं।

दूसरी बात, जैसा अनिता जी ने कहा कि क्या 168(क) जोड़ने से जी.एस.टी. की रेवेन्यू बढ़ जाएगी? यह तो भारत सरकार देखेगी। भारत सरकार ने कहा कि एक्ट में परिवर्तन करो। बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी, यह तो आगे की स्थितियां बताएंगी। यह संशोधन भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, उसके फलस्वरूप हम लाए हैं। चूंकि केन्द्र सरकार ने 2017, जो जल्दी-जल्दी में पास करवाया था, जल्दी-जल्दी में पारित करवाया था, उसमें कई खामियां छोड़ दी थीं इसलिए ही यह संशोधन लाये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया जी.एस.टी. एक्ट डिफेक्टिव था और डिफेक्टिव होने के कारण ही आज बार-बार संशोधन लाया जा रहा है। आप देखें भारत के संविधान को बने हुए 70 साल हो गये, 70 साल में सिर्फ 104 बार संशोधन हुआ है लेकिन जी.एस.टी. एक्ट जो 2107 में बना था, उसमें

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

471 संशोधन हो चुके हैं। इतना डिफेक्टिव एक्ट ले आये आप। (व्यवधान) मुझे बोलने तो दो, साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपका भी यह स्कोप है क्या? पूरा जी.एस.टी. का विश्लेषण करना आपका स्कोप है क्या इसके तहत?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फिर आपने पूछा ही काहे को कि अमेंडमेंट ला रहे हो तो क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? आप इससे आगे ही क्यों बढ़े? यह क्या बात हुई?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): किसके आगे बढ़े?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यहां कानून लाते हैं, काहे के लिये लाते हैं? उसकी पालना करवायें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जोर से बोलने से कोई गलत चीज सही नहीं हो जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। माननीय कटारिया जी, न तो यह बोल रहे हैं, न यह बोल रहे हैं। यह तो मेरा काम है, स्कोप के बारे में मंत्रीजी को मत पूछो, मुझे पूछ लेते तो अच्छा रहता। मंत्री से डायरेक्ट पूछना ठीक नहीं है। मंत्रीजी, आप वाइंड-अप करें प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको हमेशा शिकायत रहती है कि मैं जोर से बोलता हूं। मेरी आवाज जोर से है। मैं आपका पूरा आदर करता हूं। आप इस बात को समझते ही नहीं हो कि मैं आपका कितना आदर करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): करदाताओं को राहत पहुंचाने के लिये स्टेट्यूटरी कम्प्लायंस तथा नोटिस की अनुपालना और जवाब प्रस्तुत करने की अवधि, अपील फाइल करने की आदि के समय को बढ़ाकर 31 अगस्त, 2020 किया गया है। 20 मार्च, 2020 से 15 अप्रैल, 2020 के मध्य में जारी किये गये बिलों की वैधता अवधि 31 मई, 2020 तक बढ़ायी गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनिता जी ने जो बात कही थी, उसको मैंने निवेदन कर दिया। राठौड़ साहब बोले कि

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

'वन टैक्स, वन नेशन' यह 'वन टैक्स, वन नेशन' है साहब। इसमें 5 परसेंट भी है, 12 परसेंट भी है, 18 परसेंट भी है और 28 परसेंट भी है। 'वन टैक्स' 5, 12, 18 और 28, दूसरी बात, 'वन नेशन' इसमें क्या है? वैट अलग है, पैट्रोल-डीजल अलग है, एक्साइज ड्यूटी अलग है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, वाइंड-अप करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि न तो यह वन टैक्स है और न ही वन नेशन की थ्योरी पर काम करता है। राजस्थान की जी.एस.टी. का जो टोटल रेवेन्यू आता है, जी.एस.टी. का नहीं, टोटल जो राजस्थान का रेवेन्यू आता है, उसका जी.एस.टी. का 33 प्रतिशत आता है और कटारिया साहब कह रहे हैं कि, साहब, हमने 12 हजार करोड़ रुपया दे दिया था और सब जगह बंट गया। ये बंट गया, बंट गया, आप तो हमें ये दिलवा दो, 6980 करोड़ 54 लाख रुपया आज भी हमारा बकाया है, जो केन्द्र सरकार नहीं दे रही है। मैं आपको जुलाई तक का फिगर बता रहा हूं, 2017 से लेकर के अभी तक का 6980, ये दिलवा दो, हम तो आपका बहुत बड़ा योगदान मान लेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: कि पारित किया जाए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, इसको पारित किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, हम विद्वान मंत्री जी को सुनना चाहते हैं। साहब, पूरा बोलने दो न, हम एक-एक चीज लिख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: फिर मैं आपको टोकता क्यों? इनको सुनने देता तो आपको टोकता क्यों फिर मैं? (व्यवधान) मेरे मित्र तो सभी हैं, आपको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब आयेगा तृतीय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल। (व्यवधान) जनमत पर ही बोल रहे हैं वे भी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 में जो संशोधन किया है, जिसमें कोविड-19 के प्रभाव के कारण समय सीमा का विस्तार करने का विधेयक लेकर आयी है, यह अच्छी बात है। काश सरकार किसान और गरीब विद्युत उपभोक्ताओं के प्रति गम्भीर होती, अगर सरकार छह माह का बिल माफ करती, साथ में ही बकाया के नाम पर किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, आज पूरा सदन बैठा है, किसानों के कनेक्शन काटना बंद किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बिल पर बोलें, बिल पर नहीं बोलें तो आराम से बैठें। प्लीज, बैठें आप, उस पर बोलना फिर। माननीय अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी ने इस

(श्री अशोक लाहोटी)

सदन में कई बिल रखने का एक रिकार्ड प्रस्तुत कर दिया और मंत्री जी, ये जीएसटी और वैट से सम्बन्धित जो भी संशोधन आप लाये हैं वह केन्द्र सरकार के द्‌वारा किये गये संशोधनों को राज्य में लागू करने की दिशा में आप लाये हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि जब बिल जीएसटी का था, बिल वैट का इनसे सम्बन्धित था, टैक्स कलेक्शन से सम्बन्धित था तो इसमें जो चीज राजस्थान की पैंडिंग पड़ी थी वो इस बिल में साथ में जोड़ी जा सकती थी।

अध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि 30 जून, 2017 को ही जब जीएसटी लागू हो गया था उस समय राजस्थान में वैट से सम्बन्धित बहुत सारे मुद्‌दे पैंडिंग चल रहे थे और आज तीन साल बाद भी लोग न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहला निवेदन करूंगा रिफंड का विषय। यदि इन बिलों से, उससे सम्बन्धित जो बिल थे उसमें यदि इन व्यापारियों की ये बातें भी जुड़ जातीं तो राजस्थान के व्यापारियों का इस कोरोना काल में बहुत भला होता। रिफंड के विषय में, अध्यक्ष महोदय, पहले व्यापारियों ने अधिक पैसे जमा करा दिये और उसके बाद वापस रिफंड लेना उनका संवैधानिक अधिकार है। वैट कानून समाप्ति के तीन साल बाद भी लोग डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं, उनको कहीं पर कोई राहत नहीं मिली।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, एमनेस्टी स्कीम जो खुद मंत्री जी ने, खुद मुख्य मंत्री जी ने लगातार दोनों बजट में घोषणा की और वो एमनेस्टी स्कीम आज तक भी इस जीएसटी के बिल में सब इन्तजार कर रहे थे कि आप दो लाइन उसकी भी जोड़कर लाएंगे, जोड़कर नहीं लायी गयी और कानून खतम होने के बाद भी आज भी विवादित मुद्‌दे यथासंभव हैं। जो अभी कम जीएसटी कलैक्ट होने की बात माननीय उप नेता प्रतिपक्ष जी ने आपको बतायी, शायद ये एमनेस्टी स्कीम लाते तो आपका रेवेन्यू सरप्लस हो जाता जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इकट्‌ठा करना था।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इसके साथ ही सर्विस टैक्स का जो मामला केन्द्र सरकार में भी 2017 में हुआ था, वहां पर एमनेस्टी स्कीम एक साल पहले चालू हो गई, रिकवरी का 35 हजार करोड़ का लक्ष्य था, 38 हजार करोड़ रिकवरी हुआ और 1 लाख 89 हजार करदाताओं को अब तक

(श्री अशोक लाहोटी)

उसका फायदा मिल चुका है। तो राजस्थान इससे वंचित रह रहा है, राजस्थान को, लोगों को इसका फायदा मिलता।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, वैट से सम्बन्धित जो और बाकी विषय इनके साथ में थे, व्यापारी माल परचेज करते समय परचेज बिल मिस मैच का जो विषय था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह व्यापारियों का मुद्दा जीएसटी से ही रिलेटेड है और इसके बहाने ही हम नये लोगों को मौका मिलता है, साहब, आपके माध्यम से सरकार को बताने का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज। You have to learn it, आपको सीखना पड़ेगा। आप बैठें प्लीज, हो गई बात। माननीय बिहारीलाल जी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICE TAX (THIRD AMENDMENT) BILL, 2020 पर बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

इस बिल की धारा 2 से 4 से आगे आनवर्ड ये सभी procedural industrial interest of trade में है। माननीय मंत्री जी, एक संशोधन मैं अध्यक्ष जी के मार्फत आपके लिए रखना चाहूंगा कि धारा 10 (2) (सी) राजस्थान जीएसटी एक्ट में जो बदलाव प्रस्तावित है वो कम्पोजिशन डीलर, जो कि छोटे, मध्यम वर्ग के व्यापारी राज्य के बाहर सेवाएं देने से रोक रहे हैं, राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये पाबंदियां सही नहीं हैं एवं भविष्य में विवादों को जन्म देंगी। सेवाएं राज्य की सीमाओं के बाहर अनजाने में भी की जा सकती हैं, ऐसे में स्कीम को खतम कर देना व्यापारियों के हित में नहीं है इसलिए इसको आप कंसीडर करें और इस अमेंडमेंट को, इस संशोधन को आप फोर्स में न लाएं, इस संशोधन के बिना इस बिल को पास करें। इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020, विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 14 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 14 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 14 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर सदन विचार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उद्देश्यों और कारणों का कथन की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें उल्लेखित किया है, विधेयक का खण्ड 2 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (114) के उप-खण्ड (ग)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और (घ) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे 'संघ राज्यक्षेत्र' की परिभाषा को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 के अनुरूप किया जा सके।

मूल रूप से यह जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 है इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय, ये पुनर्गठन क्यों हुआ? हिन्दुस्तान के अन्दर आजादी के बाद लम्बे समय से ये मांग होती रही थी कि जम्मू-कश्मीर के अन्दर धारा 370 और 35 ए के माध्यम से जो आम भारतीयों को वंचित किया गया था, उस धारा को समाप्त किया जाए। और प्रसन्नता इस बात की है कि देश के प्रधान मंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री जी ने आज इस जम्मू-कश्मीर को हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग बनाया। उन धाराओं को समाप्त किया।

अध्यक्ष महोदय, उसके साथ ही चूंकि अब संघ राज्य क्षेत्र, उसकी परिभाषा के अंदर यह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार संशोधन करना था, वह आप लेकर के आए हैं। उसके साथ ही आप जीएसटी एक्ट, 2017 में सैक्शन 10 (2) में ख, ग और घ, इसमें जो व्यवहारी है, जीएसटी चुकाने का विकल्प और इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने का, इसका भी एक संशोधन लेकर आए हैं। उसके साथ ही, अगर किसी व्यापारी ने जीएसटी के दायरे से बंद हो गया, अपने व्यापार को बंद कर दिया तो 29 (1) (सी) के अंदर वह अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता है। उसके साथ ही जो आपका जुडिशियल टैक्स अथारिटी है, उसमें वाद दायर करने का समय इसलिए एक्सटेंड किया जा रहा है कि कुछ लोग वैश्विक महामारी के कारण वाद दायर नहीं कर पाए।

आप सैक्शन 30 (6) के अंदर एक संशोधन लेकर आए हैं। उसके बाद सैक्शन 51 के अंदर जीएसटी का डिडक्शन एट सोर्स का संशोधन लेकर के आए हैं। सैक्शन 32 (1) में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट में कार्यवाही करने का लेकर के आए हैं। यह आप प्रोसीजरल अमेंडमेंट लेकर आए हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से यहां तक कह दिया कि केन्द्र सरकार ने जीएसटी के पूरे कानून में इतनी कमियां छोड़ दीं कि उसमें संशोधन हुआ। शायद आप भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बार गये। अध्यक्ष महोदय, मैं उस जीएसटी काउंसिल की कार्यवाही जो नैट पर है, उसको पढ़ता हूं। एक शब्द भी, एक बार आप बोले हो, वहां जाकर नींद लेने के अलावा आपने कुछ किया नहीं।

श्री अध्यक्ष: इसका स्कोप भी इसमें है कि वह नींद निकाल रहे थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आगे आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज, ऐसा नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस प्रकार से स्कोप ऑफ बिल से बाहर जाकर केन्द्र सरकार को आरोपित किया है इसलिए इस शरीफ आदमी की जबान खुल रही है। आपका जो कर्तव्य था, उसको आप पूरा नहीं कर पाये।

अभी आपने बोलते हुए कहा कि हमारा बहुत सा जीएसटी कंपनसेशन का पैसा बाकी है।

श्री अध्यक्ष: यह दो, तीन, इसमें आप क्यों मिक्स अप कर रहे हैं? प्लीज, कनक्लूड इट। आप इससे उसमें जा रहे हैं, उससे इसमें जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह जो प्रोसीजरल अमेंडमेंट लेकर आये हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि 132 (1) के अंदर जिन्होंने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए आप संशोधन लेकर आये हैं। मंत्री महोदय, जीएसटी का बिल आज तो आया नहीं। संशोधन आप लेकर आये हैं। यह सदन जानना चाहता है कि राजस्थान में इस आधार पर आपने कितने लोगों को नोटिस दिया और कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की? यह सदन जानना चाहता है कि सैक्शन 51 के अंदर जो जीएसटी का सोर्स ऑफ डिडक्शन था, क्या इससे पहले उस पर नहीं किया? इसका आधार क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ है। सारे प्रोसीजर इस बात को इंगित करते हैं। कोविड-19 की छाया के अंदर यह संशोधन आये हैं। यह बात निश्चित रूप से सामने आएगी कि इन संशोधनों की पृष्ठभूमि क्या है? यह प्रोसीजरल संशोधन जो आप लेकर आये हैं, इनकी पृष्ठभूमि यही है कि वैश्विक महामारी आ गई और सारे कल-कारखाने बंद हो गये। मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपको केन्द्रीय करों में जो हिस्सा था 46 हजार करोड़ का वह केन्द्र ने दे दिया। आपके फिस्कल डेफिसिट का जो पैसा था, वह दे दिया। एसडीआरएफ का पैसा आपको मिल गया।

यह जो आत्मनिर्भर भारत है, इसके पीछे लक्ष्य एक ही था। जीएसटी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का कलेक्शन कम हो रहा है, आप संशोधन लेकर आये हैं। किस प्रकार से वापस इस हिन्दुस्तान की इकोनोमी खड़ी हो। यह जो 25 लाख करोड़ का पैकेज है, जो हमारी जीडीपी का 10 परसेंट है, भूतो न भविष्यति। आप इस पर कैटेलिस्ट की भूमिका क्यों नहीं निभाते? आज राजस्थान में जब जीएसटी की चर्चा चल रही है तो यह सदन निश्चित रूप से चिंतित है। यह जो प्रोसीजरल संशोधन आए हैं, इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है, मैं समझता हूं, मंत्री महोदय कि अगर आपके पास बातें पूरी हैं क्योंकि आपकी आदत है, ईश्वर ने आपको यह कला दी है कि आप इधर-उधर की कहकर निकल जाओगे। आपने आज इसको यहां आने के बाद ही देखा है। पहले आपने देखा भी नहीं। मैं आपसे उम्मीद तो नहीं करता लेकिन मैंने जो सवाल खड़े किये हैं, कितने लोगों ने सैक्शन 29 (1) (सी) के अंदर व्यापार कम होने के कारण से, जीएसटी के अंदर जो रजिस्टर्ड लोग थे, उनका रजिस्ट्रेशन आपने रद्द किया? यह आप बताएं।

यह संशोधन के नाम पर जब हम विधान बनाने वाली विधान सभा में सवाल करते हैं तो जिन सैक्शनों के अंदर आप संशोधन लेकर आये हैं, अपने उत्तर में आप बताएं कि इनके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी? कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए? कितने सोर्स आफ डिडक्शन कम हुए? कितने लोगों के खिलाफ आपने इनपुट क्रेडिट गलत लेने के कारण मामले दर्ज किये? इन सारे अनुत्तरित सवालों के जवाब आप दें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन है कि जनमत जानने के लिए इसको परिचालित करो। आपकी जो हाई पावर कमेटी है, जिसमें आप पूरी इकोनोमी को ठीक कर रहे हो, उसकी जीएसटी का यह भी आए। उस कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखें। इतना ही मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जो 16 लेकर आये हैं, “Eligibility and Conditions for Taking Input Tax Credit” उसके ऊपर मैं मंत्री महोदय से कुछ पूछना चाहूंगा the preceding financial credit is allowed up to the filing of the September month. The return of which is to be filed by the October 20th and this is called 3B return. यह 3 बी रिटर्न कहलाता है। The

(श्री रोहित बौहरा)

payment is done by the purchaser and the material is received but the return is not filed by the supplier. मैं माल खरीदता हूं और सप्लायर उसका रिटर्न नहीं भरता है। इसकी भी गलती जो परचेजर है, उसके अकाउंट में आ जाती है क्योंकि वह इसका 2 ए रिटर्न फाइल ही नहीं करता है। जब वह 2 ए रिटर्न फाइल नहीं करता है तो मैं उसकी क्रेडिट नहीं ले पाता हूं। डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू कर रहा है। नोटिस इश्यू कर दे वहां तक तो बात समझ में आती है लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट 24 परसेंट इंटरेस्ट ले रहा है और जो आपने क्रेडिट ली है, उसको रिवर्स करता है। जबकि आप जब परचेज करते हो वही इंटरेस्ट की कोस्ट 18 परसेंट है। वह सप्लायर से 24 परसेंट लेता है। यह एनोमली है, the difference of interest between the 18 percent and the 24 percent. So this should be removed. एक ही इंटरेस्ट रेट लेने और देने की होनी चाहिए। दो इंटरेस्ट रेट कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। यह आपकी फोली है, जो आपको बताना चाह रहे हैं। यह 401 अमेंटडमेंट, जो आप बात कर रहे हैं न सिर्फ उससे नहीं होगा। आप अंदर जाइये डिटेल में कि कितना ट्रेडर को करना पड़ रहा है। आपकी जीएसटी की वजह से ट्रेडर कितना सफर कर रहा है, इस पर किसी मैम्बर ने नहीं बोला है।

अध्यक्ष महोदय, सुनिए आप, the corresponding rule 3B says that the credit shown in 2A return can only be taken. जो 3 ए है, उससे 2 ए का रिटर्न जब फाइल होगा, but to save the trader मेरा उसमें एक सजेशन है, but, to save the trader the officer concerned who has given the registration of the GSTN, वह सप्लायर से कन्फर्म करे और उसकी क्रेडिट दी जाए। अन्यथा तो पता पड़ता है कि जो परचेजर है वह सप्लायर से माल ले लेता है उसको क्रेडिट की रिटर्न ही नहीं मिलती है। वह सप्लायर 2 ए में नहीं दिखाता है। इससे परचेजर को क्रेडिट नहीं मिल रही है। इन एनोमली को हिन्दुस्तान में चेंज किया जाए अन्यथा ट्रेडर कम्युनिटी इससे बहुत ज्यादा दुःखी है।

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। दूसरा आप लेकर आये हैं, 30 का अमेंडमेंट, the government has allowed the revocation and following the old return. जो ओल्ड रिटर्न जुलाई, 2017 से नहीं भरे हैं, वह आपने अलाउ कर दिये हैं कि आप इसको लेट फीस के साथ भर दें। लेकिन इसमें आपने एक एनोमली छोड़ दी है, what happens to the credit of

(श्री रोहित बौहरा)

rule 16 which he is going to deposit. Kindly clear it whether he is going to get the supplier credit or not. उसको सप्लाई का जो पुराना क्रेडिट है, वह मिलेगा या नहीं मिलेगा? यह आपने इसमें क्लियर ही नहीं किया है, आप इसको क्लियर करिये। नहीं तो आप यह एनोमली छोड़ देंगे, फिर आफिसर्स तंग करते हैं। उनको रोज नोटिस देते हैं। यह आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? इसके अंदर आप क्लियर करिये।

(12.00 बजे)

So we have to amend rule 16 for this whether he has to deposit his liability in cash or the credit which he has been allowed; has to be taken or not. अब मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं इसके अंदर, जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, आज मैं गवर्नमेंट में सप्लाई करता हूं, आप ग्रोस वैल्यू पर 2 परसेंट मेरा टैक्स काट लेते हैं, गर्वनमेंट सर्वेंट जो कि आपका मुलाजिम है, उसको जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड नहीं करता है तो मेरी क्या गलती है? आपने क्या उस पर सज़ा लगाई, आपने सौ रुपये लगा दी, मेरी तो पूरी वर्किंग कैपिटल आपने ब्लाक कर दी क्योंकि आपने ग्रोस वैल्यू पर 2 परसेंट काट लिया, आपने जीएसटीएन पोर्टल पर नहीं डाला, here the government servant, जो भी आपका ब्यूरोक्रेट है जिसने नहीं डाला है, चाहे वह बाबू है चाहे कोई भी लेवल का अफसर है, जिसने नहीं डाला है, he should be penalized क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कम से कम दस इण्डस्ट्री राजस्थान में बंद हो गई हैं, because of the lack of working capital, आप लोगों की गलती से, रेलवे वालों की गलती से कि 2 परसेंट काट लिया, 3 करोड़ का टैक्स था, जीएसटीएन पोर्टल पर डाला नहीं गया और उनकी पूरी वर्किंग कैपिटल खतम हो गई और वे इण्डस्ट्रीज आज क्लोजर पर हैं। यह किसकी गलती है? ये गलती इसलिए है कि आप लोगों ने जल्दी की। आपने न सोचा न समझा। आपको नाम लेना था, वाहवाही लेनी थी इसलिए आपने यह जीएसटीएन का बिल इतनी जल्दी में पास कर दिया। (व्यवधान) सर, एक सैकण्ड, these are very important points for traders.

श्री अध्यक्ष: These are all procedural things. Please don’t raise these things here.

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, 140, जो Transitional arrangements for input tax credit है, उस पर मैं बोलना चाहूंगा। The Tran-1 was to be filed on the basis जो एक्साइज ड्यूटी थी और वैट था उस ट्रान-वन हमें फाइल करना था साहब एज ट्रेडर, हमने उसको फाइल कर दिया और ट्रेडर उसको अवेल कर सकता था, एक्साइज का जो क्रेडिट था वह सीजीएसटी में अवेल कर सकता था और जो वैट का था वह एसजीएसटी में अवेल कर सकता था। हमने यह पूरा भर दिया। फिर क्या होता है, The was filed and the Tran-1 Form of the old credit यह जो ओल्ड क्रेडिट थी जो जीएसटीएन पोर्टल पर इलेक्ट्रोनिक लैजर में क्रेडिट होनी थी वह क्रेडिट नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक्ट और रूल में अंतर है, you are raising all these points which are relevant with the rules not with the Act.

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, यह 140, अमेंडमेंट का पार्ट है।

श्री अध्यक्ष: Please, try to understand.

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह 140, अमेंडमेंट का पार्ट है।

श्री अध्यक्ष: I have gone through it. एक्ट में डिसाइड करते हैं तो please only talk about the Act. रूल्स में प्रोविजन है, उसमें डिफिकल्टी है तो रूल्स के प्रोविजन पार्ट में आओ, मंत्री के लेवल पर कहिये, रूल्स का एक्ट का पार्ट नहीं हो सकता। You please discuss only about the Act.

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, यह 140.

श्री अध्यक्ष: एक्ट की धारा में क्या वर्ड गलत है, क्या ठीक किया, उस पर बात करो, यह जो आप बातें बता रहे हैं, एक्ट के अंदर जो रूल बनाने का काम है, उस रूल के अंदर जो भी बात है give him in writing and the Minister will address you appropriately.

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, ये एड्रेस नहीं हो रही इसलिए। इतने दिन से एड्रेस ही नहीं हो रही सर, इसलिए।

श्री अध्यक्ष: मैंने राजेन्द्रजी को रोका है तो please understand it.

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जी।

श्री अध्यक्ष: बिल का जो स्कोप है उस पर डिस्कशन होगा, जनरल डिस्कशन नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जी।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी। बोलें। (व्यवधान) कटारियाजी को बुला लिया है मैंने। (व्यवधान) कटारियाजी को बुला लिया है मैंने। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरे पर बोल देना आप। (व्यवधान) आप इसमें एक्सपर्ट हैं क्या?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां।

श्री अध्यक्ष: तो बोलो फिर। (व्यवधान) Please understand it. Don't make joke. आप समझना ही नहीं चाहते कि बिल कैसे पास होता है, क्या होता है, हमने बिल को पास करने को बिलकुल अलग कर रखा है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस बिल में विभिन्न प्रकार के संशोधन लेकर आए हैं। इनका उद्देश्य है कि जो कम जीएसटी आई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जो वसूली कम हुई है उसको येन्‍ केन-प्रकारेण ज्यादा करेंगे लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने पहले जो जीएसटी इकट्ठी की थी, उसको सही ढंग से खर्च किया है? जो इन्होंने वादे किए थे, उनको पूरा किया क्या?

श्री अध्यक्ष: मुझे तकलीफ है, ...(व्यवधान) नहीं, आप बैठें प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, ...(व्यवधान) आप बैठें। यह मेरी अनप्लीजेंट ड्यूटी है, बिल कैसे पास होता है वो सदन में समझें हम, बिल पर हम डिस्कस करना चाहते हैं और पहले क्या हुआ, यह बिल का परव्यू नहीं है। I'll not allow it. हमारी असेम्बली का जो मेन फंक्शन है बिल पास करना, बिल पर डिबेट कैसे करना, उस चीज के बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते। हम जनरल डिस्कशन करना चाहते हैं। माननीय सदस्य, मदनजी, मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि प्लीज, इस एक्ट की किस धारा में क्या अमेंडमेंट करना है, क्या गलत है, उस पर बोलें तो ज्यादा बैटर है। क्या कलेक्शन हुआ, क्या कलेक्शन नहीं हुआ, यह स्कोप नहीं है इसका। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): फिर तो हम लिखकर दे दें, वही बढ़िया है।

श्री अध्यक्ष: हां, हां, ठीक है, बैठो आप। हो गई बात। कटारियाजी, बोलें आप। (व्यवधान) बैठे आप प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 इस विधेयक में जो 2017 का है उसमें धारा 9 में जो केन्द्र ने फेरबदल किया है उसी को आप इसमें कर रहे हैं, इसमें दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और लद्दाख, कश्मीर को इस एक्ट के तहत इसमें जोड़ा है तो वह आपको अपने एक्ट में सम्मिलित करना है। धारा 10(2) में माल के साथ पहले जो 'सेवा' शब्द था, वह जोड़ा हुआ नहीं था। माल के साथ 'सेवा' शब्द जोड़ा गया। इसे कम्पोजिशन योजना, सेवा क्षेत्र वालों के लिए भी लागू हो गई जो पहले लागू नहीं थी तो मैं सोचता हूं कि पहले माल के सम्बन्ध में यह धारा काम करती थी, सेवा के प्रति जो आपका था वह इसमें नहीं था इसलिए 10(2) में परिवर्तन किया। फिर धारा 16(4) में इनपुट क्रेडिट के लिए डेबिट और जारी करने में डिले किया गया, यह इसमें जोड़ा है जो आपने इसमें पूर्व में केन्द्र ने जोड़ा था, वैसा का वैसा इसमें जोड़ा है। धारा 29(1), इसमें पंजीयन धारा 25 (3) के तहत प्राप्त पंजीयन को छोड़ने, निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में जो इसमें सम्मिलित हुआ है। धारा 30(1) पंजीयन निरस्तीकरण के रिवोकेशन की समय सीमा यानी तय करने की समय सीमा उन्होंने तय की है जिसको आपने इसमें सम्मिलित किया है। धारा 31(2) कर बीजक, मतलब बिल, दस्तावेज जारी करने या नहीं करने के सम्बन्ध में यह धारा जोड़ी गई है, जिसको आपने इसमें लिया।

धारा 51(3) और (4), स्रोत पर कर कटौती प्रमाण पत्र, टीडीएस जारी करने के सम्बन्ध में आपने इसमें दिया है। धारा 122, गलत तरीके से कर इनपुट क्रेडिट लेने पर कर वंचना के बराबर पैनल्टी लगाये जाने के बाबत। ये इसमें जोड़कर इक्वल करने का प्रयास किया गया है।

धारा 132, अपराध के स्थान पर अभिव्यक्ति भी जोड़ना, कपटपूर्वक इनपुट लेने से रोकने हेतु किया गया है।

धारा 140, दिनांक 1.7.2017 को ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने की समय सीमा के सम्बन्ध में सरकार ने नियम बनाने सम्बन्धी, यानी जीएसटी लागू होने के पूर्व प्राप्त कर समायोजन के लिए किया गया है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

धारा 168, धारा 66(5) के तहत स्पेशल ऑडिट करने एवं सी.ए. की फीस सम्बन्धी प्रावधान जो जोब कार्य हेतु भेजे माल और सेवा के रिटर्न करने के सम्बन्ध में समय सीमा बढ़ाने बाबत, यह इसमें जोड़ा है।

धारा 132, रिमूवल और डिफिकल्टीज के लिए जो समय सीमा थी वह पहले 3 वर्ष थी अब इसको 5 वर्ष, जीएसटीएन की धारा 25 का समय बढ़ाने के लिए आपने किया है। ये जो आप 1 जुलाई को आर्डिनेंस लाये थे, उसको कानून के रूप में लाने के लिए आज इसको कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जो धौलपुर या राजाखेड़ा से माननीय सदस्य आये हैं, उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने यह किया और आपने भी कहा। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। यह सौभाग्य है इस देश का जीएसटी में अब तक जितने भी अमेंडमेंट हुए वे सर्वसम्मति से हुए वे डिवीजन से नहीं हुए, इसका मतलब यह कि देश के सम्पूर्ण राज्यों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, अब उसकी छीछालेदार करना, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यदि आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई कमी-खामी है तो आप अपने केस को प्लीड कीजिए और करके जीएसटी काउंसिल में आप उसको मनवाइए क्योंकि यह जितने आप कह रहे हो कि ये अमेंडमेंट, ये तो वास्तव में एक खुला दिमाग था, जीएसटी काउंसिल बनाई ही इसीलिए थी कि किसी भी राज्य को किसी भी प्रकार के टैक्स में अगर कहीं लगता है, हमारे को भी पहले लगता था कि मार्बल में इतना था तो उसको घटाने के लिए हमने मांग की तो उसको घटाया। तो जिस-जिस में भी मांग हुई पब्लिक की तरफ से, आपकी तरफ से, जीएसटी काउंसिल में उस पर डिस्कस हुआ। मैं सोचता हूं कि यह हिन्दुस्तान में पहली ऐसी काउंसिल है जिसमें अब तक जितने निर्णय हुए हैं वे सर्वसम्मति से हुए हैं उस पर प्रश्नचिह्न खड़ा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

मैं सोचता हूं कि आपका जो तीसरा अमेंडमेंट आया है, इसके पीछे भी भावना यही है कि जो-जो भी इसमें से आपको लगा कि यहां-यहां लैकुना है, उस लैकुना को निकालते हुए जीएसटी के द्वारा स्टेट की भी और बाकी की भी आमदनी कैसे बढ़े, उसके कारण से हुआ तो मैं सोचता हूं कि इस संशोधन के बारे में पक्ष और विपक्ष नहीं है।

जो कुछ इसमें हुए हैं, उनके बारे में हम सोचकर करें और मैं सोचता हूं इस विषय को राजनीति में नहीं उलझाएं क्योंकि मैं सोचता हूं कि ऐसा प्रगतिशील कानून बना है जो आज नहीं, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वास्तव में देश के इन हालातों में यह जीएसटी का जो कई बार आप लोगों ने सोचा, आप लोगों ने करने का प्रयास किया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाये, यह कड़वा जरूर है लेकिन टैक्स कलेक्शन के लिए इससे ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। आज की तारीख में मैं इतना कहना चाहता हूं, देश में जो कलेक्शन इस जीएसटी के पहले था, उनके आंकड़ों की यदि हर साल आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ा है।

जितने लोग हिन्दुस्तान में टैक्स के दायरे में आते थे, उनकी संख्या लाखों में थी, आज की तारीख में जो करोड़ों में पहुंची है तो एक तरह से टैक्स देने की जो आदत बनी है और मैं सोचता हूं, उसके कारण से जो फण्ड बढ़ा है, उसके कारण से सारे काम हो रहे हैं। मैं सोचता हूं, जीएसटी के बारे में आप जैसा व्यक्ति जो उस काउंसिल का सदस्य हो, वहां मौजूद रहे, वहां आपको विषय रखने का अधिकार दे रखा है, उन्हें आप वहां न रखें और यहां आकर केवल बम फेंकने की कोशिश करें, यह उचित नहीं है। यह कानून सर्वसम्मति से और सबकी राय से बना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर ही ये सारे संशोधन किये गये हैं। मैं इन संशोधनों को विस्तार से नहीं ले जाना चाहता क्योंकि मेरी बात तो आपने कह दी। पूरे सदन ने सुन लिया कि कौन-सा संशोधन किस वजह से लाया गया है, ये सारी बातें आ चुकीं। सवाल यह है कि जो 13 खण्डों में संशोधन हुए हैं, उनमें जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति के परिवर्तन के फलस्वरूप संघ और राज्य क्षेत्र की परिभाषा को संशोधित किया गया है, उस वजह से सब कुछ हुआ।

कम्पोजिशन स्कीम के बाबत संशोधन किये गये हैं। प्रक्रियागत सरलीकरण और वोलेंटरी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए किये गये हैं। कपटपूर्वक अन्य के नाम पर फायदा उठाने वाले व्यक्ति, चाहे वह पंजीकृत हों अथवा अपंजीकृत हों, के विरुद्ध दण्ड का प्रावधान किया गया है। पूर्व में विद्यमान कानून जो RVAT Act के तहत उपभोग नहीं किये गये, आईटीसी का उपभोग करने के लिए समय-सीमा में संशोधन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, अधिनियम की धारा 172 जो आपने नहीं बतायी, के

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

तहत Removal of the difficulty of order जारी किये गये हैं, जिसकी समय-सीमा भी दो वर्ष बढ़ायी गयी है और बिजनेस असैट्स के ट्रान्सफर सम्बन्धित प्रावधानों को भी स्पष्ट करने के लिए संशोधन किये गये हैं। लम्बी बात न कहते हुए मेरा अर्ज करना यह है कि राजेन्द्र राठौड़ साहब ने दो बातें कहीं। पहली बात तो यह कही कि जीएसटी काउंसिल के एक्शन, पहले आपने कहा कि साहब, मैं तो वहां जाकर सो जाता हूं और यह आपने इंटरनेट में भी देख लिया कि मैं सो रहा हूं, कम से कम जिस सदन में चुनकर जनता ने आपको एक नहीं सात या आठ बार भेजा है, तो अब तो कुछ समझ में आना चाहिए। ये हम ही थे जिन्होंने पूरे देश के लिए semi precious stones पर ड्यूटी 3 परसेंट से घटाकर 0.25 परसेंट करवायी थी। ये हम ही थे जिन्होंने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए होटल इंडस्ट्री की जीएसटी को 28 परसेंट से 18 परसेंट और 18 परसेंट से 12 परसेंट करवाया था। यह हमारी ही उपलब्धि थी।

कटारिया साहब ने कहा कि साहब, सारी बातें सर्वसम्मति से हुईं वहां। इसमें कोई दोराय नहीं, पर अगर सारी बातें सर्वसम्मति से होतीं तो बहुत अच्छा होता लेकिन वोट पड़े। आपको ध्यान नहीं है, आपको पूरी बात मालूम नहीं है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि केरल के मामले में, लाटरी के मामले में बाकायदा वोटिंग हुई है। लाटरी की जो दर थी, वह 28 परसेंट करने की थी, उस बारे में बाकायदा वोट पड़ा वहां पर।

तीसरी बात, बौहरा साहब ने कहा, इसमें कोई दोराय नहीं कि कई तरह की एनोमलीज हैं, हैं एनोमलीज, पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन कमियों को जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में हम ध्यान में लाएंगे। यही कर सकते हैं हम, और तो क्या कर सकते हैं? फैसला तो जीएसटी काउंसिल ही करती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो कुछ भी लाया जा रहा है, यह हम अपने आप नहीं ला रहे हैं। सीधी-सीधी बात यह है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार के द्वारा जीएसटी एक्ट में जो संशोधन किये गये हैं, उन्हीं के अनुरूप राज्य सरकार ने माल व सेवा अधिनियम, 2017 में ये सारे संशोधन किये हैं।

अब, राठौड़ साहब, जरा इस बात को थोड़ा-सा पढ़ लिया करें, पढ़कर आएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, आप वैसे ही उठ-उठाकर आ जाते हैं तो बड़ी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दिक्कत आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 4 - कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव रखेंगे कि इसे पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, सदन राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020 पर विचार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 'उद्देश्यों और कारणों का कथन' की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें उल्लेख किया गया है, ''अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण के लिए और अन्तर्वलित सम्पत्तियों के अधिहरण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन हेतु उपबंध करने के लिए राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 38) अधिनियमित किया गया था और राजस्थान राजपत्र, असाधारण में दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित किया गया था।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) की धारा 4 और 13(1) में किये गये संशोधनों और उसमें नयी धारा 18क के अंत:स्थापन को देखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के साथ पठित अनुच्छेद 246 में अंतर्विष्ट उपबंध के फलस्वरूप 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 ने अपना अस्तित्व खो दिया है।''

अध्यक्ष महोदय, यह बात साधारण नहीं है। जिस प्रकार की अभी मैंने 'उद्देश्यों और कारणों का कथन' में बात कही विशेष श्रेणी के अपराध और अपराधों में भी लोकसेवकों द्वारा अनधिकृत रूप से भ्रष्ट आचरण से अर्जित की गई सम्पत्ति, जो सम्पत्ति अर्जित की गई उसको अधिग्रहण करने के लिए और उस पर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से त्वरित निर्णय हो जाए, उसके लिए यह जो 11.12.2012 को पूरे राजस्थान में विशेष न्यायालय स्थापित किये गये थे, उनको समाप्त करने का प्रस्ताव मंत्री जी आप लेकर आये हैं। जिस प्रकार आपने अपने उद्देश्य और कारणों के कथन में उल्लेख किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 4 और 13 (1) में किये गये संशोधनों और उसमें नयी धारा 18क के अंत:स्थापन करने के लिए आपके आर्टिकल 246 और 254 का उल्लेख किया है। अध्यक्ष महोदय, संविधान का आर्टिकल 246 इस बात को अधिकृत करता है कि समवर्ती सूची के अन्दर जो विधान और विधि बनाने का अधिकार है वह राज्य को भी और केन्द्र को भी है। विधान मण्डल और संसद दोनों इसमें नियम बना सकते हैं और इसकी एंट्री 11 के अन्दर यह जो कन्करेंट सूची है उसमें उन विषयों को भी उल्लेखित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि न्याय प्रशासन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जो एंट्री 11 के अन्दर कन्करेंट लिस्ट में है और इसमें सही भी है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अलावा राज्य सरकार को समस्त न्यायालयों का गठन और संघटन करने का अधिकार है। मतलब, इसका उल्लेख आपने किया है, निश्चित तौर पर कन्करेंट लिस्ट का सब्जैक्ट है, न्याय प्रशासन उसके अन्दर है। दूसरा, आपने 254 का उल्लेख किया है। अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 254 यह बात कहता है, कन्करेंट लिस्ट के अन्दर एट्री 11 के अन्दर अगर संसद और विधान मण्डल कोई विधि बना देते हैं और दोनों में असंगति हो जाती है तो 254 (2) के अनुसार विधि मान्यता उस विधि को मिलेगी जो विधि संसद द्वारा पारित की गई है। ये दोनों संवैधानिक प्रावधान जिसका उल्लेख आपने किया है, मेरे समझ में नहीं आया कि आप इसकी आड़ के अन्दर एंटी करप्शन एक्ट की 18 (1) के हवाले से राजस्थान के अन्दर विशेष न्यायालयों को, जो 2012 से काम कर रहे थे, उनको समाप्त करना क्यों चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्ट अधिकारी, लोकसेवक, आज इस पूरी व्यवस्था के अन्दर कैन्सर है? अगर सबसे बड़ी इस लोकतंत्र को खोखला करने में अहम भूमिका है तो भ्रष्ट लोकसेवकों की है। इन भ्रष्ट लोकसेवकों को संरक्षण देने के लिए आप अगर इस प्रकार के न्यायालयों को समाप्त करेंगे तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो 18 (1), जिसकी आड़ में यह संशोधन लेकर आये हैं, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। सम्पत्ति की कुर्की और सम्प्रहरण, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में जैसा अन्यथा उपबन्ध है और उसके अलावा दाण्डिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबन्ध जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई सम्पत्ति के प्रशासन और कुर्की के आदेश के निष्पादन या धन के अधिग्रहण या आपराधिक उपायों द्वारा उपाप्त की गई सम्पत्ति, मतलब भ्रष्टाचार से अर्जित की गई सम्पत्ति इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए दाण्डिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबन्ध इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए जिलाधीश को विशेष न्यायालय न्यायाधीश के रूप में इसको प्रस्तावित कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एम्पावर्ड जरूर कर दिया, कोर्ट को एम्पावर्ड कर दिया, इस 18 (1) के माध्यम से अधिकार दे दिया और यह भी कह दिया कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट जज को कर सकते हो? पर इसकी आड़ के अन्दर आप यह क्यों करना चाहते हो मंत्री महोदय? अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि 2012 से ये स्पेशल कोर्ट हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज हालत क्या है? आप इनको बन्द करेंगे। इन कोर्टों को बन्द करने के बाद लम्बित जितने भी वाद हैं ये दूसरी कोर्टों में स्थानान्तरित होंगे, नये सिरे से उन पर सुनवाई प्रारम्भ होगी, यानी भ्रष्टाचारियों को सीधा संरक्षण।

मंत्री महोदय, फरवरी, 2020 तक का आंकड़ा मैं कह रहा हूं, राजस्थान के अन्दर 446 ऐसे लोकसेवक हैं जिनकी अभियोजन स्वीकृति आपने रोक रखी है। ये 446 लोकसेवक आईएएस, आरएएस, दूसरे तकनीकी उच्च अधिकारी हैं और इनकी आपने स्वीकृति रोकी है। अगर ये कोर्ट समाप्त हो जाएंगे अध्यक्ष महोदय, इनकी स्वीकृति इसलिए रोकी गई है कि स्पीडी ट्रायल का प्रावधान है, 2012 से विशेष न्यायालय गठित किये हुए हैं, मैं समझता हूं कि आप इस कोर्ट को रिपील करके किसको करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, आज हो क्या रहा है? न्यायालयों की आवश्यकता कितनी है। अभी ये जो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अन्दर जो राजस्थान के 2019 के आंकड़े हैं, राजस्थान के उच्च न्यायालय में 4 लाख 57 हजार 110 मुकदमे लम्बित है, राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालयों में 16 लाख 68 हजार 213 मामले लम्बित हैं। यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की बात आप करते हो, मैं समझता हूं कि इस प्रकार से उन स्पेशल कोर्टों को समाप्त करके निश्चित तौर पर, अध्यक्ष महोदय, हिडन एजेंडा हो सकता है। जब कभी भी कई बार, लोकतंत्र की कमजोरियों में यह भी है, कई बार समझौतावादी उस मोड पर सरकार आती है, आये होंगे आप, अगर इस एक-डेढ़ महीने में कुछ अधिकारियों ने अति-सक्रिय होकर सरकार के हिलते पायों को पकड़ा होगा और उनको बचाना चाहते हो तो बचाओ, पर आप सबके सब अधिकारियों को इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो हथियार है उस हथियार को भोंटा करने का पाप कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिल के बाहर जा रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आर्टिकल 254 के रेफरेंस में बात करनी है और हम कहां गाड़ी को ले जाते हैं पता ही नहीं पड़ता मुझे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सर्टेन क्लासेज के आफेंसेज के स्पीडी ट्रायल और राज्य में कन्फिस्केशन आफ प्रोपर्टीज के विशेष न्यायालय अधिनियम के लिए यह 2012 में बनाया गया था। 2012 के बाद में 2013 में कांग्रेस की सरकार ने बाकायदा इसके नियम बना दिये। नियम बनाकर जयपुर और जोधपुर दो जगह न्यायालय स्थापित कर दिये लेकिन वहां पर न्यायाधीश ही नहीं लगाये गये। 2013 के बाद आपकी सरकार आई और 2013 के बाद 8 केसेज आपके पास थे लेकिन उन 8 केसेज को आपने सीएस के अण्डर में एक कमेटी बनाकर रैफर कर दिया और आखिर में उन आठों केसेज को उन

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

न्यायालयों में भेजा ही नहीं। एक केस भी 2012 से लेकर आज तक उनमें कहीं पर नहीं भेजा। सवाल यह आता है कि अर्थ यह है कि इन विशेष न्यायालयों ने, इस अधिनियम ने अपना अस्तित्व ही खो दिया इसीलिए रिपील करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एजी. की रिपोर्ट भी आई, हमने ए.जी. की रिपोर्ट ली, ए.जी. की रिपोर्ट ने भी यह कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में केन्द्र सरकार के द्वारा 2018 में नवीन धारा 18 (ए) जोड़ दी गई, जिसकी वजह से विशेष न्यायालय अधिनियम ने अपना अस्तित्व ही खो दिया। सेण्ट्रल एक्ट प्रिवेल करेगा,

सेन्ट्रल एक्ट प्रिवेल करने की वजह से, हम जो हैं इसको रिपील करना चाहते हैं, मोटी बात यह है। समझ में आ गई होगी आपके।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव रखें, आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

श्री राजेन्द्र यादव।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, आयोजना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): राजस्थान भिखारियों या निर्धन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) अधिनियम, 2020 जो यहां पर आज लाया गया है, असल में यह एक रिप्लेसिंग बिल है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी निकल चुका है। इसमें जिस तरीके से 35 में ऐसे भिखारियों के संबंध में, किस प्रकार कार्यवाही की जाए जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या कुष्ठ रोगी हैं। इसमें पुनर्वास गृह के बारे में जो कहा गया है कि इसके लिए पुनर्वास गृह खोले जाएंगे, जो अधिनियम के तहत पूर्व में था। उसमें न तो किसी प्रकार के पुनर्वास केन्द्र खोले गये हैं और न किसी प्रकार की उन्हें कोई सुविधा दी जा रही है। क्योंकि, राजस्थान में लगभग 50 हजार से अधिक ऐसे भिखारी हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा काउन्टेड हैं और 2018 दिल्ली उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला था। अब पुलिस उनको नहीं पकड़ सकती, लेकिन अधिनियम में निर्धन व्यक्तियों के लिए कल्याण निधि स्थापित करने का जो प्रावधान है, उसमें निधि की कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई है। यह कहां से, क्या बजट होगा, इसके बारे में कहीं कुछ नहीं है। गवर्नमेंट, ने जब सरकार बनी थी तो मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2019 के बजट में यह कहा था कि राजस्थान को हम भिखारी मुक्त करने की घोषणा करते हैं। अब ये भिखारी मुक्त करने की घोषणा तो की लेकिन किसी प्रकार का कोई बजट उसके अंदर नहीं रखा, सिर्फ एक कोष खोल देने मात्र से नहीं हो जाता। उनके पुनर्वास के लिए वर्ष 2012 में जो अधिनियम पारित हुआ था, उसका 2014 में नोटिफिकेशन हुआ और इस अधिनियम के अंतर्गत अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। केवल घोषाणाएं करते हैं कि हम लोग भिखारी मुक्त राजस्थान बनाएंगे, 2019 के बजट के अंदर मुख्य मत्री जी यहां पर सदन में कह रहे थे लेकिन इस पर कार्य अभी तक उन्होंने कुछ भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया, क्योंकि हमेशा से होता आया है कि जो गवर्नमेंट वर्तमान में चल रही है, वह जब अपना मैनिफिस्टो बनाती है...

श्री अध्यक्ष: लिमिटेड...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल, लिमिटेड ही बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष: बिल को कम से कम हम पढ़ें, बिल में क्या स्कोप है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसमें पुनर्वास के लिए...

श्री अध्यक्ष: इसमें क्या लिखा है, इसमें पढ़ो न आप, खाली सुप्रीम

(श्री अध्यक्ष)

कोर्ट का एक फैसला है। उस फैसले में उस कैटेगरी वालों को भी इनक्लूड करना है that's all.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): देखिए, कैटेगरी वाले को इनक्लूड करना है, वह तो आलरेडी कर चुके हो आप, वह आलरेडी कर चुके हो।

श्री अध्यक्ष: I'm extremely sorry. Please go through the rules. आप इसको पढ़ें, सिम्पल लिख रखा है। यह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस कैटेगरी के आदमी को, उसमें नहीं लेते थे, उनको लिया जाना चाहिए। उसके कोरेस्पोंडिंग ये अमेंडमेंट आया है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): देखिए, बिलकुल।

श्री अध्यक्ष: अब हम इसके पूरे में जा रहे है, उसका कोई संबंध नहीं है। यह कोई जनरल डिबेट हो तो बात समझ में आती है। I'll not allow it. Please, आप चाहे नाराज हों, कुछ हों। I'll not allow it. I am extremely sorry. मदन दिलावर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था।

श्री अध्यक्ष: आप निवेदन करें, मुझे unpleasant duty करनी पड़ेगी। बिल बनाने का जो काम सदन का है, Member of Legislative Assembly. Legislation कैसे बने, इसके बारे में हम कुछ ध्यान नहीं देना चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: No, I'll not allow you.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): You may be not allow (Interruptions)

श्री अध्यक्ष: Yes. I'll not allow it.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): Why are you not allowing us? (Interruptions)

श्री अध्यक्ष: I'll not allow it. रिकार्ड नहीं होगा। मदन दिलावर I'll not allow it. रिकार्ड नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं होगा, कटारिया जी I'll name him. I'll not allow it. मैं गलत परम्परा नहीं डालने दूंगा। गलत परम्परा नहीं डालने दूंगा, रिकार्ड नहीं होगा। मदन दिलावर जी, बोलना चाहें तो प्लीज।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: बोलना चाहते हैं, मदन दिलावर जी? आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए फिर आप। बोलना है तो बोलिए...(व्यवधान) खतम करिये। आपको बोलना है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मुझे बोलने तो दीजिए। मैं बोल रहा हूं न।

श्री अध्यक्ष: तो बोलो फिर आप। नहीं बोलना है तो बात खतम करिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

अंकित नहीं होगा।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

मैं फिर आपको कह रहा हूं। I'll name you. आप सीनियर मैम्बर हैं। अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं। क्या परम्परा डालना चाहते हैं आप? थर्ड रीडिंग में अलाउ करूंगा, आप बैठें। I'll allow you in the third reading. आप बैठें, प्लीज।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं हो तो आप जा सकते हैं। कोई मतलब नहीं हो तो।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

राजेन्द्र यादव, मंत्री जी।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, आयोजना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर जी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जो भिखारी लोग हैं उनका पुनर्वास करने की मंशा है तो प्लानिंग क्या है और किस प्रकार से उसको करना चाहते हैं और कितने बजट का प्रावधान किया है? बजट का प्रावधान किया तो अभी तक क्या हुआ, कब घोषणा की थी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मदन जी, मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, I'll not allow it. प्लीज पढ़ लें, एक्ट को पढ़कर आया नहीं कोई, हमें बोलना है खाली (व्यवधान) कम से कम बिल पर हम जो चर्चा करें तो बिल के आधार पर चर्चा करें, हम जनरल डिबेट थोड़े ही कर रहे हैं। कोई डिमांड पर चर्चा हो तो आप डिमांड की चर्चा करें, बिल में तो जो बिल का हिस्सा है उसी पर चर्चा करनी पड़ेगी। इसमें लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उनको उसमें शैल्टर में रखा जाए। ये एक लिमिटेड मामला है, हम उस पर जनरल डिबेट करना चाहते हैं, I'll not allow it. माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव रखें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): शैल्टर में रखने के लिए, पुनर्वास केन्द्र तो हो। उसके लिए पुनर्वास केन्द्र तो हो। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं। शैल्टर होम की क्या प्लानिंग है आपकी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रखें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ऐसे कैसे रख दोगे, आप।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, आयोजना): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं थर्ड रीडिंग पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय एक सैकण्ड। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020.

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020...

श्री अध्यक्ष: आप जगह पर जाएं। नहीं, अलाऊ नहीं होगा। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव रखें। आप हल्ला कर रहे हैं, हां करिये आप हल्ला।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आप किसको कह रहे हैं? किसको बोल रहे हैं आप? ।'॥

(श्री अध्यक्ष)

not tolerate it. विधान सभा, मुझे समझा रहे हैं, don't challenge it. I'll name you, I'll name you. माननीय, प्रस्ताव रखिये निकालने का। निकालने का प्रस्ताव रखिये, राजेन्द्र राठौड़ जी को निकालने का प्रस्ताव रखिये। राजेन्द्र राठौड़, राजेन्द्र राठौड़ का नाम लीजिए।

सदस्य का निलम्बन

राजेन्द्र राठौड़, श्री, सदस्य का सत्रांत तक के लिए निलम्बन

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री राजेन्द्र राठौड़ जी को इस सत्र के आखिर तक के लिए बाहर निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: जो माननीय संसदीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है, उसके पक्ष में जो हैं, वे हां बोलें।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पास किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ हाउस के बाहर जाएं।

सदन की कार्यवाही आधे घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 12:39 बजे 13:09 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.09 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 13.09 बजे 13.39 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(13.39 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

सदस्य का निलम्बन

राजेन्द्र राठौड़, श्री, सदस्य का सत्रांत तक के लिए निलम्बन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कटारिया जी, दो मिनट मेरी बात सुन लें। माननीय सदस्य, दो मिनट मेरी बात सुन लें। माननीय सदस्य, न तो मेरी इच्छा...(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कटारिया जी, मेरी बात सुननी है तो मैं बात कहूं? कटारिया जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरी बात सुननी है क्या? आपका अधिकार है, मेरी बात सुन लें। आपका अधिकार है, मेरी बात सुन लें। न तो मेरी इच्छा किसी सदस्य को बाहर निकालने की है। मैं स्वयं जानता हूं राजेन्द्र जी राठौड़ सदन के सीनियर लीडर हैं। पर मेरा अनप्लीजेंट काम है। बिल पर चर्चा कैसे हो, सभी सदस्यों को मालूम होना चाहिए। इसके नियम बने हुए हैं। डिबेट का स्कोप क्या है? उस अनप्लीजेंट काम को करने के लिए मैंने एक कठोर निर्णय लिया है। मेरी इच्छा न तो किसी सदस्य को बाहर निकालने की है और मैं चाहता हूं कि आप और हम सब मिलकर सदन की गरिमा को बनाये रखें और सदन के नये सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि बिल कैसे पास होते हैं? (व्यवधान) माननीय सदस्य, न आप अपमान सहन करेंगे, न अध्यक्ष का अपमान करेंगे। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं। मुझे नहीं बोलना है? नहीं बोलना है? कोई तकलीफ नहीं है। नहीं समझ में आये तो कोई तकलीफ नहीं है। आप अध्यक्ष की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) कटारिया जी, मैं आपसे कह सकता हूं। कटारिया जी, मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सबको निकाल दो, सभी जाएंगे, एक आदमी नहीं जाएगा।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपसे फिर कहा, मेरी न इच्छा है राजेन्द्र जी को बाहर निकालने की, न मेरी इच्छा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया अपने स्थान पर बैठें। राजेन्द्र जी को बाहर निकालने की न मेरी इच्छा है, न ही मेरी मंशा है। (व्यवधान) मैं इस तरह का अध्यक्ष नहीं हूं, जो अध्यक्ष सदन की गरिमा को बनाने का काम नहीं करे ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, नहीं तो जाइये आप, नहीं करना है तो। बात समझ में नहीं आती, ठीक है। नहीं करना है? यू-ट्यूब पर सारी चीज जा रही है। एक अध्यक्ष की हैसियत से मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, मैं प्रतिपक्ष को पूरा सम्मान देना चाहता हूं। राजेन्द्र जी राठौड़ एक जिम्मेदार और एक सही पार्लियामेंटेरियन आदमी हैं, पर राजेन्द्र जी राठौड़ को अधिकार नहीं है कि लोगों को गलत निर्णय करने के

(श्री अध्यक्ष)

लिए प्रेरित करें, यह अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं कि राजेन्द्र जी राठौड़ अपने स्थान पर जाएं। माननीय सदस्य, मैं सत्ता पक्ष से निवेदन करूंगा कि राजेन्द्र राठौड़ के निलंबन का प्रस्ताव वापस लें। हम सदन की कार्यवाही करें, आप अपनी जगह पर जाकर बैठें। आप अपनी जगह पर जाकर बैठें, मैं आपको बोल रहा हूं। आप अपनी जगह पर जाकर बैठें। राजेन्द्र जी राठौड़, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जब तक यह निर्णय हो, तब तक दो मिनट के लिए आप बाहर चले जाएं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि अध्यक्ष ने गलत निर्णय दिया है या सही निर्णय दिया है, पर अध्यक्ष के निर्णय की पालना होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष के निर्णय की पालना होने के लिए कह रहा हूं। मैंने कहा है, वे एक बार जाएं, मैं प्रस्ताव रखने के लिए बोलूंगा।

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998-3(ख) के तहत कलेक्ट सरचार्ज का उपयोग अभी तक सभी गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिये किया जाता है, चूंकि कोविड-19 के कारण राजस्व में कमी आयी है, अब इस अधिभार राशि का उपयोग गाय व उसकी नस्ल के संरक्षण व संवर्धन के साथ-साथ सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य, अग्नि, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं इत्यादि के शमन के प्रयोजन के लिए किया जा सके, इसलिए यह बिल लाया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्टाम्प संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारी राजस्थान सरकार स्टाम्प संशोधन विधेयक लेकर आयी है इसलिए कि इस महामारी के दौरान गायों और गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए धन

(श्री गिरधारीलाल)

संग्रह को बढ़ाया जाए। असल में गायों के नाम पर टैक्स लगाने का विधेयक वही भारतीय जनता पार्टी लेकर आयी थी जो गायों के नाम पर प्रदेश में राजनीति करती है। वर्तमान में सरकार उसी टैक्स को आगे ला रही है। अध्यक्ष महोदय, असल में प्रदेश में गायों की बर्बादी तो 1997 में भाजपा की सरकार में जब ढ़ाई साल तक बछड़े बेचने पर रोक लगायी थी और कानून लेकर आयी थी, तब ही शुरू हो गयी थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस कानून में संशोधन का आश्वासन इसी सदन में दिया था। कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, परंतु उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आयी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार वास्तव में गोवंश को बचाने और गोवंश संवर्धन का इरादा रखती है तो ढाई साल से छोटे बछड़े के विक्रय पर से रोक हटायी जाए, ताकि प्रदेश में गाय का सम्मान और संरक्षण बहाल हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

खण्डश: विचार

खण्ड 2

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे कि पास किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

मैं फिर माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं, मैं फिर अपील कर रहा हूं कि राजेन्द्र जी राठौड़ दो मिनट के लिए बाहर चले जाएं। प्रस्ताव लेकर सदन की कार्यवाही करने के लिए मैं फिर अपील करना चाहता हूं। अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन यह अध्यक्ष पसंद नहीं करता है। यदि मैंने कुछ कहा तो अमेंड कर दूंगा लेकिन इनको एक बार आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। नहीं पालन करना चाहता? एक बार फिर अपील कर रहा हूं कि अध्यक्ष की आज्ञा का पालन यदि नहीं होता है तो मैं अध्यक्ष की हैसियत से ऐसे सदस्य को हाउस में नहीं आने दूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजेन्द्र जी एक बार बाहर चले जाएं, मैं प्रस्ताव रखवाऊंगा कि वे सदन में वापस आएं और कार्यवाही करें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मेरी अपील है, आपसे फिर अपील है कि सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए अध्यक्ष के निर्णय को मानें और यह काम करें। मिस्टर राजेन्द्र

(श्री अध्यक्ष)

राठौड़, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, एक बार अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करें, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप आदर्श प्रस्तुत करें, आप सीनियर आदमी हैं, आदर्श प्रस्तुत करें। अध्यक्ष की आज्ञा का पालन यदि नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। मैं आपसे अंतिम बार अपील करना चाहता हूं। कटारिया जी, अंतिम बार अपील करना चाहता हूं कि अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करें और मैं प्रस्ताव के लिए कहूंगा जिससे सदन के अंदर वापस आएं। मैं प्रस्ताव रखने के लिए सत्ता पक्ष को कहूंगा लेकिन एक बार अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा।

मैं एक बार अंतिम बार, राजेन्द्र जी राठौड़, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सतीश जी पूनियां, Don’t set a wrong example. आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, गलत परम्परा को नहीं डालें। अध्यक्ष की व्यवस्था का पालन यदि नहीं करना चाहते हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती।

जब मैं खुद कह रहा हूं कि उनको सदन में लाने के लिए मैं प्रस्ताव रखवाऊंगा। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, अभी मेरी बात मानकर दो मिनट के लिए राजेन्द्र जी बाहर चले जाएं। राजेन्द्र जी राठौड़, नहीं करना है? दो मिनट के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष की आज्ञा का पालन कीजिए नहीं पालन करना है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। नहीं करना है, धन्यवाद।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: जनमत जानने हेतु श्रीमती अनिता भदेल, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री गिरधारीलाल, श्री बिहारीलाल, श्री वासुदेव देवनानी, श्री अशोक लाहोटी, श्री बलजीत, श्री अभिनेश महर्षि।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 4 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 महामारी से आर्थिक गतिरोध के परिणामस्वरूप राजस्व में गिरावट आई है। आकस्मिक खर्चों में भी वृद्धि हुई है। वित्तीय संसाधनों की कमी के मद्देनजर इस आपदा का मुकाबला करने के लिए राजस्थान ने अतिरिक्त निधि सृजित करने के उद्देश्य से आबकारी उत्पादों पर सरचार्ज लगाने का प्रावधान किया है। अधिभार से सृजित अतिरिक्त निधि सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं के राहत के लिए उपयोग में ली जा सकेगी इसलिए यह बिल लाया हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव रखें आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 4 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से बाहर जो नोटिफाइड कृषि उपज खरीद कर लाई जाती है, उसकी खरीद की प्रक्रिया तब पूरी मानी जाती है जब वह कृषि उपज व्यापारियों के प्रतिष्ठान या प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंच जाती है। इस प्रकार राज्य के बाहर से आने वाली कृषि उपज पर मण्डी शुल्क एज पर रूल पेयबल है। किन्तु एक्ट में 'बोट' और 'सोल्ड', 'खरीदी गई' और 'बेची गई' शब्द होने के कारण व्यापारी मण्डी शुल्क देने में आनाकानी करते हैं। वे कहते हैं कि हम तो सिर्फ राज्य में लाये हैं, हमारी खरीद की प्रक्रिया तो दूसरे राज्य में पूर्ण हो चुकी है। मण्डी शुल्क देने में व्यापारी आनाकानी न करें इसलिए धारा 17 में संशोधन कर स्पष्टता की दृष्टि से 'बोट एंड सोल्ड' के साथ-साथ 'बोट' शब्द भी जोड़ा गया है, मतलब 'लाया गया' शब्द भी जोड़ा गया है। इस कारण मैं यह संशोधन लेकर उपस्थित हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी प्रस्ताव रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

माननीय सदस्य, एक बार मैं फिर अपील करना चाहता हूं। आधा घंटे के लिए हाउस एडजोर्न करता हूं। आधे घंटे बाद हाउस फिर मिलेगा। राजेन्द्र जी राठौड़, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे फिर निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करें जिससे सदन में एक उदाहरण जाए। नहीं पालन करना है तो आपके ऊपर है। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 13.56 बजे 14.26 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(14.26 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

सदस्य का निलम्बन

राजेन्द्र राठौड़, श्री, सदस्य का सत्रांत तक के लिए निलम्बन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मैं आप सबसे एक बार फिर निवेदन करता हूं, संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, चाहे अध्यक्ष ने गलत भी निर्णय ले लिया है, अध्यक्ष के निर्णय की पालना की जानी चाहिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, राजेन्द्र राठौड़ बहुत पुराने, पार्लियामेंटेरियन रहे हुए हैं मेरी पूरी बात सुन लें। मेरी बात नहीं सुनना है तो ...(व्यवधान) मेरी बात नहीं सुननी है? यह कौनसी परम्परा है? अध्यक्ष को सुनना नहीं चाहते। काहे के सदन में हो, काहे को हाउस के अंदर हो आप ...(व्यवधान) यह कौनसी परम्परा है। आप यह कौनसी परम्परा बना रहे हो, अध्यक्ष को सुनना ही नहीं चाहते। यह कौनसा तरीका है? मैं जब स्वयं कह रहा हूं कि अध्यक्ष ने कोई निर्णय गलत भी ले लिया है तो भी अध्यक्ष के निर्णय की पालना की जानी चाहिए, यह संसदीय प्रणाली की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य, फिर दोबारा रिपीट करना चाहता हूं ...(व्यवधान) मेरी बात सुन नहीं रहे क्या, सुन नहीं रहे क्या बिलकुल? न मेरी इच्छा राजेन्द्र जी राठौड़ को सदन से बाहर निकालने की है, मेरी इच्छा यह थी कि जितने भी सदन के नये सदस्य हैं वे इस बात को समझें कि बिल कैसे पास होता है, बिल का स्कोप क्या है, उसकी दृष्टि से मैंने कुछ कठोर बातें कहीं और कुछ कठोर निर्णय भी लिया इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, एक बार पुन: इस पर विचार करें।

मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अध्यक्ष की आज्ञा का पालन नहीं होता है तो फिर मुझे सदन में कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य

(श्री अध्यक्ष)

नहीं करें। मैं सदन की कार्यवाही पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी अपील का असर होगा और हम सब मिलकर सदन में अच्छी कार्यवाही कर सकेंगे।

(तदनंतर सदन की बैठक 14.28 बजे 14.43 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(14.43 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

आपत्ति

सदन में विधेयकों के कार्य विन्यास पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष का और आसन का कभी भी असम्मान हो, यह न तो हम सोच सकते हैं, न कभी करने का मन बनाया है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हमने आपके निर्देश और जो भी अपन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठकर सब लोगों ने विचार किया, उसी के अनुसार हमने और हमारे दल ने एडजस्ट करने का प्रयास किया।

पहले दिन जब बात हुई तो यह कहा था कि केवल एक दिन चला करके अपन इसको पूरा करेंगे। हमने उस पर भी सहमति दी। हमने इस पर भी सहमति दी कि क्वेश्चन आवर और जीरो आवर नहीं हो, कोई बात नहीं लेकिन उस दिन कोरोना का डिस्कशन नहीं हुआ। इसलिये आपसे निवेदन किया कि इतनी जबरदस्त महामारी है, इसका जरूर डिस्कशन होना चाहिए। आपने फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कोरोना को भी स्वीकार किया और उसके साथ आपने कुछ बिल लेने के लिये भी हम सबके सामने बात रखी। उस दिन छह-आठ बिल थे। हमने उस पर भी आपको सहमति दी। आपने कोरोना पर भी डिस्कशन कराया और उसी दिन उन बिलों पर भी डिस्कशन का सूचीबद्ध था लेकिन चूंकि आपके पास, यह आपने अजूम किया कि ठीक प्रकार से इन बिलों पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि उस समय साढ़े छह बज चुके थे, जब अपन ने कोरोना पर डिस्कशन करके समाप्त किया था। हमने आपकी उस बात को भी यह स्वीकार करते हुए कि आपकी मंशा कानून बनने की इस प्रक्रिया में विधायक ठीक प्रकार से भाग लें, उस पर भी आपने कहा। लेकिन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की आपने मीटिंग बुलाई तो हमको थोड़ा-सा उस पर एतराज था कि आपने उस समय कुछ और बिल, जो अब तक आपने नहीं रखे थे, 21 तारीख शाम तक, वे भी आप जोड़ करके इसको पास कराना चाहते थे। हमको इस पर एतराज था। एतराज इसलिये था हम भी जानते हैं कि कोरोना की इस महामारी में विधायकों को भी संकट है, स्टाफ को भी संकट है। पता नहीं कौन किसके टच में आने से इस भयानक बीमारी से कहीं अगर कोई ग्रसित हो गया तो मैं सोचता हूं कि लोग आपको और हमको, सबको उलाहना देंगे कि आप जनप्रतिनिधि समझदार हो और उसके बावजूद भी आपने इस प्रकार, तो हमने इसको एडजस्ट करने का प्रयास किया।

अध्यक्ष महोदय, सच में राजस्थान में कई ऐसी ज्वलंत समस्याएं चल रही हैं जो रोज आंदोलन हो रहे हैं। विशेष करके बिजली के बारे में चल रहा है, किसानों की प्राब्लम्स को ले करके किसान धरने पर बैठे हुए हैं। लॉ एण्ड आर्डर भी, हमने इन सब विषयों को नजरंदाज किया, यह सोच करके कि नहीं, कोई बात नहीं, इस कोरोना की महामारी में अगर इसको भी पोस्टपोन किया जाये। तो एक तो हम चाहेंगे कि इस विषय की प्राथमिकता को आप जरूर ध्यान में रखें, किस तरह से इससे हो।

आज जिस बिल पर डिस्कशन हो रहा था, उस पर हमको एतराज था। अध्यक्ष महोदय, एतराज इसलिये था कि हमने जो पहले के तीन बिल निकले, उस पर आपकी बात मानते हुए, आपने जैसा कहा, वैसा हमने एडजस्ट किया लेकिन यह जो भिखारियों के पुनर्वास वाला बिल आया, इस पर सच में, क्योंकि हमने इसकी पूरी डिटेल देखी थी, 2012 से जो यह कानून बना था, 2012 से लेकर अब तक, मैं हाउस के सभी माननीय सदस्यों से अध्यक्षजी के माध्यम से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कानून की एक भी धारा आठ साल में अभी तक जमीन पर नहीं उतरी है। केवल एक अमेंडमेंट इसलिये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया कि कुष्ठ रोग और मानसिक विक्षिप्त लोग, इसमें जो मानसिक विक्षिप्त हैं, उनको तो आप डाक्टर से जांच कराने के बाद अलग से जगह, जहां भी आप रखना चाहें, उन्हें रखें। लेकिन कुष्ठ रोग से, इतना खतरनाक नहीं है कि उनको आप अलग ही कुछ करो। वे अगर सबके साथ भी रहें तो किसी को उनसे नुकसान नहीं होगा इसलिये उनकी मंशा यह थी कि कुष्ठ रोग को इसमें सम्मिलित नहीं करके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसको बाहर निकालो। यह अमेंडमेंट इसी बात के लिये आया था। इसी बात को अपन डिस्कस, लेकिन सच में इस कानून का डिस्कशन, जो भी किरणजी ने शुरू किया, उसके पीछे भावना यह थी कि कानून की यह धाराएं, जो अभी तक हमने तय की हैं, कि न तो इसके बोर्ड का गठन हुआ, न इसमें कोई आयुक्त नियुक्त हुआ, न कोई राजस्थान में ऐसा पुनर्वास केन्द्र अभी तक बना, न मतलब इसका कुछ नहीं। धारा 3 से ले करके धारा 4 से ले करके, धारा 12 से लेकर धारा 24 और धारा 20, ये सब जितनी धाराएं हैं, कहीं भी, आज भी जमीन पर नहीं हैं। इसलिये मन को यह पीड़ा थी कि भिखारियों के नाम से मन में दर्द तो आपके और सबके है लेकिन सच में इनके पुनर्वास की जब तक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इन लोगों का भला कहां से होगा? इस कारण से हमने इस बात को, किरणजी बोलीं, उसके बाद आप थोड़ा-सा, आपके और उनके बीच में हो गया, आपने उधर देखा। मैं खड़ा हुआ था और खड़ा हो करके मैं बोलना चाहता था, जैसा आपने कहा कि थर्ड रीडिंग पर कम से कम आप बोल सकें, वह अवसर भी हमको नहीं मिला। इसके कारण से स्वाभाविक है कि राजेन्द्रजी और मेरी पार्टी के सदस्य वैल में आ गये। उसके कारण से यह स्थिति बनी।

अब आपकी जो सोच थी, वह यह थी कि बिल का स्कोप इतना ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया, उसी तक आप सीमित रहो। पर हम यह कहना चाहते हैं कि 2012 का बना हुआ एक कानून अभी तक धरती पर नहीं उतरा है। केन्द्र सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है, 2017 के इस एक्ट में, उसको ले करके आप इस संशोधन को ले करके आये हैं। तो हमारी मंशा केवल इतनी थी कि उस विषय को हम सदन के माध्यम से सब लोगों की जानकारी में लायें कि इतना इम्पॉर्टेंट कानून जिसको आप समझ रहे हो, वह ईमानदारी से कह रहा हूं, धरती पर नहीं उतर पाया है, उसको धरती पर उतारें, इसके बारे में हमारा कहना था।

तो, अध्यक्षजी, आपका अपमान करने का मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हम कुर्सी का सम्मान नहीं करेंगे, लोकतंत्र का सम्मान कहां से होगा? आपके प्रति कोई अनास्था नहीं लेकिन आपने जिस भावावेश में आ करके, हमारे माननीय सदस्य, क्योंकि वे वैल में आ गये और आपने उनको आईडेंटिफाई कर दिया, मैं सोचता हूं आपकी भावना का सम्मान रखने के लिये और ये फिर 5 बिल आपने और पेश कर दिये। मैं आपको सच कह रहा हूं कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इन बिलों को पढ़ा नहीं, इनके बारे में कुछ सोचा नहीं और बिना सोचे और बिना पढ़े किसी बिल पर चर्चा कर लेना, या उसको ठीक प्रकार से रख पाना, यह कुछ नहीं, एक दिन में आठ पहले पास किये, पांच और करें, तेरह बिल पढ़ने की क्षमता, मैं सोचता हूं किसी भी जनप्रतिनिधि की कानून पास करने के बारे में, कारण क्या है कि इसका पुराना एक्ट भी देखना पड़ता है, संशोधन कहां हो रहा है, यह देखना पड़ता है। इसके पीछे क्या मंतव्य है, इसको भी समझना पड़ता है, उसके लिए कागज भी उठाने, ढूंढने पड़ते हैं तो मैं यह सोचता हूं कि हमारा सवेरे भी इसी बात पर विरोध था, अभी भी है। हमारा कोई ऐसा आपको कहना नहीं है लेकिन मैं आपसे फिर यह निवेदन करता हूं कि हमारी भावना से अगर कहीं आपको ठेस पहुंची है तो मैं क्षमायाचना करता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती इसमें लेकिन मन बहुत दुखी होता है कि आखिर कानून बन रहा है और वह कानून बन रहा है जो भिखारी के नाम से कहा जाता है और यहां राजस्थान में हमने भिखारी मुक्त जयपुर करने की घोषणा पिछले बजट में भी की लेकिन आज तक ईमानदारी से जब तक उनका पुनर्वास नहीं होगा तो यह लोग आखिर कहां पर जाएंगे, क्या करेंगे? आज भी पूरा अख़बार में आया कि यह इतने बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इतने यह पढ़े हुए बच्चे हैं। कौन भीख मांगेगा? या तो मजबूरी में, जिसको पकड़ लाते हैं, कहीं से उठा लाते हैं, उन बच्चों का दुरुपयोग करके लोग भीख मंगाने का काम करते हैं, बाकी कोई मां-बाप कितना भी गरीब होगा लेकिन अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए भेजेगा, ऐसा नहीं होता। जो आदतन ही बन गये कि जिनको बिना मेहनत के खाने का ही स्वभाव पड़ गया आप उनकी तो बात छोड़ दीजिए, बाकी हर व्यक्ति नहीं चाहता है। इस कारण से मन को बहुत दुख हुआ कि इतना इम्पोर्टेंट कानून होते हुए भी हम अपनी बात को इस हाउस में नहीं रख सके तो यह हमारा दुर्भाग्य है।

दूसरा, जन समस्या को, लोग हमको बाहर जाते ही पूछते हैं कि आप रोज जो यह भाषण कर रहे हो, हमारी समस्या तो आपने उठाई ही नहीं। इतने डाक्टर्स को आपने निकाल दिया जिनकी अब तक तनख्वाह नहीं मिली है। 14-15 महीने से तनख्वाह नहीं मिली जिन डाक्टर्स को, उसके बारे में कोई विषय उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते, तो कई इम्पोर्टेंट विषय थे।

अब यह आप पर छोड़ता हूं कि आप उनके बारे में क्या निर्णय करते हैं, कैसा निर्णय करते हैं, पर राजस्थान की जनता आपसे जैसा चाहती है, हम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विपक्ष के लोगों से भी तो वह यह उम्मीद जरूर करती है कि उनकी समस्याओं को आप इस विधान सभा के फ्लोर पर उठाकर उनकी जो मदद कर सकते हैं, वह करें।

आज बिजली का बिल, ऐसा करंट लग रहा है जिसके दस हजार का बिल आया घर का, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि इस कोरोना में अच्छे-अच्छे लोगों की भी त्राहि-त्राहि मचा दी। यानी जिनकी कुल ही नौकरी किसी दुकान पर 15 हजार की है, वह भी उसकी बंद है चार-छह महीने से, वह अब यह दस हजार का बिल अपना, उसका छोटा-सा घर है, सिर्फ दो लाइटें और दो पंखे जले हैं, वह इसको कैसे पेमेंट करेगा? कुछ समस्या को हम रखना चाहते हैं, आप कितना हल कर पाओ, यह आप पर छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो कहते हैं वह सभी आप हल कर दोगे, मैं ऐसा कभी सोचता भी नहीं हूं लेकिन उसके कारण से मन का दु:ख था और इसीलिए हमने आपके सामने कहा है।

मैं सोचता हूं कि आपकी बात को और हमारे मन को जो पीड़ा पहुंची है, मैं चाहता हूं कि मैं और मेरा दल आज के जो पांच और विधेयक लाकर आप पास करवा रहे हैं, मैं उस पर अपनी सहमति नहीं देता और अपने दल की तरफ से भी सहमति नहीं दे रहा हूं।

बहिर्गमन

इसलिए मैं और मेरा दल वाक-आउट करके आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करके जाते हैं। आप सबका धन्यवाद।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री हरीश चौधरी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 लेकर आई है। यह संशोधन असल में बड़ी-बड़ी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए और अनंत जमीनों के संग्रहण के उद्देश्य से लाया गया है।

यह संशोधन किसान विरोधी है। एक तरफ तो हमारी सरकार केन्द्र सरकार की निजीकरण की नीतियों का विरोध करती है और दूसरी तरफ खुद हमारी ही सरकार पूंजीपतियों को किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव नीलाम करवाना चाहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का दोहरा चरित्र है। आज बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर के किसानों की जमीन भारतमाला योजना के नाम पर अधिग्रहीत की जा रही है। यह केन्द्र सरकार का प्रोजेक्ट है मगर हमारी सरकार की पुलिस, ठेकेदारों के लठैत बनकर मुआवजा नहीं लेने वाले किसानों पर लाठियां चला रही है और मुकदमे दर्ज कर रही है। मेरा सरकार से यह आग्रह है नापासर थाने के थानेदार संदीप पूनिया और एस.आई. श्रीमती उम्मेद जाट, जिन्होंने किसान नेताओं के साथ थाने में मारपीट की, उन्हें तुरंत निलंबित कर इस प्रकरण की जांच श्रीडूंगरगढ़ एस.डी.एम. से करवाई जाए तथा किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमे तुरंत वापस लिये जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह स्वीकार भी किया है कि भाजपा कार्यालय के पत्र ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिल पर बोलें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि सरकार कोई अध्यादेश लाती है तो निश्चित रूप से जनता को फायदा पहुंचाने के लिए लाती है मगर सीमा जोतों का जो अभी यह अध्यादेश लाया गया है, इसमें आम किसान, आम गरीब, जोत का जो उद्देश्य है उनका सौर ऊर्जा का होगा, प्रोजेक्ट का होगा मगर जहां आम किसान के हाथ से जमीन निकल जाएगी, बड़ी-बड़ी कम्पनियां जमीन खरीद लेंगी तो मैं यही कहूंगा कि इस पर विचार किया जाए और आम किसान को राहत पहुंचाने के लिए तुरंत इस पर विचार किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 जो लाया गया है, राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और यह बात भी सही है कि यह सारे काम जमीन पर होने हैं। सरकार की यह मंशा है कि सरकारी भूमि के अलावा निजी मालिक, किसान या दूसरे मालिक हैं, उनसे जमीन अभिगृहीत की जाए। इस विधेयक में जो हमारी मांग है, वह मांग यह स्पष्ट है कि किसान से अगर जमीन ली जाती है पवन ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए तो एक तो बाजार रेट से दोगुने उसको दाम दिये जाएं और दूसरा जितना मेगावाट का वहां पर जो संयंत्र लगे उसमें परमानेंट किसान को उसका शेयर होल्डर बनाया जाए।

दूसरी बड़ी बात जो हमारे सामने संभावनाएं आ रही हैं, जैसा कि मेरे साथी श्री गिरधारीलालजी ने कही, यह छोटी-छोटी जोत वाले किसान जो सुलट जाते हैं इस चीज के अंदर, मैं आज आपके बीच एक ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा इस बिल के साथ-साथ कि खेतड़ी-बीकानेर मीटर के नाम से 765 के.वी. पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी का एक प्लांट काम कर रहा है, जिसमें करीब पौन बीघा में एक पोल लग रहा है और झुंझुनूं में किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, न तो कम्पनी मुआवजा दे रही है और न ही कम्पनी ने, बीकानेर के या चूरू के या झुंझुनूं के किसी भी कलेक्टर से सम्पर्क किया। यूं ही हवा में काम चल रहा है, एक पोल जो 765 के.वी. का है, मैं नहीं समझता हूं इस भाषा को लेकिन वह इतना करंटदार तार होगा जिससे किसान उसके पास खेती भी नहीं कर पाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस विधेयक के साथ हमें इन चिंताओं को दूर करके इस विधेयक को पास करने की जरूरत है। किसान को उसका मुआवजा देने की जरूरत है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में परमानेंट जिस किसान की जितनी जमीन जा रही है उसको उतना प्रतिशत शेयर होल्डर बनाया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का मुझे मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा पर मैं संदेह नहीं करता।

(श्री बलजीत यादव)

मैं जानता हूं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं और मैं तो यह कहूंगा कि पूरे कंट्री में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके पास सबसे बड़ा लैंड बैंक है। हिन्दुस्तान के कोई भी अन्य स्टेट्स हैं, उनके पास जमीनें नहीं हैं। हमारे पास जमीन है, उसका ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी इरादे से शायद सरकार ने यह बिल लाने का निर्णय किया कि उस जमीन का यूज किया जा सके लेकिन मेरा एक सुझाव है और मेरी एक आपत्ति भी है। आपने निजी भूमि को लेने का बिल में रखा लेकिन जो काश्तकार है उसके हितों की रक्षा कैसे होगी, इस बारे में कोई स्पष्ट इसमें नहीं रखा गया है।

यू.पी.ए. की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधीजी ने एक बार यह कहा था कि किसान की जमीन अगर लें तो डी.एल.सी. रेट का उसको कम से कम तीन गुणा दिया जाए। सॉरी, चार गुणा। चार गुणा दिया जाए, ऐसा इस बिल में कुछ देखने को नहीं मिला।

(15.00 बजे)

इसके साथ ही, मैं सरकार से यह चाहता हूं कि एससी., एस.टी. की जमीनें कानून के मुताबिक बेच नहीं सकते लेकिन धनाढ्य लोग, बड़े लोगों ने उनकी जमीन को खरीद लिया एग्रीमेंट के आधार पर, सरकार ऐसा भी कुछ लाए कि जितनी भी जमीनें, जो एस.सी., एस.टी. की है, वह एस.सी., एस.टी. के लोगों के पजेशन में हैं, जिनके नाम से जमीन हैं, क्या वास्तव में वह उसके पजेशन में है या उस जमीन पर कोई और काबिज है? यह सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए थी जिससे कि उसके हितों की रक्षा होती और जो यह बिल है, कहीं ऐसा न हो कि इससे काश्तकारों का शोषण हो जाए और उनकी जमीनों को धन्ना सेठ पूरी तरह से हड़प लें। इस बात पर सरकार को चिन्ता करनी चाहिए।

मैंने जनमत जानने के लिये, परिचालित करने के लिये इसके अंदर दिया। इसमें सरकार की भावना में कोई मुझे संदेह पैदा नहीं हुआ, सरकार की भावना अच्छी है और निश्चित रूप से जमीन काश्तकार के नाम है लेकिन उस पर खेती नहीं हो रही है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह उस पर कोई सौर ऊर्जा के रूप में उस जमीन का उपयोग कर सके। इसलिए अगर उस जमीन को अच्छी रेट के ऊपर खरीदा जाएगा तो इससे वह किसान कुछ और काम कर सकता है और जो उद्योगपति है, वह उद्योग लगा सकता है, जिससे

(श्री बलजीत यादव)

राजस्थान को फायदा होगा। इसलिए इन सब बातों को रखते हुए मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमाराम चौधरी, प्रवर समिति के लिये रखेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सीलिंग एक्ट का संशोधन यहां प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। सीलिंग एक्ट जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन थी, उनसे जमीन लेकर भूमिहीनों को जमीन बांटने के उद्देश्य से 1973 में यह सीलिंग एक्ट पास हुआ। उसके बाद में 2012 में फिर संशोधन हुआ, गैर-कृषि कार्य के लिये सीलिंग सीमा से अधिक भूमि रख सकते हैं। अब यह फिर संशोधन आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, जो सोलर पावर प्लांट लगाती हैं, विंड पावर प्लांट लगाती हैं, यह कम्पनियां राजस्थान में पश्चिमी जिलों में बाड़मेर, विशेषकर जैसलमेर में आयी हैं और वहां पर विद्युत का उत्पादन भी बड़े स्तर पर हो रहा है। यह कम्पनियां जमीन को किराये पर ले सकती हैं और अभी लाखों बीघा जमीन किसानों की इन कम्पनियों ने किराये पर ली हैं। अगर ये जमीन किराये पर लेकर सोलर प्लांट और विंड पावर प्लांट लगायें तो उस किसान को नियमित रूप से साल का किराये के रूप में पैसा मिलता रहेगा और वह किसान और उसका परिवार, बच्चे जिंदा रह जाएंगे। नहीं तो, आपने एक बार जमीन उससे ले ली और उसको चाहे आप कितना ही ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे दें, बाड़मेर में, कपूरडी में कोल के लिये जमीन एक्वायर की थी, तीन लाख रुपये, पांच लाख रुपये बीघा तक जमीन का काश्तकारों को पैसा दिया, वह पैसा काश्तकार के कोई काम नहीं आया। उन काश्तकारों ने गाड़ियां खरीद लीं और नशे की तरफ बढ़ गये। पैसा नशे में खर्च कर दिया। काश्तकार पैसे का उपयोग करना जानता नहीं है इसलिए काश्तकारों को चाहे आप कितना ही मुआवजा दे देंगे तो वह पैसा ऐसे ही जाएगा और काश्तकार बिलकुल भूमिहीन हो जाएगा। तो काश्तकार भूमिहीन नहीं हो? सरकार की अगर यह मंशा हो कि काश्तकार भूमिहीन नहीं हो तो यह कम्पनियों को जो आप सीलिंग से ज्यादा जमीन खरीदने की छूट दे रहे हैं, इस छूट से उनको सीधा-सा फायदा होगा और किसानों को बड़ा भारी नुकसान होगा इसलिए आप इस बात पर विचार करें,

(श्री हेमाराम चौधरी)

आप गहनता से, गंभीरता से थोड़ा सोचें। किसान की जमीन आप किराये पर ले लें। आप किराये पर लेकर प्लांट लगाएं। अभी हो रहा है, मुझे मालूम है। हमारे ही कुछ रिश्तेदारों ने, लोगों ने जमीन को किराये पर दी, कम्पनियों ने ली। पहले आठ-साढ़े आठ हजार रुपये प्रति बीघा में जमीन किराये पर ली। अब बहुत ज्यादा कम्पनियां आयीं तो वहां भाव बढ़ गये। अभी 14 हजार रुपये हो गये। शाले मोहम्मद जी को पता है इस बारे में, 14 हजार रुपये प्रति बीघा तक किराये पर ले रही हैं कम्पनियां। जब यह कानून पास हो जाएगा तो उसके बाद में वह किराये पर जमीन लेना बंद कर देंगे। फिर वह सीधी जमीन खरीदेंगे और खरीदकर किसानों को भूमिहीन बना देंगे क्योंकि फिर यह सारी जमीनें खरीद लेंगे। बोर्डर बिका, यह पहले आपने सुना होगा। कितनी जमीनें बिकीं, फिर क्या हुआ उसका? उसका इतना हल्ला हुआ, विधान सभा में हुआ, बाहर भी हुआ लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। इसका भी वही नतीजा होगा अगर इस बार यह कानून पास हो गया तो सारे किसानों की जमीनें छिन जाएंगी और किसान भूमिहीन हो जाएंगे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जमीन को किराये पर ले लें और किराये पर लेकर यह पावर प्लांट लगाएं, बिजली का उत्पादन करें, अच्छा काम है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

आप बिल ले आये, बिल ले आये तो कोई बात नहीं। पर आप इसको सलेक्ट कमेटी को सौंप दें, फिर सलेक्ट कमेटी इस पर अच्छी तरह से विचार करे। उस कमेटी में सदन के सभी दलों के सदस्य होंगे, वह रिपोर्ट दे देंगे और अगले सत्र से पहले रिपोर्ट दे दें, फिर उसके बाद इस बिल को ले आयें। इतनी जल्दी क्या है? रातों-रात वह कम्पनियां क्या सोलर प्लांट लगाएंगी? साल भर से ज्यादा समय के लिये जमीन किराये पर ले लें। वहां पर अभी साल भर से किराया दे रहे हैं, पर वहां पर अभी तक सोलर प्लांट नहीं लगा है, प्लांट लगने में टाइम लग रहा है। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि यह बिल आप सलेक्ट कमेटी को भेज दें। आप प्रेस्टिज का पाइंट नहीं बनाएं। मैं भी जब इर्रिगेशन मंत्री था, तब एक बिल आया था किसानों की सिंचाई के संबंध में। वह किसानों के खिलाफ था इसलिए मैंने वह बिल सलेक्ट कमेटी को भेजा। मेरा राजस्व मंत्रीजी से, सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन है कि आप इसको प्रेस्टिज का पाइंट नहीं बनाएं, नाक का सवाल नहीं बनाएं और यह बिल आप मेहरबानी करके सलेक्ट कमेटी को भेज दें और अगले सत्र में आप इसको

(श्री हेमाराम चौधरी)

ले आएं। जैसा सलेक्ट कमेटी रिपोर्ट दे, उसके आधार पर आप करें। यही मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है। अगर आप मेरा अनुरोध सुनेंगे तो यह किसानों के हित में होगा।

किसानों के लिये मैं अपना दायित्व समझता हूं कि किसानों की बात, मैं किसान का बेटा हूं, अगर यहां विधान सभा में नहीं बोलूंगा और इसको पास कर देंगे तो किसान हमको हमेशा कहेंगे कि लानत है तुमको, किसानों के लिये ऐसा कानून पास हुआ और आप बोले तक नहीं। इसलिए बोलना मेरा फर्ज था, मैंने बोल दिया, पर फैसला आपको करना है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री हरीश चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी सम्मानित सदस्यों ने कामरेड गिरधारीजी, बलवान पूनियांजी, बलजीत यादव जी और हेमाराम चौधरीजी ने अपनी-अपनी राय रखी। मैं उनको, सदन को और राजस्थान की जनता को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल किस संदर्भ में रखा गया, यह राय किस संदर्भ में रखी गयी, इसके अंदर किसी प्रकार का मेल नहीं है। जहां तक किसान की बात है, मैं खुद किसान परिवार से हूं, किसान हूं। जहां तक भूमि अधिग्रहण की बात है जहां से इस देश के अंदर भूमि अधिग्रहण की बात शुरू हुई थी भट्टा परसौल की यात्रा से उस दिन मैंने खुद पैदल चलकर भूमि अधिग्रहण बिल के समर्थन में वह कार्य किया था, तब मैं लोक सभा का सदस्य था। उस समय लोक सभा के अंदर भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ। किसी भी प्रकार के किसान के हक और अधिकार के खिलाफ हरीश चौधरी राजस्व मंत्री रहते हुए कोई भी फैसला अपनी कलम से नहीं करेगा, यह मैं आपको इस सदन के अंदर विश्वास दिलाना चाहता हूं।

इस बिल के अंदर है क्या? इस बिल के अंदर कोई भी प्रावधान इस तरह का नहीं है जिसमें भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में किसान के अधिकारों को लिया जाए। मैं तमाम सदस्यों को और राजस्थान के सभी लोगों को वापस निवेदन करना चाहता हूं सिर्फ समय सीमा के संदर्भ में है। आज देश के अंदर स्थिति क्या बनी हुई है, एक करोड़ लोग, एक करोड़ नौजवान, जिसमें अधिकतर किसान परिवार के नौजवान थे, कोरोना से पहले बेरोजगार हो गये। पिछले महीनों के अंदर दो करोड़ लोग जिनकी नौकरी लगी हुई थी, वे बेरोजगार हो गये। उसमें अधिकतम कौन लोग थे? किन्हीं धनाढ्य सेठों के परिवार के लोग नहीं थे, सामान्य किसान परिवार के लोग थे।

(श्री हरीश चौधरी)

आज हम लोगों को पूरे देश और दुनिया के अंदर किस बात की चिंता है? कोरोना के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी बात की चिंता है तो पर्यावरण की है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा किसी की चिंता है तो देश की आर्थिक स्थिति की है। पैट्रोलियम के माध्यम से हम लोगों की गाढ़ी कमाई, कमाई किसी सरकार की नहीं होती है कमाई इस देश के नागरिकों की होती है, उस गाढ़ी कमाई को हम पैट्रोलियम के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर अपनी मुद्रा देकर और हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो चुकी है, पर्यावरण के संदर्भ में पैट्रोलियम के संदर्भ में अगर हमारे पास कोई भी दूसरा विकल्प है, यह सौर ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी के लिये है।

जहां तक किराये के संदर्भ में है, इस बिल के किसी भी प्रावधान के अंदर कोई भी संशोधन नहीं है। पहले भी किसान को अधिकार था, तमाम किसानों को अधिकार था, हां मैं यह मानता हूं कि उसके अंदर एससी., एस.टी. को अधिकार नहीं है। यह आपकी चिंता बिलकुल जायज है कि जब एक सामान्य नागरिक को यह अधिकार है तो एस.सी., एस.टी. के लोगों को अपनी जमीन को किराये में देने के लिए अधिकार नहीं है, वह चिंता अगर आप उठाना चाहते हैं तो मैं बिलकुल आपकी चिंता से सहमत हूं कि जब सामान्य वर्ग को अपनी जमीन किराये पर देने का अधिकार है और एस.सी., एस.टी. अपनी जमीन किराये पर देना चाहता है तो उसके अंदर इसका प्रावधान नहीं है, अगर उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर नियम के अंदर ऐसा संशोधन करेंगे जिससे यह एस.सी., एस.टी. अपनी जमीन बेचे नहीं और एस.सी., एस.टी. अपनी जमीन किराये में लेकर आयें। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के अंदर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया, मैं इसको दोहरा रहा हूं, जिससे किसान का हक और अधिकार किसी भी निजी कंपनी को दिया जाए, सिर्फ समय सीमा के संदर्भ में है, मैं वापस निवेदन करना चाहता हूं इस बिल का अध्ययन करने के बाद।

कोई भी अहंकार की बात नहीं है, इस लोकतंत्र के अंदर अहंकार बिलकुल भी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर हमारा दायित्व यह बनाता है कि प्रदेश

(श्री हरीश चौधरी)

आगे कैसे बढ़े, उस बढ़ते हुए प्रदेश के अंदर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे रहे, उसके अंदर किसान आगे कैसे रहे, मजदूर आगे कैसे रहे, यह हर किसी की चिंता है, जिन माननीय सदस्यों ने बोला उनकी भी चिंता है, जो नहीं बोल पाये उनकी भी चिंता है और हर नागरिक की चिंता है। मैं वापस विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी किसान को, मजदूर को किसी भी प्रकार के निर्णय के अंदर कोई भी नजर अंदाज नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल साहब।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, मुझे पारित में 2 मिनट बोलने दो न।

श्री अध्यक्ष: बिल तो पास हो गया, और कोई बात कहनी है क्या अपने को?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैंने बोलने के लिए हाथ खड़ा किया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब वह स्टेज ही नहीं है, वह पारित स्टेज ही नहीं है। आप सीनियर आदमी हो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं, पारित के लिए इन्होंने प्रस्ताव किया।

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर आदमी हो प्लीज, हेमाराम जी, बैठो। पारित स्टेज पर आप भूल चुके हैं, प्लीज। माननीय धारीवाल साहब। महेश जी। धारीवाल साहब, हां पहले वह रख दें।

धारीवाल साहब, आप बोलें इसके पहले 2 मिनट मैं निवेदन कर दूं।

(श्री अध्यक्ष)

अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता कुछ बात कहकर गये थे। मैं आप सबकी जानकारी में भी लाना चाहता हूं कि कोरोना के कारण हमने स्वयं ने बैठकर चर्चा की, हम चाहते थे कि सदन लम्बा चले पर कोरोना का इम्पैक्ट कैसा हो, इसकी हमें जानकारी नहीं थी इसीलिए हमने प्रश्न काल नहीं रखा था कि जब प्रश्न काल होता है तो अधिकारी आते हैं इसलिए सोच समझकर प्रश्न काल को नहीं रखा गया। इसके पीछे यह मंशा नहीं है कि प्रतिपक्ष मुद्दों को नहीं उठावे, सरकार जवाब, यह मुद्दा नहीं था। शून्य काल और प्रश्न काल को रोकने के पीछे मंशा यह थी कि एक बार कोरोना के बाद हम पहली बार असेम्बली में मीट कर रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट को चैक कर लें और उसके बाद हम इन चीजों को व्यवस्थित ढंग से कर सकें और आप स्वयं ने देखा होगा कि हिन्दुस्तान में अभी किसी भी असेम्बली में यह प्रश्न काल और शून्य काल नहीं हो रहे हैं।

एक कदम आगे मुझे यह कहते हुए तकलीफ भी होती है और सदन के ध्यान में लाते हुए भी होती है कि बिहार में एक दिन की असेम्बली हुई उसमें लगभग 13 विधेयक पास किये गये, प्रश्न काल भी नहीं हुआ। लोक सभा और राज्य सभा के अंदर भी अभी अध्यक्ष महोदय यह चर्चा कर रहे हैं कि प्रश्न काल को लें या नहीं लें।

इसलिए मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से और पूरे राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे प्रश्न काल हो, चाहे शून्य काल हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे और कोई समस्या हो, सदन में चर्चा करने के लिए सदन स्वतंत्र है और मुझे सत्ता पक्ष के जो हमारे नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि वे भी चर्चा करने के लिये अपने आप में तैयार हैं।

इसलिए कोरोना के इम्पैक्ट को देखते हुए यदि हम ठीक समझेंगे तो सदन को फिर दोबारा बुलाएंगे जिसमें प्रश्न काल भी होगा, शून्य काल भी होगा, बिजली की समस्या पर भी चर्चा होगी, किसान की समस्या की भी चर्चा होगी, बेरोजगारी की समस्या की भी चर्चा होगी और उन सब जन समस्याओं की चर्चा होगी जो जनता सदन से अपेक्षा करती है और इसीलिए मैं आप सब के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं जनता के बीच में जाएं, उन जन समस्याओं को पहचानें जिससे हम समय पर उनकी चर्चा कर सकें।

आज जिस तरह के वातावरण में हमने अपेक्षा की थी कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी हमारे इन बिल पर चर्चा में भाग लेंगे, मुझे दु:ख है कि वह

(श्री अध्यक्ष)

चर्चा में भाग नहीं ले पाये और कुछ कठिन निर्णय भी लेने के पीछे मंशा यही थी कि बिल कैसे पास हो, यह सदन में समझने की आवश्यकता है। प्रवर समिति क्या होती है, जनमत क्या होता है, बिल का डिबेट ऑफ स्कोप क्या है, यह सब चीजें हम सीखेंगे तो हमारा जो फंक्शन है उसको प्रभावशाली ढंग से कर सकेंगे। यही सोचकर सदन में कुछ हार्श निर्णय लेने पड़े और उन हार्श निर्णय के कारण प्रतिपक्ष के हमारे साथी आज बाकी के बिलों की चर्चा में भाग नहीं ले पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो और वे सब सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।

मैं माननीय संसदीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव के संबंध में अपनी बात रखें।

निलम्बन निरस्तीकरण

राजेन्द्र राठौड़, श्री, सदस्य के निलम्बन का निरस्तीकरण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा खेद प्रकट करने के बाद, खास तौर पर श्री राजेंद्र जी राठौड़ के व्यवहार के प्रति खेद प्रकट करने के बाद अब इसका कोई महत्व तो रहता नहीं है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिस प्रस्ताव के द्वारा उनको सदन से सदन के बाकी समय के लिए निकाला गया था, वह मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की आज्ञा है?

(स्वीकृत)

सदस्य का निलम्बन प्रस्ताव निरस्त किया गया।

राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: जनमत पर बोलने वाला कोई साथी नहीं है। श्री बलजीत यादव, बोलेंगे? श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020 पर मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, अभी ग्राम रक्षक के रूप में सरकार अवैतनिक रूप से 30 साल से अधिक 55 से कम के कुछ लोगों को भर्ती करने की मंशा रखती है, उस बारे में इसमें संशोधन लेकर आये, यह विधेयक लेकर आये। मेरा ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं सिर्फ इतना-सा कहना चाहता हूं कि चुनाव घोषणा पत्र में भी कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि जो भी लोग संविदा पर लगे हुए हैं उन सबको हम नियमित करेंगे लेकिन अभी तक पूरी तरह से यह भी काउंट नहीं हो पाया है कि कितने लोग संविदा पर किस-किस विभाग में लगे हुए हैं।

मेरा इतना-सा कहना है कि हम किसी भी चीज पर चाहे अवैतनिक रूप से करें या कान्ट्रैक्ट पर करें, अपन लोगों को भर्ती कर लेते हैं। 30 साल के नवयुवक को अपन अवैतनिक रूप से ले लेंगे और वह सपना पाल कर बैठ जाता है कि मैं शायद कोई नौकरी लग गया हूं, अवैतनिक हूं। फिर वह डिमांड करने लगते हैं कि हमारे को वेतन दिया जाए, फिर वह डिमांड करने लगते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। मेरा सिर्फ इतना-सा सुझाव है कि पुलिस की नफरी कम है, इस बात को सब लोग बोलते हैं और अपन पुलिस की हैल्प के लिए इनको रखना चाहते हैं, पुलिस के सब-इंस्पेक्टर की कितनी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, कान्स्टेबल की खाली पड़ी हुई हैं मैं इतना-सा चाहता हूं कि ये सब करने के बजाय अगर सरकार कांस्टेबल की भर्ती निकाले, पुलिस की नफरी बढ़ाए तो वे सींसियरली काम करेंगे।

आपने यह रखा, उसको ग्राम रक्षक बना दिया लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि उसके पास कौनसी शक्तियां होंगी, वह कैसे क्या कर सकता है, कैसे वह क्राइम को कंट्रोल करेगा, क्या उसका योगदान ठीक से होगा? मैं तो समझता हूं कहीं ऐसा न हो जाए कि आप गांव-गांव में थाने के दलाल पैदा कर दें। अगर हम व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है, जो जवान आदमी ऐसा कहेगा कि मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए, कोई तनख्वाह नहीं चाहिए और मैं तो मुफ्त में काम करूंगा। ऐसा मुझे तो व्यावहारिक दृष्टि से सही नहीं लगता कि कोई भी तैयार होगा। कहने को कोई

(श्री बलजीत यादव)

भी कह सकता है। इस कारण या तो उसको कोई शक्तियां दीजिए। अगर आप उसको फिर भी रखना चाहते हैं, अगर आपने तय कर लिया तो फिर आप इसमें रखिये कि हम उसको इतना पैसा देंगे। उस आदमी से कोई एफिडेविट लिया जाए कि आइंदा से वह कोई और डिमांड आगे नहीं रखे कि मुझे परमानेंट किया जाए। इन सभी चीजों को खोला जाए। यही मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह है कि पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए। यह ज्यादा अच्छा होगा। वह क्राइम को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय होगी, बाकी तो यह सब इतनी भीड़ बढ़ जाएगी कि काम कुछ होगा नहीं। मैं इसलिए यह चाहता हूं कि थोड़ा-सा, क्षणिक किसी को राज़ी करने के लिए या हम सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा कोई काम न करें जिससे फ्यूचर में हम सबको परेशानी का सामना करना पड़े। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 6-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खंड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 48 में न्यूनतम जो प्रोविजन दे रखा है कि 30 वर्ष वाले व्यक्ति को ही ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम रक्षकों के लिए सूचीबद्ध किया जा सकेगा, उसको बढ़ाकर 40 वर्ष किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, एक बार थर्ड रीडिंग में बोल जाएं, उसके बाद आप बोल लें। आप बैठ जाएं। श्री बलवान पूनियां। इसके बाद बोल जाएं, आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, बोल लें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 48 में जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम रक्षक की बात आई, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। आप प्रस्ताव रखें। पारित का प्रस्ताव रखें।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, जो पारित करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है, सरकार यह चाहती है कि पुलिस और जनता के बीच समन्वय हो। इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस मित्र के नाम से भी कई बातें आईं। जो पहले का अनुभव बता रहा है, जो पुलिस मित्र के नाम से लोगों को गांव में बनाया गया था, वह शब्द हम वास्तव में विधान सभा में इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उनकी भूमिका ऐसी रही है। मैं समझता हूं कि आगे से ये भूमिकाएं सुधरेंगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना यह है कि जो पुलिस की कमी है, सरकार उसको पूरा करे। पुलिस के जवानों की जो कमी है, सरकार उसको पूरा

(श्री बलवान पूनियां)

करे। पुलिस के जवानों की जो मांग चल रही है, जिन्होंने 24 घंटे काम किया है, उसको 2400 ग्रेड-पे की बजाय 3600 करें, जिससे कि उसका हौसला बढ़े चार ग्राम रक्षकों जितना काम तो पुलिस का एक जवान ही कर सकता है। ये होम गार्ड के जवान हैं, इनको हमने रख रखा है। ये काम ज्यादा कर सकते हैं। इन अवैतनिक लोगों के थाने जाने के लिए साधन क्या होगा? वह थाने क्यूं जाएगा? थाने में सूचना कैसे करेगा? उसको फोन कौन देगा? उसके फोन का बिल कौन देगा? इसको हम इसलिए हमारे गले की घंटी न बनाएं। हम जनता की मदद करने के लिए भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएं। मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो पुलिस एक्ट, 2007 है, इसकी 3-4 धाराओं में परिवर्तन किया गया है, 48 (3) में प्राथमिकता बदली गई है। प्राथमिकता के क्रम में पहले यह था कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों, नंबर दो निकाय के कर्मचारी, नंबर तीन गृह रक्षा स्वयंसेवक और नंबर चार भूतपूर्व सैनिक। चूंकि गांव में टीचर, नर्स, पटवारी, निकाय कर्मी के पद बहुत कम होते हैं, राज्य कर्मचारियों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को ग्राम रक्षक के रूप में उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, इस कारण इसको बदला गया है।

दूसरा, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सेवानिवृत्त अर्द्ध सैनिक हैं तथा गृह रक्षा स्वयंसेवक और इनके उपलब्ध नहीं होने पर उस गांव का कोई भी लड़का, युवक जो आठवीं पास है, उसको इसमें रखा जाएगा।

तीसरा, 3 वर्ष के लिए जो कार्यकाल दिया गया है, वह 2 वर्ष किया गया है। धारा 50 में ग्राम रक्षक के कर्तव्यों और जिम्मेदारी में गश्त लगाने में सहायता को भी जोड़ा गया है।

जहां तक पूनियां साहब ने कहा कि उसको कुछ नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? धारा 53 (2) को पढ़िए आप, इसमें ग्राम रक्षकों को मानदेय जो सरकार उचित समझे, देने का प्रावधान किया गया है। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक्ट इसलिए बनाया गया है कि 13 साल से कोई ग्राम रक्षक रखा ही नहीं गया। अब सरकार की मंशा यह है कि इसमें ग्राम रक्षक रखा जाए इसलिए प्राथमिकताएं भी बदली हैं। उनके मानदेय का भी सरकार ने तय किया है। यह भी तय किया है कि किस प्रकार से उस गांव की सुरक्षा किन हाथों के जरिए हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया गया।

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020। परसादी लाल जी मीणा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, एक तो यह कि इस विधेयक के शब्द बहुत सख्त हैं। राज्य सशक्त समिति की अधिकारिता के अधीन आने वाले विनिधान प्रस्तावों को और अधिक प्रभावी रूप से सुकर बनाने और राज्य में उद्यमों की स्थापना के लिए अपेक्षित अनुमोदनों/अनुज्ञाओं हेतु शीघ्रता के लिए विनिधान संवर्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.) के माध्यम से विनिधानकर्ता को एक ही छत के नीचे व्यापक और निर्बाध सहायता उपलब्ध करवाने के लिए वन स्टाप शॉप के नाम से एक नई संकल्पना को लाया जाना समुचित समझा गया।

मंत्री महोदय, यहां तक आप सही जा रहे हो और सरकार का प्रयास भी सही है। लास्ट में आकर जो लोगों को छोटे-छोटे उद्योगों के लिए सरकार की जरूरत है, आपकी एकल खिड़की की जरूरत है, सारी फाइल कमप्लीट करके उसका उद्योग लगाने के लिए, उसको काम करने के लिए वहां तक ले जाएंगे लेकिन बैंक आकर मना कर देता है। बैंक पैसे नहीं देता है। बैंक ऋण नहीं देता है। बैंक यह कहता है कि बराबर में गारंटी के लिए रखेगा क्या। अगर गारंटी में रखने के लिए ही कुछ हो तो फिर एकल खिड़की में क्यों आएगा?

मंत्री महोदय, इसलिए इसमें यह स्पष्ट करो कि जो आदमी वास्तव

(श्री बलवान पूनियां)

में डेयरी करना चाहता है, छोटे काम करना चाहता है, खराद-वैल्डिंग की दुकान करना चाहता है, मजदूरी का काम करना चाहता है या छोटा-मोटा उद्योग लगाना चाहता है, उसको लोन आसानी से कैसे मिलेगा? यह स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का आदमी पूरे हिन्दुस्तान में अपनी क्षमता का डंका बजा चुका है। गुजरात से लेकर असम तक, अंडमान निकोबार से लेकर सिक्किम तक कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहां राजस्थान के आदमी ने अपनी क्षमता से झंडे नहीं गाड़े हों।

अध्यक्ष महोदय, उनकी अपनी जन्म भूमि, उनका अपना प्रदेश लगातार उद्योग के क्षेत्र में जिन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना चाहिए, उस तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। समय-समय पर सरकारों ने अपनी ओर से प्रयास किये। माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत अपनी पिछली सरकार में, 2011 में यह सिंगल विंडो एक्ट लेकर आये थे। सिंगल विंडो प्रणाली उन्होंने लागू की थी।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार भी लगातार इस संबंध में अपना आकलन करती रहती है। यह जो रैंकिंग का सिस्टम है भारत सरकार का, उसमें समय-समय पर आकलन किया जाता है कि कौनसा स्टेट उद्योग की स्थापना के लिए, उद्योग की सक्रियता को सुगम बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। राजस्थान, भारत सरकार की उस रैंकिंग में भी लगातार पिछड़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह राजस्थान का जो रैड टेपिज्म है, यह लगातार उद्योगों के रास्ते में बाधा बना हुआ है। आप सिंगल विण्डो प्रणाली लेकर आये, इसके बाद भी राजस्थान में जो गति आनी चाहिए थी, वह नहीं आ पायी। एक जगह पर आवेदन हो जाता है, उसके बाद अलग-अलग डिपार्टमेंट में आप उसको भेज देते हैं, वहां जाकर वह पड़ा रहता है। कलेक्टर को कंवर्जन करना होता है, वह करता नहीं है। इन सबमें जो गति बननी चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह गति नहीं बनती इसलिए भारत सरकार ने 2015-16 की रैंकिंग में राजस्थान को इस तरफ बैटर एफर्ट के लिए पांचवें स्थान पर रखा और 2016-17 में आप फिर पिछड़कर आठवें नम्बर पर चले गये, 2017-18 में उससे भी ज्यादा पिछड़कर आप नवें नम्बर पर चले गये। एकल खिड़की के माध्यम से आवेदनों की स्वीकृति का क्रम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी लगातार गिरावट आ

(श्री संयम लोढ़ा)

रही है। 2017-18 में 4996 आवेदनों की स्वीकृति हुई वह गिरकर 2018-19 में 1427 हो गई और 2019 से अब तक आप 2020 तक ले लो तो हम 824 पर आ गये हैं। तो इस सारे उपक्रम का जो लाभ राजस्थान के औद्योगिक जगत को मिलना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह मिल नहीं रहा है। हालांकि मैं माननीय मंत्रीजी की इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने अपनी तरफ से इसमें इंसेंटिव देने में बहुत सार्थक प्रयास किये हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 की थी उसमें 2019 को आपने बहुत बेहतर किया है। जो निवेश अनुदान 30 परसेंट था एसजीएसटी का आपने उसको बढ़ाकर 75 परसेंट किया। रोजगार सृजन अनुदान है, एसजीएसटी का जो 20 परसेंट था, आपने उसको बढ़ाकर 50 परसेंट किया। पावर टैक्स जिसकी छूट मात्र 50 परसेंट थी 7 साल के लिए, उसको भी बढ़ाकर आपने 7 साल के लिए, 100 परसेंट किया। मण्डी शुल्क भी जो 7 साल के लिए 50 परसेंट था, आपने उसको बढ़ाकर 100 परसेंट किया। लैंड टैक्स भी 50 परसेंट था, उसको बढ़ाकर आपने 100 परसेंट किया। स्टाम्प ड्यूटी भी 50 परसेंट थी, उसको बढ़ाकर आपने 100 परसेंट किया और लैंड कंवर्जन में भी चार्ज में छूट है वह 50 परसेंट थी, उसको बढ़ाकर आपने 100 परसेंट किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे इंसेंटिव आपने दिये कि राजस्थान का औद्योगिक जगत समृद्ध हो, सक्षम हो। इसके अलावा आपने सेवा क्षेत्र को भी इसमें पात्र घोषित किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो ब्याज अनुदान भी आपने थ्रस्ट सैक्टर्स के अंदर 6 परसेंट था वह बढ़ाकर 30 परसेंट किया लेकिन जो नोटिफिकेशन बैकवर्ड एरिया, मोस्ट बैकवर्ड एरिया, डैजर्ट एरिया, ट्राइबल एरिया, हिल एरिया, इन सबके लिए जो जारी करने चाहिए, वे माननीय मंत्रीजी ने अभी तक नहीं किये हैं। रिप्स के अंदर सबसे बढ़िया बात जो आपने की, 400 करोड़ के निवेश के अंदर 400 से अधिक श्रमिकों के नियोजन पर कस्टमाइज पैकेज पहले आप दे रहे थे, उसको आप 100 करोड़ और 200 श्रमिकों पर ले आये। ये सारे बेहतरीन निर्णय 2019 की योजना में आपने किये हैं। इसके लिए मैं राजस्थान के सारे उद्यमियों की ओर से आपके प्रति साधुवाद प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करूंगा कि इस एक्ट में आप नया अमेंडमेंट लेकर आये हैं, आपने सैक्शन 2(ए) में एस्टेब्लिशमेंट एण्ड

(श्री संयम लोढ़ा)

कांस्टीट्यूशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड गठन का प्रोविजन किया है। "The Government shall establish and constitute a Board to be called the Board of Investment" लेकिन इसमें आपने 3 में एक्सप्लेनेशन दिया है, "The Minister in-charge and the Secretary in-charge of the concerned department(s) may be invited as special invitees in the meetings of the Board but they shall have no right to vote on any matter before the Board for decision." आप एक मंत्री को बोर्ड की मीटिंग में बुलाना चाह रहे हो और ऑन रिकार्ड उसके मत की भी कोई वैल्यू नहीं रखना चाह रहे हो, यह प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। एक ऑनरेबल मिनिस्टर इलैक्टेड है, उसने कांस्टीट्यूशन के आधार पर शपथ ली है। एक ऐसा बोर्ड बना रहे हैं आप जिसमें आपके ब्यूरोक्रेट बैठे होंगे, अधिकतम संख्या के अंदर, और खाली दो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसके स्थायी सदस्य होंगे, उसमें अगर आप इस तरीके का प्रावधान रखते हैं तो यह पूरी तरह से गलत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से विनती करूंगा कि आप इसमें संशोधन करें और स्पेशल इंवाइटी के रूप में जिस मिनिस्टर को भी आप मीटिंग में बुलाएं, उनका आप वोटिंग राइट रखें। डिपार्टमेंट के सैक्रेटरी का वोटिंग राइट रखें जिससे निर्णय में उनकी भी जवाबदेही रहे। खाली आपके चुनिंदा स्थायी मैम्बरों की नहीं रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कस्टमाइज पैकेज का आपने प्रोविजन किया है। सैक्शन 2(डी)(3) में "to provide approval for customized packages, concessions, exemptions or relaxations and other benefits to the enterprises which are beyond the scope of policies of the Government by making requisite amendments therein;" पॉलिसी से ऊपर जाकर आप किसी उद्यमी को लाभ देना चाहते हैं। एसजीएसटी में आप 75 परसेंट से 100 परसेंट करना चाहते हैं, आप उसको लाभ देना चाहते हैं। पहले ये सारे प्रस्ताव आप पालिसी से बढ़कर लाभांवित यदि किसी को करना चाहते थे, तो आप कैबिनेट में लेकर जाते थे। अब आपने वह प्रोविजन तो खतम कर दिया और बोर्ड में लेकर आ गये और यह सारा निर्णय आप इस बोर्ड में करेंगे। तो कैबिनेट का फिर क्या मतलब? क्यों नहीं आप पहले की तरह 75 परसेंट से ज्यादा किसी को बेनिफिट देना चाहते हो, तो उसको कैबिनेट में रखो? नहीं तो कैबिनेट के जो राइट्स हैं, हालांकि मैं

(श्री संयम लोढ़ा)

तो हूं नहीं, यह तो कैबिनेट मंत्रियों को सोचना है लेकिन फिर भी एक नागरिक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं ऐसा सोचता हूं कि इसमें सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के औद्योगिक जगत को आगे बढ़ाने के लिए यह सबसे जरूरी है कि रैड टेपिज्म खतम हो। आपके अधिकारी फाइल लेकर बैठ जाते हैं, आपका बाबू फाइल लेकर बैठ जाता है। जो बड़ा उद्यमी यहां बड़ा उद्योग लगाने के लिए आएगा, आप कागज भेज देंगे तो उसको वहां जाकर जब तक आप पर्सनल एप्रोच नहीं करें, वहां से वह कागज खिसकता नहीं है। अब आप इसमें यह नजरिया लेकर आये हैं कि हमारे 14 डिपार्टमेंट इसमें शामिल हैं। हम उनके जोइंट सैक्रेटरी को यहां लाकर बैठा देंगे, मैं समझता हूं कि व्यावहारिक रूप में राजस्थान में पिछले दस साल में प्रयास करने के बाद भी हम उस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ पाये हैं। इसके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप जिस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फलां जोइंट सैक्रेटरी को बनाएंगे, फलां प्रिंसिपल सैक्रेटरी को बनाएंगे। इससे बढ़िया है, आप नए लोगों को चयन करो। जो इण्डस्ट्री के फील्ड के, बिजनेस के फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप उनको इस बोर्ड में रखो। वे समझेंगे इन चीजों को कि हमको इन चीजों को कैसे करना है। बजाय जोइंट सैक्रेटरी को काल करने के। वैसे भी आप नोटिफिकेशन के जरिये उन सबके पावर तो ले ही रहे हो। आपका जो कमिश्नर है बिप्स का, उसको पावर सारे डैलीगेट कर रहे हो, ठीक है तो उसके साथ में एक्सपर्ट लोगों को रखो जो इण्डस्ट्री को समझते हों कि इण्डस्ट्री को किस तरह की जरूरतें हैं, उसको समझते हों, तो राजस्थान में आने वाले साढ़े तीन साल के अंदर हम अच्छे तरीके से औद्योगिक, इण्डस्ट्री फ्रैंडली एट्मोस्फियर का निर्माण कर सकेंगे। नहीं तो यह लालफीताशाही राजस्थान की औद्योगिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, यह बिजनेसमैन को चोर समझती है, इण्डस्ट्रियलिस्ट को चोर समझती है। उनका यह नजरिया रहता है कि ये बहुत कमायेंगे, ये बहुत पाने वाले हैं, पहले हमारे पास आएं। जब तक इस तरह के माइंडसैट वाले लोग इस पूरी प्रक्रिया से नहीं हटेंगे, हमारे पास कई तरह के एक्जाम्पल्स हैं, आप दूसरे स्टेट्स की गवर्नमेंट को देख लो, किस तरीके से यूनिट्स को इंवाइट करते हैं, लाकर एस्टेब्लिश कराते हैं, सारी सहूलियतें देते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता कि आपने पिछले पांच साल की तुलना में इन सहूलियतों को बहुत बढ़ावा दिया है लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि इण्डस्ट्री फ्रैंडली एट्मोस्फियर बनाने के लिए या तो इनका नजरिया

(श्री संयम लोढ़ा)

बदलें, इनकी ट्रेनिंग करें, कांउसलिंग करें, अदरवाइज आप एक्सपर्ट लोगों को इन्वाल्व करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जनमत के लिए प्रश्न पूछूं उसके पहले मेरी भी दो-तीन चीजें हैं। जो माननीय सदस्य ने कहा है कि मिनिस्टर इंचार्ज वहां पर होगा और उसे वोटिंग राइट नहीं होगा, यह इसमें प्रोविजन किया है। दूसरा प्रोविजन उन्होंने उठाया है कि इसमें जो बोर्ड है वह बोर्ड उन पॉलिसीज के बारे में फैसला कर लेगा जिनकी पावर कैबिनेट के पास हैं। ये दोनों प्रोविजन इसके अंतर्गत हैं, इसको देख लें। हम यह जो बिल पास कर रहे हैं, उस बिल को पास करने के बाद कल को यह उनकी दोनों चीजों का एनक्रोचमेंट नहीं हो, यह आप एन्श्योर कर लें क्योंकि मिनिस्टर इन्चार्ज, थर्ड रीडिंग में बुलाएंगे वे तो खाली अभी जनमत जानने से पहले जब जवाब देंगे तो पाइंट आउट करना चाहता हूं। अभी तो मैंने जो पाइंट आउट किया, उसमें मैं खाली यह कहना चाहता हूं कि दो बिंदु का जब आप जवाब दें, तब जरूर इस पर चर्चा करके आप बात कर लें। दो बिंदु, आपने एक तरफ मिनिस्टर इन्चार्ज को बोर्ड का मैम्बर भी बनाया और उसमें सीएम के अलावा बाकी सैक्रेटरी हैं और नीचे लिख दिया कि मिनिस्टर इन्चार्ज का वोटिंग राइट नहीं होगा। और दूसरा पॉलिसी में यह अधिकार दिया कि इस पॉलिसी के अंतर्गत यदि चीज नहीं आएगी तो भी बोर्ड सैंक्शन कर सकेगा एंटरप्राइजर को। तो यह चीज जब कैबिनेट के निर्णय करने के हैं, उसके कान्ट्रावेंशन में नहीं हो। मैं समझता हूं कि जब आप जवाब दें, तब आप जरूर इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करें तो उचित रहेगा।

प्रश्न यह है कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 10 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री परसादी लाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम यह राजस्थान उद्यम एकल खिड़की One Stop Shop जो विधेयक लेकर आ रहे हैं, इसमें मंत्री जी ने पूरे विधेयक में यह क्लीयर नहीं किया है कि कितना टाइम बाउंड आप लेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और इस लेवल पर आप कितना लाएंगे। आपने सिर्फ यह लिखा है- The time limit for processing of application will be done, but, जब भी आप यह करेंगे, आपका यह रैड टेपिज्म में पूरा जो आप लेकर आये हैं, यह फंस जाएगा। You have to say कि हम टाइम बाउंड करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल में 14 days में करेंगे या 7 days में करेंगे?

उसी तरह से बीआईटी लेवल पर, जब तक आप टाइम बाउंड इसमें

(श्री रोहित बौहरा)

नहीं लेकर आएंगे, यह जैसा आया है, यह वैसा का वैसा ही ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। इसका कोई औचित्य नहीं है। आप पिछली बार एमएसएमई का लेकर आये थे, याद हो तो मैंने उस पर भी बोला था कि यह आपका फेल होगा। वह फेल इसलिए हो गया कि एग्रीकल्चरल लैण्ड बैंक रखती ही नहीं है। आपने उसे पास करवा दिया। उस टाइम मैंने बोला था कि सेंट्रल लॉ है, एन्वायरनमेंटल क्लीयरेंस जब तब नहीं आएगी, आपके नये उद्योग नहीं लगेंगे। वह इसलिए नहीं चला।

जब तक आप इसमें, जैसा संयम जी का कहना है, आप इंडस्ट्री के आदमियों को नहीं रखेंगे, who know their jobs, आपके एयर कंडीशंड आफिस में ये जो ब्यूरोक्रेट्स आपकी पॉलिसीज बना रहे हैं, they are absolutely failure, क्योंकि वे समझते ही नहीं हैं। वे समझते ही नहीं हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री चलती है। यह आपको समझाना पड़ेगा। जब तक आप इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स नहीं लेंगे, आप ये जितने ले आएं, उनका कोई औचित्य नहीं है, साहब। मेरा इतना-सा कहना है कि इसमें आप इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स रखें, जिससे कि जितने आप लेकर आ रहे हैं, वे चीजें आपकी सक्सैसफुली चल सकें। धन्यवाद, साहब।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें बोर्ड प्रभावी नहीं होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक तो हम एमएसएमई एक्ट लेकर आये, यह सिंगल विंडो एक्ट, 2011 में हमारी सरकार लेकर आयी थी। उसके बाद दूसरी सरकार ने भी इसमें काफी अमेंडमेंट किये हैं और हम भी इसे और प्रभावी बनाने के लिए, किस तरह इन्वैस्टर्स को परेशानी न हो, राजस्थान सबसे सक्षम स्टेट हो, दूसरे स्टेट्स से हमारी कम्पीटिशन होती है निवेश करने वालों की, तो हमारी जब औद्योगिक सलाहकार समिति की मीटिंग्स वगैरह हुईं, उन्होंने कहा कि उस स्टेट में इतना अच्छा है, इस स्टेट में इतना अच्छा है, पर यहां पर निवेश करने वालों को काफी समय लगता है अपना प्रोजेक्ट लगाने में।

ये सब चीजें माननीय मुख्य मंत्री जी के जन घोषणा पत्र में भी कही गयी हैं। 2020-21 के बजट में भी उन्होंने इन्वैस्टमेंट बोर्ड के गठन का हाउस में अनाउंसमेंट किया था। उसी के अनुरूप किस तरह हम इसे और प्रभावी बनाएं, किस तरह हमारी रैंक, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री परसादी लाल)

सही कहा, हमारी रैंक बराबर गिरती जा रही है और यह प्रदेश के औद्योगिक जगत के लिए बहुत चिंता की बात है। निवेश करने वालों को और आकर्षित करने के लिए हम इसे और प्रभावी बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में इन्वैस्टमेंट बोर्ड का गठन कर रहे हैं। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, सम्बन्धित मिनिस्टर होंगे और जिन माननीय मंत्रियों को इसमें आमंत्रित करेंगे, 14 विभागों के मंत्री इसमें शामिल होंगे, 98 प्रकार की सेवाएं होंगी, जिसका वहां पर इन्वैस्टमेंट बोर्ड का एक आफिस होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी खुद बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे।

इसमें इस तरह का प्रोविजन है कि राजस्थान में इन्वैस्टर्स को कोई परेशानी न हो। पंजाब है, हमारा गुजरात है, कर्नाटक है, उन स्टेट्स के प्रोविजंस से भी एक कदम आगे बढ़कर, जैसे हमारे एमएसएमई एक्ट के बारे में राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि वह असरदार नहीं हुआ, मैं उनकी जानकारी के लिए कहूंगा कि हमारे एमएसएमई एक्ट के बाद 5 हजार से भी अधिक इन्वैस्टर्स यहां पर आये, उन्होंने एप्लाई किया, उन्हें परमिशन मिली और उद्योग लगाने की कार्यवाही शुरू हुई। हमारे एमएसएमई एक्ट की कापी मंगाकर तो पूरे हिन्दुस्तान के सारे राज्यों ने उसे लागू किया है और अभी भारत सरकार ने भी एमएसएमई का दायरा जो हमारा 10 करोड़ का था, उसे बढ़ाकर 50 करोड़ तक का किया है।

एमएसएमई वालों को तो अभी भारत सरकार का 2 लाख करोड़ का लोन का आया है, उसमें किसी गारंटी की ही जरूरत नहीं है। आप बैंक में जाएं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराएं, सरकार से परमिशन लीजिए, आपको बैंक सुविधाएं देंगी। इसलिए इन्वैस्टमेंट बोर्ड जो हम बना रहे हैं, उसके अध्यक्ष खुद माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, वे पूरी मानिटरिंग करेंगे, नीतियां बनेंगी। ऐसा नहीं है कि माननीय मंत्रियों को वोट का कोई अधिकार नहीं है। कैबिनेट के माननीय मंत्रियों, सम्बन्धित विभाग वालों को हम बुलाएंगे, उनकी राय को पूरी तवज्जोह देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी जब अध्यक्षता करेंगे तो किसी भी मंत्री को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसकी बात को मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से मानेंगे और यह बहुत बड़ा प्रभावशाली कदम इस एक्ट में हम लेकर आ रहे हैं। इसके रूल्स वगैरह बनेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों पर आपने जो आपत्तियां की हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी, इन सब चीजों का ध्यान रखा

(श्री परसादी लाल)

जाएगा। आज यह एक्ट पास होने के बाद हम कह सकते हैं कि इण्डिया में कोई भी स्टेट हम से आगे नहीं होगा इन्वैस्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, इसलिए हम इसे लेकर आये हैं। RIPS में भी हमने बहुत बड़ा अभी 2014 वाली RIPS पिछली सरकार की थी, अभी माननीय सदस्य ने कहा, हमने 100 परसेंट तक लोगों को छूट दी है इन्वैस्टर्स को। माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर इसकी मानिटरिंग करेंगे। इसका एक आफिस होगा। इसमें इन्वैस्टर्स को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमारे RIPS का जो चेयरमैन है, हमारे कमीशंड यूनिवर्सिटीज हैं, वे इसकी पूरी मानिटरिंग करेंगे। वे सारे RIPS के जो 14 विभाग के अधिकारी हैं, जिनकी भी आवश्यकता है, वे RIPS के आफिस में जाकर वहां पर अपनी आपत्तियां, अभी कहा कि टाइम बाउंड नहीं है, इसे टाइम बाउंड हम रूल्स वगैरह में करेंगे। पहले का भी टाइम बाउंड प्रोग्राम है, मैंने देखा है। कहीं 20 दिन, कहीं 30 दिन, कहीं 50 दिन, कहीं 120 दिन है, इसे घटाकर हम सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण के लिए ही हम इस एक्ट को लेकर आये हैं।

किस तरह हम इन्वैस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें, उन्हें कठिनाइयां नहीं हों, इस तरह हम टाइम को भी कम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जो रैंकिंग इण्डिया में गिर रही है उसे हम सुधारने के लिए, इसकी माननीय मुख्य मंत्री जी जब खुद मानिटरिंग करेंगे, आप माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी अपनी बात मुख्य मंत्री जी से कह सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। बोर्ड बराबर उनकी मानिटरिंग के लिए नयी नीतियां बनाएगा- क्या और राहत देनी है, किस तरह जमीन की कीमतें रखनी हैं, क्या करना है।

अभी इन्वैस्टर्स को जिस तरह से हमारा सिंगल विंडो था, वह वास्तव में कम प्रभावशाली हो रहा था, उसी को और प्रभावशाली बनाने के लिए हम समयबद्ध प्रोग्राम बनाएंगे और जो अधिकारी समय पर इसमें कम्लायंस नहीं करेगा, उसके लिए हम एसीआर वगैरह में भी कमिश्नर (इंडस्ट्रीज) को यह अधिकार दे रहे हैं, वे उनकी एसीआर में भी उसकी एंट्री करें। उनकी एसीआर को ठीक भी करें इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें कमिश्नर (इंडस्ट्रीज) जब एक मालिक रहेगा और उसकी सारी चीजों को मानिटर करेगा। एक औद्योगिक वातावरण हमारे प्रदेश में बनेगा और हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत प्रयास किये हैं, नयी औद्योगिक नीति भी बनायी है, हमारे सारे इन्वैस्टर्स जो बाहर के हैं, काफी लोग यहां पर आये हैं। एमएसएमई एक्ट में जो भारत

(श्री परसादी लाल)
सरकार ने अभी बिना गारंटी लोन देने का प्रावधान किया है, वह एक बहुत बड़ा कदम है, हम उसकी भी सराहना करते हैं।

अभी लोन की जो कहते हैं कि लोन नहीं मिलेगा, अभी माननीय सदस्य पूनियां जी कह रहे थे, तो मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि हमारे एमएसएमई एक्ट में मामला आने के बाद किसी को भी लोन की कोई परेशानी नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी जो शंकाएं हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा क्रांतिकारी एक्ट होगा, बहुत अच्छा इसका प्रभाव होगा। हमारा जो सिंगल विण्डो एक्ट था, उसी को संशोधित करने के लिए यह प्रावधान लाये हैं। मुझे खुशी है कि किसी भी माननीय मंत्री या किसी का भी वोट का राइट नहीं, मुख्य मंत्री जी जब होंगे तो वोट डलने का कोई सवाल ही नहीं, वहां तो सब सहमति से होंगे। कैबिनेट में ले जाने से मामले में टाइम लगता है इसलिए एक शॉर्ट कमेटी माननीय मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा के अनुरूप ही हमने बनायी है और उसी के अनुसार इसमें काम होगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह आने के बाद राजस्थान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उद्योग जगत में होगा और सब लोग इसकी सराहना करेंगे। कोई कमियां होंगी, कोई बात होगी तो आप सबसे बैठकर, कैबिनेट को तो सब अधिकार है, सबसे बैठकर बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया गया।

राजस्थान महामारी विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

स्पष्टीकरण

राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020 में ग्राम सेवकों को मानदेय का प्रावधान विलोपित

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। एक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

करैक्शन करवाना चाहता हूं। पुलिस एक्ट अभी पास हुआ है तो भूल से धारा 53 (2) में ग्राम सेवकों को मानदेय, जो सरकार उचित समझे, देने का प्रावधान था, मैं उसको तो बोल गया लेकिन इस प्रावधान को हटाया गया है, वह बोलना मैं भूल गया इसलिए उसको करैक्ट किया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 माननीय प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान महामारी विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस महामारी विधेयक के तहत बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में और राजस्थान के अन्दर महामारी के तहत अलग नियम-कायदे बनाये गये हैं, उनमें अभी मास्क के बारे में या डिस्टेंसिंग के बारे में जो नियम आम जनता पर किये गये हैं, इस महामारी कोरोना के तहत राजस्थान के अन्दर हमारी सरकार ने जिस तरह के कदम उठाये, वे तो ठीक हैं, पर, अध्यक्ष महोदय, आम पीड़ित किसान, आम आदमी, आम गरीब को जब दूसरी बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो इतनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं कि इस महामारी की भी याद नहीं रहती। मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि जो अपराध के तहत, मास्क आदि के लिए इस महामारी में अलग से नियम-कायदे बनाये गये हैं, सज़ा के प्रावधान किये गये हैं उन पर पुन: विचार किया जाए, यही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी।

अध्यक्ष महोदय, काफी शक्तियां इस महामारी में ब्यूरोक्रेट्स को दी गईं और सरकार की इसमें मंशा भी निश्चित रूप से अच्छी रही होगी, ऐसा मैं

(श्री बलजीत यादव)

सोचता हूं। कोरोना में राजस्थान स्टेट ने पूरे हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा काम किया। पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान के मुख्य मंत्री जी की, राजस्थान सरकार की इस बात के लिए तारीफ हो रही है कि इस महामारी की गम्भीरता को, इससे उत्पन्न होने वाले खतरे को सबसे पहले राजस्थान सरकार ने भांपा और उससे कैसे मुकाबला किया जाएगा, उसकी रणनीति बनायी। सबसे पहले लॉकडाउन किया। आज जो यह विधेयक लेकर आये हैं, उसके पीछे भी इनकी यह मंशा स्पष्ट होती है कि आगे कोई भी इस प्रकार की महामारी आए तो उससे और अच्छे ढंग से कैसे निपटा जाए लेकिन फिर भी मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग इस महामारी में बर्बाद हो गये, लुट गये और कुछ लोग इस महामारी में आबाद हो गये, उनकी मौज हो गई इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी मंशा अच्छी है लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिनको शक्तियां दे रहे हो, पब्लिक को राहत देने के लिए, पर एक्चुअल में वे पब्लिक को राहत दे रहे हैं या सिर्फ अपना घर भर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी भी कोरोना के वक्त में पूरे हिन्दुस्तान में काम हुआ, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो, अगर उसकी गहराई में जाकर कोई जांच करेगा तो होश उड़ जाएंगे कि लोगों ने किस प्रकार का गबन किया, किस प्रकार जनता की कमाई को लूटकर ले गये। कुछ लोग इस महामारी के वक्त भी जरा-सा भी अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहते चाहे गरीब आदमी की जान चली जाए, चाहे गरीब आदमी बर्बाद हो जाए उसकी उनको कोई चिन्ता नहीं। इस तरह के ऐसे लोगों के बारे में मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि शिक्षा जगत के लोग, कोई भी स्कूल, कालेज, एजुकेशन सेंटर हो, शिक्षा को कोई उद्योग का दर्जा नहीं है, शिक्षा जो भी लोग देते हैं वे वैलफेयर के लिए काम करते हैं लेकिन लोगों ने इसको भी कमाई का जरिया बना लिया।

(15.57 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इस महामारी में एक भी स्कूल नहीं लगा, अभी तक कोई स्कूल, कालेज नहीं लगा लेकिन फिर भी उनसे फीस वसूली जा रही है। जो भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं उनसे फीस वसूली जा रही है। मैं चाहता हूं कि ऐसा इस

(श्री बलजीत यादव)

बिल में होना चाहिए था कि उन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। यह बिल आना चाहिए था उन लोगों के लिए कि जब स्कूल नहीं लगी तो कोई किसी से फीस नहीं ले सकता।

मकान किराया के लिए भी मैंने पहले बात रखी थी कि जो कालेज की, कम्पीटिशन की तैयारी करता है, पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वह स्टूडेंट किराये पर रहता है। आपने लॉकडाउन कर दिया, उसका सामान यहां मकान मालिक के पास रह गया, वह अपने गांव में घर पर अटक गया, उसको अनुमति नहीं मिली कि वह अपना सामान उठाकर ले जाए और अब मकान मालिक उस पर दबाव बना रहा है कि आप लॉकडाउन के पूरे समय का किराया दीजिए। अब गरीब, किसान, मजदूर जैसे-तैसे कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है। मैं मांग करता हूं, मैंने पहले भी की तथा ऐसा इस बिल में होना चाहिए कि हम इतना कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं तो यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि अगर कोई मकान मालिक गरीब है तो उनको चिह्नित करके, सर्वे करके उनको स्टेट गवर्नमेंट और सेण्ट्रल गवर्नमेंट मिलकर किराया देंगे। लेकिन उस गरीब का जो बच्चा है उस बच्चे की शिक्षा उसको मिल सके, वह गरीब दिला सके, उस बात की सुरक्षा करते हुए उसका किराया सरकारें चुकता करेंगी।

सेनिटाइजर वगैरह की मैंने पहले भी बात रखी थी, उस बात की अभी भी चिन्ता व्यक्त कर रहा हूं कि पानी छिड़ककर पैसा वसूल ले जाएंगे, आप चैक ही नहीं कर पाते कि वास्तव में उसमें सेनिटाइजर है भी या पानी का ही छिड़काव किया जा रहा है इसलिए उसकी मानिटरिंग ठीक से हो, इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जो इण्डस्ट्री है, अभी सब लोगों ने लॉकडाउन खोल दिया, इण्डस्ट्रीज चालू कर दीं, ठीक है, बचाव के लिए आप कह रहे हो लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि पूरे हिस्दुस्तान में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो......

(16.00 बजे)

चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट हो, यह कोरोना की महामारी इतनी चल रही है लेकिन मुझे कहीं भी इतनी गंभीरता नहीं दिख रही है। भविष्य को देखकर कि ये स्कूल, कालेज कैसे खुलेंगे, कोई सोचना नहीं चाह रहा है। सब एक दो महीने में खतम हो जाएगा। अगर यह कोरोना दो साल तक चल गया तो क्या ये सारे के सारे स्टूडेंट, इनका समय बर्बाद हो जाएगा? इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में

(श्री बलजीत यादव)

लेबर नहीं आ रही है, डर के मारे लेबर नहीं आ रही है लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। फैक्टरी में जो लेबर है, उसका डर कैसे निकाला जाए, जो काम कर रहे हैं, उनका डर कैसे निकाला जाए और उनका डर निकालने के बाद दूसरे लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए कि वे इंडस्ट्री के अंदर आएं? इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जो भी इंडस्ट्री है, रेंडमली आप उनका टैस्ट करिये ताकि उनका डर निकले। इंडस्ट्री के अंदर लेबर रहती है, बाहर कहीं जाती नहीं है। जो बाहर की लेबर आए, उनको आप रेंडमली चैक कर लें। जो पॉजिटिव आए उन लोगों को अलग से रख दीजिए, ताकि वे काम कर सकें।

स्कूल, कालेज में आठवीं तक के स्कूल को आप बंद रख सकते हैं। उसके ऊपर के स्कूल में आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए कि आधे बच्चे एक दिन आएंगे, आधे बच्चे एक दिन आएंगे। एक सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर बैठ जाएगा बच्चा, ताकि स्कूल, कालेज खुलें। उन की शिक्षा, जो वे ग्रहण कर रहे थे, ब्रेक लग गया, वे वापस से शिक्षा ग्रहण कर सकें। उनके जीवन का जो महत्वूपर्ण समय होता है, ये साल दो साल बर्बाद न हो जाएं, उसकी हमें चिंता करनी चाहिए। वैसे ही जैसे इंस्टीट्यूट हैं, या जो भी लोग उन सबका भी यदि आप रेंडमली चैक करेंगे, अगर स्कूल में भी आप चैक करेंगे, सैम्पल लेंगे तो मैं यह समझता हूं कि इस चीज से उनका डर निकल पायेगा। वे सेफ्टी भी रख पायेगे, पढ़ाई भी चल पायेगी।

हम बचाव-बचाव कर रहे हैं। मैं एक ही नारा सुनता आ रहा हूं कि बस बचाव ही सब कुछ है कोरोना से, भाई बचाव ही तो है, लेकिन फिर भी कोई सामने आ गया, सामने आ गया तो लड़ना ही पड़ेगा। कितना ही शरीफ आदमी हो, शरीफ आदमी बचता है किसी बुरे आदमी से, लेकिन बुरा आदमी सर पर आकर चढ़ गया तो उसको लड़ना ही पड़ेगा, यह उसकी मजबूरी है। इसलिए कोरोना हमारे सर पर चढ़ता आ गया है, बचाव-बचाव बहुत हो गया है, अब हमें इससे लड़ना भी पड़ेगा और लड़ने की रणनीति भी बनानी पड़ेगी। मैं यह अपेक्षा रखता हूं कि सरकार ऐसा भी कोई कदम उठाए, ऐसी रणनीति बनाए, हमारा राजस्थान पहले नम्बर पर हिन्दुस्तान में रहा तो मैं चाहता हूं इस रणनीति में भी राजस्थान हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर रहे और आदर्श बने। यही मैं अपेक्षा रखता हूं, धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री बनवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 यह स्पष्ट नहीं कर रहा है कि राजस्थान की सरकार को अपने इलाके में कोई आई हुई बीमारी को महामारी घोषित करने का पावर है कि नहीं। नम्बर दो, इसमें धारा 4 महामारी के संबंध में विशेष उपाय और विनिमय विनिर्दिष्ट करने की शक्ति। सभापति महोदय, जैसी चिंता है और यह कह भी रहे हैं कि यह कोरोना दो साल तक चल सकता है, आज भी न्यूज पेपरों में आया है और सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। इस दरमियान इस विधेयक में कहीं नहीं लिखा कि राजस्थान में दूसरी बीमारियों के लिए हम बराबर में ये कदम उठाएंगे। जबकि आश्वस्त करना चाहिए था कि महामारी के समय जब सारे स्वास्थ्य के नियम, कायदे, कानून महामारी एक्ट के तहत चल रहे हैं तो दूसरी हार्ट की, कैंसर की, शुगर की, बीपी की दूसरी बीमारियां हैं, उनके मरीजों का क्या होगा, यह इसके अंदर स्पष्ट करना चाहिए था, जो कि स्पष्ट नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, किसी रूढ़ि या कृत्य को जिसे सरकार राज्य में किसी जमाव, समारोह, उपासना या ऐसे अन्य क्रियाकलापों से व्यक्ति से व्यक्ति में महामारी के प्रसार फैलने के लिए पर्याप्त समझे, प्रतिषिद्ध करना, कब तक? अभी तक हम महामारी से बाहर नहीं निकले लेकिन ये सारे काम वापस शुरू हो गये, जिससे एक तरफ तो हम ये कि स्कूल नहीं खोल रहे हैं, हम कालेज नहीं खोल रहे हैं, हम एग्जाम नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सारे के सारे काम वापस शुरू हो गये, तो इस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान करना चाहिए था कि जब तक महामारी नहीं चली गयी और सरकार ने अनाउंस नहीं कर दिया कि यह महामारी खतम हो गयी है, तब तक ये दूसरे काम महामारी को फैलाने वाले नहीं होने चाहिए थे। ये इस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान करना चाहिए था और इसकी रोकथाम के लिए जो हमारे उपबंध किये गये आइसोलेशन करने के, दूसरी जगह से आने वाले लोगों के, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, उसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो, ऐसे हमारी मंशा है।

मैंने देखा है आज से चार-पांच रोज पहले जयपुर एयरपोर्ट पर चूरू का एक यात्री आया बाहर से। वह हार्ट का पेशेंट था, कलेक्टर की दखलंदाजी के बावजूद उसको आठ घंटे बाद एयरपोर्ट से रिलीज किया गया। उसको बाकायदा हार्ट के स्टंट डले, आपरेशन हुआ। वह एयरपोर्ट पर चार घंटे तक माथाफोड़ी करता रहा कि मैं बीमार हूं, ये मेरी बीमारी के कागज देखिए। आप जा नहीं सकते।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, मैंने कल मेरे इलाके के एक आदमी को, उसकी पत्नी को आने के लिए कलेक्टर को चिट्ठी भेजी, फौरन रात के 11 बजे आदेश आ गया कि कल की फ्लाइट से यह उतरेगा और हनुमानगढ़ पहुंच जाएगा। मैं कहता हूं कि यह दोहरापन नहीं होना चाहिए एक आम आदमी के लिए और हम सबके लिए नियम, कायदे, कानून को एक एक्ट से हम महामारी के समय लागू करें, किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो। मास्क को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर जो सख्ती हमको करनी चाहिए, वह तो ठीक है लेकिन उसमें भेदभाव हमें कतई नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों में समानता का भाव पैदा हो। यह बात मैं आपके बीच रखना चाहता था, इन सब सुझावों के साथ मैं मेरे जनमत के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 16-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 16 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 16 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह जो कोराना महामारी आयी, हम सभी लोगों के लिए नई थी, पूरी दुनिया के लिए, किसी को भी यह पता नहीं था कि इस बीमारी से कैसे निपटना है। सब सीख रहे थे, चाहे नागरिक हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे डाक्टर हो, चाहे किसी भी तरह के लोग हों। सरकार ने जो इसके लिए समय-समय पर, भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की, उसकी पालना करते हुए, माननीय सभापति महोदय, प्रयत्न किये गये।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटोकाल बताया जिसमें यह कहा गया कि उसका अंतिम संस्कार चिकित्सा विभाग ही करेगा लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आईं कि मेडिकल कालेज ने कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट की बॉडी चिकित्सा विभाग को दे दी। चिकित्सा विभाग ने ले जाकर प्लास्टिक में लिपटा हुआ वह शव परिवार के लोगों को पकड़ा दिया और परिवार के लोग भी चूंकि कोई भी वाकिफ नहीं था कि उसको कैसे ट्रीट करना है, उस कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के शव को प्लास्टिक में लिपटा हुआ था, कवर्ड था उसको खोलकर उसकी अर्थी बनाकर पूरे गांव के लोग, जबकि उस गांव के अंदर पहले से कर्फ्यू लगा हुआ है जुलूस के साथ ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, सरकार के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव जब डिस्ट्रिक्ट में कोविड कमेटी की मीटिंग लेने के लिए भेजे गये और उनकी जानकारी में यह बात लाई गयी कि इस तरीके से कर्तव्य पालन में इतनी गंभीर लापरवाही हुई है, सरकार के मंत्री और प्रभारी सचिव ने घोषणा की कि इस पूरे प्रकरण की संभागीय आयुक्त जांच करेंगे। माननीय सभापति महोदय, बहुत अफसोस की बात है, आज दो महीने बीतने के बाद भी सरकार की तरफ से उस जांच के आदेश जारी नहीं हुए। इस महामारी विधेयक का हम क्या

(श्री संयम लोढ़ा)

करें? माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गर्भवती महिला अपने घर में और उस गली में या उसके दूर के रिश्ते में कोई पॉजिटिव पेशेंट आ गया रोहिड़ा ग्राम की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, शौचालय घर के बाहर बना हुआ था और प्रशासन जाकर उसके घर पर ताला लगा देता है कि कोई घर से बाहर नहीं आए। पांच-सात घंटे वह गर्भवती महिला उसी मकान में रहती है, टॉयलेट के लिए भी बाहर नहीं आ पाती है, जब इस तरह की जानकारी सामने आती है और कार्यवाही करने के लिए कहते हैं, उस महिला का बाप मुकदमा दर्ज कराता है रोहिड़ा थाने के अंदर। आज तक भी, माननीय सभापति महोदय, उस मुकदमे के अंदर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उस गर्भवती महिला का बाप लगातार यहां से वहां, वहां से यहां फरियाद करता रहता है। तो माननीय सभापति महोदय, इस तरह की परिस्थितियां सामने आई हैं। धारा-144 लगाई गई जगह-जगह पर, पर धारा-144 की पालना भी खोपड़ी देख कर की गई। 'X' पर तो धारा-144 लागू होगी, 'Y' पर लागू नहीं होगी, X धारा-144 की पालना का उल्लंघन कर रहा है, Y पर इंपोज की जा रही है, Y कर रहा है तो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, X कर रहा है खुलेआम तो उसको अलाउ किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस तरह से कानून की पालना के अंदर भी सक्षम अधिकारियों के द्वारा गंभीर लापरवाही दिखाई देती है। अब आईसीयू के अंदर मरीज है कोरोना पॉजिटिव, उसको पेशाब आ रहा है, उसकी बॉडी इस हालत में नहीं है कि वह पेशाब करने के लिए जा सके लेकिन उसको अटेंडेंट उपलब्ध नहीं होता है। वह आवाज लगाता रहता है कि मुझे पेशाब घर में ले जाओ और जब लगातार इस तरह की घटना उसके सामने आती है तो वह पानी पीना भी बंद कर देता है क्योंकि फिर ले जाएगा कौन। वह अपने किसी रिश्तेदार को टेलीफोन करता है कि मुझे यहां पेशाब कराने के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। यह रोज की बात हो तो, माननीय सभापति महोदय, उसे क्या कहा जाए? इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि, चार-पांच महीने हो गये आपको इसको हैंडल करते हुए और एक लापरवाही का वातावरण प्रशासन के अंदर बढ़ रहा है, इसके लिए आपको नये तरीके से अपने प्रशासन को वापस मुस्तैद करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अब बताइए जो हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, अभी 2 दिन

(श्री संयम लोढ़ा)

पहले की घटना है मेरे मानवाड़ा के आठ पेशेंट आये, ट्रांसफर होकर 8:45 बजे सिरोही के हास्पिटल में पहुंचे। माननीय सभापति महोदय, उन्हें खाना नहीं मिला, उनमें एक महिला थी, उसके साथ छोटा बच्चा था, उसको दूध नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह मुझे बताया तब मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन्फार्म किया। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों पर बहुत गंभीरता से फिर से ध्यान देने की जरूरत है, खाली कानून बनाने से, पारित करने से हम इस संक्रमण की दिशा में प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे।

औद्योगिक इकाइयों में जो संक्रमित मरीज आये, हम एक बार फिर खोपड़ी देखकर निर्णय करते हैं। किसी एक छोटे मार्केट में अगर 40 मरीज आ जाते हैं तो हम मार्केट बंद कर देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं। पर औद्योगिक इकाइयों के अंदर 40-40, 50-50 मजदूर आ रहे हैं, हम नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ताकतवर लोग हैं। और वह संक्रमण बढ़ता रहता है। अलग-अलग गांवों से आये हुए काम करने वाले लोग उस औद्योगिक इकाई में आये हुए होते हैं। तो इन सारी लापरवाहियों की तरफ माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह विनती करना चाहता हूं कि एक बार कोरोना संक्रमण के मामले में सरकार को प्रभावी ढंग से नये सिरे से जिले-जिले में फिर से प्रभावशीलता लाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, संक्रामक रोग के उपचार और रोकथाम के लिए प्रदेश में राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम, 1957 अभी तक प्रभावी था। जो एक्ट 1957 में बना, वह आज तक काम कर रहा था, उसी में सारी कमियां जो संयम लोढ़ा जी ने भी बतायीं और पूनियां जी ने भी बतायीं, कई कमियां थीं उसमें और उन कमियों के कारण ही इस एक्ट को रिपील किया जा रहा है और रिपील करके यह नया एक्ट लाया गया है। अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि कोई सारी प्राब्लम्स दूर हो जायेंगी लेकिन उनमें से जो आपने समस्याएं बतायी हैं, उनमें किस तरीके से सुधारात्मक काम हो सकते हैं, किस तरीके से प्रभावी तरीके से काम हो सकते हैं, वे सब प्रोविजंस डाले गये हैं। खंड-3 से लेकर 16 तक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए जनता को बड़े पैमाने पर राहत पहुंचाने के

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

लिए कठोर और विशेष सुधारात्मक उपाय किये जाने आवश्यक हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए जो पुराना एक्ट था, वह नाकाफी था इसीलिये यह फैसला किया गया कि उसको रिपील किया जाए। खण्ड-3 में किसी भी भाग में किसी भी रोग को महामारी घोषित करना और अधिसूचित करने की शक्तियां राज्य को प्रदान की गई हैं। खण्ड-4 में जैसे राज्य की सीमा सील करना, लोक और निजी परिवहन और परिवहन पर रोक, सामाजिक दूरी के मानक तय करना, धार्मिक संस्थाओं और उपासना स्थलों पर व्यक्तियों के एकत्रित होने पर निर्बंधन, क्वॉरेंटाइन या आइसोलेशन में रखे गये संदिग्ध व्यक्तियों का प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण इत्यादि करना, यह सब बताया गया है इसमें। ये सब 1957 के एक्ट में नहीं थे। खण्ड-5 में कोई भी व्यक्ति/संस्था या कंपनी इस अधिनियम के तहत बनाये गये विनियम या आदेश का उल्लंघन या अवज्ञा करती है अथवा नियमों का पालन करने के लिए सशक्त किसी अधिकारी को बाधा पहुंचाती है तो दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष के कारावास या अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होंगे। इसी तरह से खण्ड-6 में यदि कोई व्यक्ति इस विधेयक के अधीन किसी अपराध की इस प्रकार की प्रेरणा देता है किसी दूसरे को कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह कर लो, वह कर लो तो उसी रीति से दंडित किया जाएगा मानो वह अपराध स्वयं वह कर रहा हो। खण्ड-7 में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के कारित किये जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और उसके प्रति उत्तरदायी था, वह और उसके साथ वह कंपनी भी उस अपराध के दोषी माने जाएंगे। दंडित किये जाने के लिये लायबल भी होंगे। परंतु यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध उसकी जानकारी के बगैर हुआ है और उसने तत्परता बरतते हुए ऐसा अपराध नहीं करने के पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स लिये थे, फिर वह दंड का अपराधी नहीं माना जाएगा। खण्ड-8 में समस्त अपराध कॉग्निजेबल और बेलेबल होंगे। खण्ड-9 में राज्य सरकार एक या अधिक व्यक्तियों को ऑथोराइज कर सकेगी, जो इस अधिनियम के तहत कार्य करने में सक्षम होंगे। खण्ड-10 में राज्य सरकार राजपत्र मैं अधिसूचना प्रकाशित कर यह निर्देशित कर सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्ति का उपयोग किसी भी अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा जिसको राज्य सरकार अधिकृत करेगी। खण्ड-11 में अपराधों का शमन, मतलब कंपाउंडेबल होंगे और यदि अपराधी जेल में है और केस कंपाउंड हो जाता है तो फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। खण्ड-12 में दूसरे एक्ट के जो प्रावधान हैं वे तो यथावत

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये जो प्रोविजंस हैं वह एक्स्ट्रा प्रोविजंस माने जायेंगे। खण्ड-13 में सद्भावना से की गई किसी भी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद और अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। खण्ड -14 में इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई अगर उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी कि जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत होंगे। खण्ड-15 में भविष्यलक्षी और भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्तियां भी राज्य सरकार को दी गई हैं और खंड-16 में राज्य सरकार द्वारा दोनों राजस्थान महामारी अध्यादेशों को निरसित किया गया है।

तो, सभापति महोदय, मेरा निवेदन यही है कि कमियां तो बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जैसे कि वक्ताओं ने बताया है कि इसमें यह-यह सुधार होने चाहिये, निश्चित तौर पर सुधार की काफी कुछ गुंजाइश है और होते भी जा रहे हैं। जिस वक्त कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से लेकर आज तक कई प्रकार के सुधार राज्य सरकार के द्वारा किये गये हैं। लेकिन फिर भी कमियां जो रह गयी हैं, उनको भी सुधारने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील रहेगी। इस एक्ट के आने के बाद में तो निश्चित तौर पर यह मानकर चलना चाहिए कि राज्य सरकार ने जो शक्तियां ली हैं, उन शक्तियों का उचित उपयोग करते हुए इस महामारी के विरुद्ध लड़ने में राज्य सरकार को मदद मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 पारित किया गया।

श्री शाले मोहम्मद।

विधेयक पर विचार

राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): सभापति महोदय, मैं

(श्री शाले मोहम्मद)

आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मदरसा बोर्ड का गठन 1999 में हुआ था, आज इस विधेयक के जरिए संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो जाएगा। सभापति महोदय, मदरसा बोर्ड के गठन के बाद मदरसा स्कूल चले, मदरसा पैराटीचर लगे। पिछले साल हजारों-हजार मदरसा पैराटीचर्स अपनी मांगों को लेकर आये, उनको स्थायी करने की बात को लेकर आये। मदरसा बोर्ड ने जो मदरसा स्कूल चलाये, उनमें छात्र-छात्राओं का अध्ययन-अध्यापन भी शुरू हुआ। मैं आपका ध्यान और सरकार का ध्यान, प्रदेश की जनता का ध्यान इस बात की ओर इंगित करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान जैसा मुल्क जहां लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उनको जाति और धर्म में न बांटते हुए बराबरी का दर्जा देने की बात कही जाती है, इसलिए सरकार विशेष रूप से आज इस विधेयक के माध्यम से अगर सही में यह संदेश देना चाहती है कि हम अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा देंगे और उनको समाज में बराबर लाकर खड़ा करेंगे तो यह जो मदरसों में दीनी शिक्षा दी जाती है, मैं समझता हूं, दीनी शिक्षा के साथ-साथ दुनिया वाली शिक्षा भी दी जाए। उसमें तकनीकी शिक्षा भी आए, उसमें विज्ञान और टैक्नोलोजी भी आए। अल्पसंख्यकों के बच्चे, छात्र और छात्राओं में एक बराबरी की होड़ पैदा हो और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले।

सभापति महोदय, चाहे यह छोटा-सा सत्र चला है और चाहे इससे पहले बड़ा सत्र चला था, आज वे लोग नहीं हैं जिनको किसी जाति विशेष, धर्म विशेष की बात आते ही गुस्सा आने लग जाता है। ये चीजें एक दिन में नहीं हुई हैं, ये चीजें वक्त के साथ हुईं। घृणा और भय का वातावरण पैदा हुआ। यह मदरसा बोर्ड आज अपने अधिनियम में आने के बाद प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाने का काम करेगा जिससे उन स्कूलों में, उन संस्थाओं में रहने वाले लोग भेदभाव की और सिर्फ दीन की बात न करते हुए दुनिया के बराबरी में आने का प्रयास करेंगे। राजस्थान सरकार के मंत्री जी अगर इस विधेयक को इस नीयत से लेकर आये तो मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं और इस दुनिया में, देश में और इस प्रदेश में अल्पसंख्यकों के बच्चे, महिलाएं, बड़े और बूढ़े, नौजवान, सबको बराबरी की बयार में जीने का मौका मिलेगा, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 32-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 32 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 32 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियम सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शाले मोहम्मद, प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, आज सरकार जो राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 लेकर आई है, मैं इसका समर्थन करता हूं। यह बहुत ही सराहनीय और

(श्री हाकम अली खां)

जनहित में विधेयक है। सभापति महोदय, मदरसा बोर्ड का गठन हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने ही पहले करवाया था। आज हमारी सरकार फिर इस मदरसा बोर्ड का विधेयक लेकर आई है। हमारे साथी बलवान पूनियां जी ने बताया कि यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। बहुत दिनों से एक मांग थी कि मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और आज ...(व्यवधान) इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्य मंत्री महोदय द्वारा मदरसा बोर्ड एक्ट बनाने के लिये निर्देश दिये गये। यह प्रसन्नता का विषय है कि आज हम यह बिल सदन में पास कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देने के बाद, हिन्दी में इसे पाठशाला कहा जाता है, आज हमारे विपक्ष वाले साथी बाहर चले गये, वह एक जाति विशेष को जोड़कर मदरसा को देखते थे कि मदरसा सिर्फ अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का ही है, जबकि पाठशाला में शिक्षा ली जाती है। चाहे कोई भी पाठशाला हो, उसमें शिक्षा ली जाती है और एक इन्सान के जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी होती है। खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों के बच्चे शिक्षा में बहुत पीछे थे। जब मदरसा बोर्ड का गठन किया था वह इसी मकसद से किया गया था कि अल्पसंख्यकों के बच्चे जो अच्छे स्कूल, कालेज में नहीं जा सके, उनको छोटे-छोटे मदरसे बनाकर शिक्षा दी जाए, उसके बाद मदरसा बोर्ड का गठन हुआ। आज जो विधेयक पास कर रहे हैं, इसके बाद जैसा कि बलवान जी ने बताया कि अच्छी शिक्षा, इंग्लिश की शिक्षा, टैक्निकल शिक्षा, हर तरह की शिक्षा ये बच्चे लेकर आगे कामयाब होंगे। मैं सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी सरकार यह विधेयक लेकर आयी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री शाले मोहम्मद को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार आज मदरसा अधिनियम सरकार ने पेश किया और अपन इसे पास करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, मदरसों के नाम से कई ज्ञानी और अज्ञानी लोग तरह-तरह का पूर्व में विचार कर चुके हैं और कई लोगों की मदरसों के बारे में शिकायतें भी हुईं। मदरसा शब्द का अर्थ भी कई लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाये हैं। मदरसा कहो, पाठशाला कहो, विद्यालय कहो, स्कूल कहो, यह सब एक है। मदरसा इस देश में आज शुरू नहीं हुआ है, मदरसा सदियों से इस देश में रहे हैं। मदरसा से निकलने वाले

(श्री अमीन खां)

वाले, तालीम हासिल करने वाले लोग इस देश के बड़े-बड़े वकील बने हैं, भारत सरकार में अच्छे-अच्छे मंत्री बने हैं, विद्वान नेता रहे हैं। जैसे मदरसों में प्रथम उर्दू का विषय पढ़ाया जाता है। स्कूलों में संस्कृत का विषय पढ़ाया जाता है। स्कूल में गणित का विषय पढ़ाया जाता है, स्कूल में अंग्रेजी का विषय पढ़ाया जाता है और स्कूल में हिंदी का विषय पढ़ाया जाता है, स्कूल में हिस्ट्री भी पढ़ायी जाती है। तो आप यह मानकर चलें, जो न समझने वाले हैं, उनको समझना चाहिए कि मदरसा में एक विषय अलग जरूर पढ़ाया जाता है। लेकिन मदरसा इस देश की बुनियादी स्कूल है और इसको स्कूल की नजर से देखना चाहिए। लेकिन इन मदरसों की तरक्की के लिये सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है, यह पहली अशोक गहलोत की सरकार है जिसने मदरसों में रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन उन मदरसों में रजिस्ट्रेशन के बाद भी अपन सब जानते हैं कि प्राइमरी क्लास तक की मान्यता मदरसों में है। कई मदरसों में मिडिल क्लास की भी मान्यता है और कई मदरसों में सैकण्डरी स्कूल तक पढ़ने की मान्यता मिली है। इन विषयों में जो एक्स्ट्रा विषय हैं, वे विषय हैं, कुरान शरीफ, जो कि अरबी में पढ़ायी जाती है। यह देश धर्म निरपेक्ष है। भारत देश का नाम धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश है। इसमें किसी भी इंसान को अपना धर्म, अपने धर्म की पूजा करना और धर्म के आदेशों के अनुसार पूजा की पालना करना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह बुरी हरकत करना है। गुनाह देश के खिलाफ काम करना है। अपने धर्म के अंदर पूजा कितनी भी कोई हिन्दू-मुसलमान करे, इसमें कोई गुनाह जैसी बात नहीं है।

हम अल्पसंख्यक लोग आज राजस्थान के सभी लोगों से पिछड़े हुए हैं। जाति के लिहाज से, मुसलमानों ने इस देश में 600 साल राज किया है। इसलिए लोग कहते हैं कि मुसलमान तो कोई पिछड़ा हुआ नहीं है लेकिन अच्छी तरह से हर एमएलए को पता है कि मुसलमान आज की तारीख में दलितों से नीचे हैं। हमारे बाड़मेर जिले में 21 तहसीलें हैं और 22 पंचायत समितियां हैं, आप मानो, चाहे न मानो उनमें एक भी फोर्थ क्लास चपरासी मुसलमान नहीं है। इससे माना जाएगा कि हम कितनी तरक्की कर चुके हैं। हमारी तरक्की बहुत कम हुई है और उस कम तरक्की का कारण है हममें शिक्षा का अभाव रहा है। पुराने जमाने में शिक्षा में.., आज तक शिक्षा से जो लोग वंचित रहे हैं, वह वर्ग है पशुपालक। हमारी बराबरी में हिंदुओं में कोई वर्ग

(श्री अमीन खां)

पिछड़ा है तो भील जाति का है। मीणा पिछड़े हुए नहीं है लेकिन भील हमारे जैसे हैं और एक वर्ग मवेशी जो चराते हैं, ये लाल साफे वाले और गाय और भेड़ लिए सड़कों पर घूमते हैं, वे हमारे जितने पिछड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री रामकेश (गंगापुर): मीणा भी पिछड़े हुए हैं।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां (शिव): जिस कौम में 50-50 आईपीएस और आईएएस हैं, वह वर्ग पिछड़ा हुआ नहीं होता है। हमने कहा है कि हमारे जिले में और जैसलमेर जिले में कोई चपरासी पानी का लोटा भरने वाला नहीं है। भाई साहब, पिछड़े हम हैं और आपकी जाति में जो भील हैं, वे हमारे जैसे ही हैं। इसका कारण यह रहा है कि जिन्होंने हमेशा मजदूरी की है, तगारी, फावड़े की मजदूरी की है, उनके बच्चे पढ़े हैं लेकिन जिनका भेड़, ऊंट और गाय चराने का धंधा रहा है, वे आज तक पढ़ाई से इसलिए वंचित रहे हैं क्योंकि इस धंधे में बच्चों की भी जरूरत पड़ जाती है, महिला की भी जरूरत पड़ जाती है और आदमी की जरूरत पड़ जाती है। मजदूरी करने वाले इन्सान के लिए आदमी और औरत तगारी फावड़ा लेकर मजदूरी पर जाते हैं, बच्चे पीछे रहते हैं, उनको डर रहता है तो वे बच्चों को स्कूलों में छोड़कर जाते हैं। उन गरीब मजदूरों के बच्चे भी पढ़े हैं। इसलिए यह कोई पक्षपात की बात नहीं है। हम लोग आज इस देश में, इस प्रदेश में सबसे पिछड़े हुए हैं। मदरसे में पढ़ाई कोई कुर्आन शरीफ और अरबी नहीं है। मदरसों में हिन्दी की पढ़ाई भी करायी जाती है, अंग्रेजी की पढ़ायी करायी जाती है और राजस्थान शिक्षा बोर्ड के एक्जाम में भी ये बच्चे अब जाने लगे हैं, इसलिए मदरसा भी एक स्कूल की तरह है। पिछड़ापन मैं आज का ही बता दूं, सबसे लास्ट में भी यही बिल आया।

डॉ. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आज का सबसे बड़ा बिल भी यही है।

श्री अमीन खां (शिव): बिल कितना भी बड़ा हो, लेकिन लास्ट में यही बिल आया है।

श्री सभापति: शांत रहें।

श्री अमीन खां (शिव): गत वर्ष इस बिल को माननीय कल्ला साहब ने सदन में पेश किया था, वे भूल गये। आज आपने 24 तारीख की सूची में 5

(श्री अमीन खां)

बिल रखे और फर्स्ट नंबर पर मदरसा अधिनियम है लेकिन हमारे को लास्ट में रखा। इसकी मंशा से पता चलता है कि पिछड़े को पिछड़ा ही रहना पड़ता है। पिछड़े को कोई आगे रखने की कोशिश नहीं करता है।

आज उर्दू के बारे में घृणा करते हैं और कुछ लोग जो पक्का ज्ञान नहीं जानते हैं, वे उर्दू को पाकिस्तान की भाषा मानने लगते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आपकी पुलिस में सदर थाना हर जगह है, यह सदर किस भाषा का नाम है? आपकी हिंदी और संस्कृत का नाम नहीं है, यह उर्दू का नाम है। पुलिस के रोजनामचे दो होते हैं, एक रोजनामचा आम और एक रोजनामचा तफ्तीश, ये दोनों उर्दू शब्द हैं। पुलिस का मौका-मुआयना फर्द, ये शब्द हिन्दी संस्कृत के नहीं हैं, उर्दू के हैं। आज भी दिल्ली और पंजाब में पुलिस का रोजनामचा उर्दू में लिखा जाता है। इसलिए उर्दू एक प्रिय मोहब्बत वाली अच्छी भाषा है, कोई यह पाकिस्तान के बाप की भाषा नहीं है। यह दुनिया की पुरानी भाषा है, पाकिस्तान तो कल बना है। उर्दू तो सदियों से इस दुनिया में रही है और रहेगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुंशी प्रेमचन्द ने अपने शुरू-शुरू के तीन उपन्यास उर्दू में लिखे थे।

श्री अमीन खां (शिव): हमारे साथी थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं। सीकर से कामरेड त्रिलोक सिंह एमएलए था, एक बार एक घंटा वह विधान सभा में बोला था, मेरे नाम के मसले पर। पूनमचंद जी विश्नोई स्पीकर थे, उन्होंने पुकारा, कैसे? सदर मोहतरम! मुझे दो मिनट बोलने की इजाजत दें। वह आदमी प्योर उर्दू में बोलता था। हिन्दी बोली जानता भी नहीं था। उस जमाने में पढ़े थे।

मेरा अंत में इतना ही कहना है कि राजस्थान सरकार अल्पसंख्यकों के हित में सोच-विचार करके मदरसा अधिनियम का बिल लायी जिसको हम पास करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मदरसा बोर्ड में भविष्य में तरक्की होगी लेकिन अभी हम महसूस करते हैं, धारीवाल जी, ये मदरसा बोर्ड कहें, चाहे अल्पसंख्यक विभाग कहें, इसके पास टका ही नहीं है, मेहरबानी करके इसको वित्त विभाग से कुछ सहयोग करें। हमारे बच्चें जो मदरसों में तालीम अंग्रेजी, हिन्दी, ज्योग्राफी यानी आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं, उनकी भी

(श्री अमीन खां)

विशेष सहायता का प्रबंध किया जाए ताकि मदरसों की नई रोशनी देश को तरक्की देगी और इन अल्पसंख्यकों को तरक्की देगी। मुझे आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: अमीन खां जी, फिर बोलेंगे कि बोलते हुए बाहर भेज दिया, विराजिए आप। श्री अमीन कागजी। आपके एक-एक लफ्ज दिल से निकले हुए लफ्ज हैं।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): सभापति महोदय, राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कई सालों से तकरीबन 20 साल से अल्पसंख्यक समुदाय की यह मांग थी कि मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले। आज यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि सन् 1999 में राजस्थान सरकार के तत्कालीन यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इसका गठन किया था और हमारे विधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय सी.पी. जोशी जी उस समय शिक्षा मंत्री थे। आज बहुत खुशी की बात है कि कुछ संघर्ष के बाद में यह खुशी का मौका आया। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी के द्वारा जो यह विधेयक लाया गया है, संवैधानिक दर्जा देने के लिए राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी और आदरणीय मंत्री शाले मोहम्मद जी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब 2011 और 2012 की बात थी तो मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में शिक्षा संकुल में एक बहुत भव्य बिल्डिंग का उद्घाटन किया। मदरसा बोर्ड को चलाने की उनकी नीयत शुरू से ही बहुत अच्छी रही। एक बात बहुत दुःखी होकर बताना चाहता हूं कि 2014 से जब से भारत सरकार में सत्ता का परिवर्तन हुआ और जो सरकार वहां सत्ता चला रही है, जो लोग चला रहे हैं, उनसे राजस्थान सरकार के मदरसों को 2014 के बाद में ग्रांट जो आती थी, वह रोक दी गयी। आज सामने ये विपक्ष के लोग गायब हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा देश के पूरे मदरसों को जिस तरह ग्रांट दी जाती है भारत सरकार द्वारा, उसमें राजस्थान का हिस्सा आज तक नहीं आया है। उसमें ये लोग प्रयास करें। निःसंदेह मदरसा बोर्ड के गठन होने पर सामाजिक स्तर के जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, जो बिलकुल कमजोर हैं, अभी बता रहे थे अमीन खां साहब कि लोगों की अवधारणा है कि जो अल्पसंख्यक मदरसे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ उर्दू या अरबी पढ़ाई जाती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है।

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

आज के मदरसों में मोस्ट माडर्न शिक्षा की परिकल्पना जो लोगों ने की थी, मोस्ट माडर्न एजुकेशन दी जा रही है। आपको यह बताते हुए मुझे खुशी है कि अभी यूपीएससी के जो रिजल्ट आये, उसमें तकरीबन 10 से 12 स्टूडेंट ऐसे थे, जो विभिन्न राज्यों से थे, जिनकी शिक्षा की शुरूआत मदरसों से हुई थी और आज वे देश की यूपीएससी में टॉप मुस्लिम समुदाय के बच्चे आये हैं। जिस तरीके से अभी बता रहे थे कि उर्दू की जो तहजीब और तमीज है, वह सदियों से भाईचारे को साथ लेकर इतनी नफीस जो लोग उर्दू बोलते हैं, वह मदरसों से शुरू होती है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए यह विधेयक लाये। मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि, मंत्रीजी, पूरी सरकार आपके साथ है और आप हर समुदाय के चहेते हैं, आप मदरसों में एक नई शुरूआत ये कीजिए कि जिन बच्चों को राजस्थान सरकार द्वारा पिछली बार कम्प्यूटर दिये गये थे, उन कम्प्यूटरों की तुरंत प्रभाव से शुरूआत करायी जाए। कई जगह कम्प्यूटर दे दिये गये हैं लेकिन वहां पर कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं हैं, कम्प्यूटर से पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन जब इसको संवैधानिक दर्जा मिलेगा, मैं अभी इस विधेयक को पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छी बात इसके अंदर यह है कि इसके अंदर जो बाडी बनेगी, जो बोर्ड का गठन होगा, उसमें तमाम मुस्लिम और नोन-मुस्लिम जो एजुकेटेड हैं, एकेडमिक स्तर से आ रहे हैं, उन लोगों को इस बोर्ड में जगह मिलेगी। इससे निःसंदेह मुस्लिम समुदाय के बच्चों को जो मदरसे में पढ़ेंगे, बहुत लाभ मिलेगा।

अंत में मैं इस उपलक्ष्य में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्री शाले मोहम्मदजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि यह सुनहरा अवसर जैसा आपको पता है कि पिछले सैशन में विधान सभा के बाहर हजारों मदरसा पैरा टीचर्स आये थे जिस पर हमने मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने मानदेय बढ़ाया लेकिन उनकी जो दुश्वारियां हैं, निःसंदेह इसको संवैधानिक दर्जा मिलने से उनकी नौकरी को पुख्तगी मिलेगी और वे अपने समाज में मजबूत स्थान बना पाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस बिल को उन्होंने इस सदन में पारित करने का हम सबको अवसर दिया। यह बिल विलम्ब से राजस्थान की विधान सभा में आया था और जैसा आज आपने प्रतिपक्ष के नेता को सुना भी होगा, उनका इस बात पर बहुत एतराज था कि आज नये बिल नहीं लिये जाने चाहिए। लेकिन यह सरकार की दृढ़ता थी, हमारे मंत्रीजी की दृढ़ता थी, हमारे चीफ-व्हिप की दृढ़ता थी कि सारे बिल लिये जाएं और आज हम सबको यह अवसर मिला कि हम राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक को पारित करने जा रहे हैं। मुझसे पूर्व हमारे बहुत वरिष्ठ साथी ने अभी कहा कि उर्दू को पाकिस्तान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इस देश के सवा सौ करोड़ लोगों को यह ज्ञात है कि उर्दू हिन्दुस्तानी जबान है और इसका इस देश पर वही हक है जो संस्कृत का हक है, जो हिन्दी का हक है या किसी भी भारतीय भाषा का हक है। आपको तो बहुत अच्छे से याद होगा, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आप स्वयं बहुत गहरी रुचि रखते हैं और आपका पसंदीदा गीत है, 'मन तड़पत हरि-दर्शन को आज'। यह किसने लिखा था? शकील बदायूनी ने। उसका संगीत किसने दिया था? नौशाद ने। उसको गाया किसने था? मोहम्मद रफी साहब ने। तो यह इस देश की गंगा-जमुनी तहजीब है कि आज हम सब लोग मिलकर इस देश को दुनिया की एक महान शक्ति बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एक शेर है-

"हम से अच्छे तो परिन्दे हैं,
कभी मंदिर पर जा बैठे,
कभी मस्जिद पर जा बैठे।"

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश दारा शिकोह का उपकार कभी नहीं भूल सकता। दारा शिकोह औरंगजेब के भाई थे लेकिन वो शख्सियत थे जिसने उपनिषद् का पहली बार फारसी के अंदर अनुवाद किया था। पूरी दुनिया के अंदर उपनिषद् का ज्ञान पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को है तो वह दारा शिकोह को है। वरना उपनिषद् के उस अथाह, गहरे ज्ञान से ये दुनिया कभी लाभान्वित नहीं हो पाती। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तब सिर्फ 5 करोड़ लोग ऐसे थे जो लिखना जानते थे, लेकिन हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने इस बात को महसूस किया कि हमें देश को पढ़ाना है, देश को अपने पैरो पर खड़ा

(श्री संयम लोढ़ा)

रखना है इसीलिए उन्होंने उस वक्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद से लगातार हमारी जो-जो भी हुकूमतें आयीं उन्होंने प्रयास किया कि देश में शिक्षा का प्रसार कैसे हो। कई आयोग बने, कोठारी आयोग बना। रिपोर्ट्स आयी, नई शिक्षा नीति आयी लेकिन सबके बावजूद मुस्लिम समाज को शिक्षा के क्षेत्र में जो अधिकार प्राप्त होना चाहिए था, वह हम नहीं दे पाये, हमें यह स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय, जब जस्टिस सच्चर कमेटी बनी, सच्चर कमेटी ने पूरे देश का अध्ययन करके हमारे सामने जो आंकड़े पेश किये, वे व्यथित कर देने वाले थे। हमारे साथ रहने वाले किसी भी समुदाय को हम पीछे कैसे छोड़ सकते है। उनका भी उतना ही हक बनता है कि उनको हम देश की मुख्य धारा में लेकर आएं।

सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज राजस्थान सरकार मदरसा बोर्ड विधेयक लेकर आयी है। लेकिन यही नहीं रुकें। हमारे देश में 1947 के बाद से बहुत तबके पिछड़े हुए रहे लेकिन सबने अपना-अपना हक हासिल किया है, सबने अपनी तरक्की हासिल की है। आज आप किसी भी शहर की बस्ती में चले जाइये तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, इन बस्तियों की तुलना अगर आप दूसरी बस्तियों से करेंगे तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यह वंचित तबक़े की बस्ती है, 70 साल के बाद भी हम इन बस्तियों को विकास की मुख्य धारा के अंदर नहीं ला सके। एक प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आज का यह विधेयक उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

मदरसा बोर्ड में अनेक तरह की समितियां बनाने का भी अधिकार दिया गया है। समितियां बनाकर अध्ययन किया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मदरसे के अंदर भी एक वैज्ञानिक चेतना परक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास भी माननीय मंत्री जी करें, ताकि वे मुख्य धारा से जुड़ सकें।

देश के अंदर अगर हम साहित्यिक इतिहास देखेंगे तो सेवाश्रम जो प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास हुआ, वह 1918 में उन्होंने उर्दू में लिखा था, लेकिन देश के लोगों के अंदर इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। जब 1920 में उन्होंने हिन्दी में लिखा तब वह चर्चित हुआ, जबकि तीन साल पहले वह उसको उर्दू में लिख चुके थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा

(श्री संयम लोढ़ा)

कि सरकार इस पर पूरा फोकस करे। हमारी जो कमियां रही हैं, उन कमियों को हम दूर करें। आज भी हम देखते हैं कि पंचर चेपने के काम, इस तरह के छोटे-छोटे से कामों के अंदर, या जो ट्रेडिशनल काम हैं, उनके अंदर अभी भी वह समुदाय रत है। उनको हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाएं। चाहे उन्हें जो भी सहूलियत देनी पड़े, विकास की जो भी सुविधाएं देनी पड़ें, हमें वह प्रयास करना चाहिए।

राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारे अल्पसंख्यक मंत्री जी यह विधेयक लाये हैं, मदरसा बोर्ड को संवैधानिक संस्था के रूप में कायम किया है, यह आने वाले वक्त में, जो कमजोरी हमसे 70 साल में रह गई है, हम 70 साल की कमजोरी को राजस्थान में दूर करने में सफल हो सकेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री जी।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): आदरणीय माननीय सभापति महोदय, मदरसा बोर्ड के बिल के अंदर आज काफी माननीय सदस्यों ने अच्छी-अच्छी बातें और सुझाव दिये हैं। बिल लाने का मुख्य उद्देश्य था कि मदरसा शिक्षा के विकास के लिए दीनी तालीम के साथ-साथ, आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह बिल लाया गया है।

जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा, जब शिक्षा विभाग से मदरसा बोर्ड बनाया गया, मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब का प्रथम कार्यकाल था, उस प्रथम कार्यकाल में प्रशासन के आदेश के जरिए 2003 में इस बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड को वर्तमान स्वरूप देने के लिए मदरसों में अच्छा पर्यवेक्षण हो, उसके उन्नयन के लिए, विकास की योजनाएं लागू करने के लिए, स्वायत्तता का अभाव होने में बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यकता था। 2003 के बाद, बहुत ही लम्बे अंतराल के बाद आज इसे वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है।

आने वाले समय के अंदर, माननीय सदस्यों ने जो चिंता जाहिर की है, राजस्थान के अंदर आज हमारे 3250 मदरसे हैं, जिसमें लगभग 01 लाख 94 हजार बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से अच्छी व गुणवत्ता की शिक्षा दी जाए, दीनी तालीम के साथ-साथ दुनियावी तालीम भी साथ दी जाए। अभी शिव से आने वाले माननीय सदस्य अमीन खां जी ने कहा कि

(श्री शाले मोहम्मद)

राजस्थान में ऐसे काफी मदरसे हैं जहां आपने अपर प्राइमरी व प्राइमरी के साथ-साथ ....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 के पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

आज की कार्य सूची समाप्त होने तक समय बढ़ाया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अभी तक हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी के मदरसे थे, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और अभी भी, राजस्थान में कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर बालक और बालिकाएं, सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी की भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

सभापति महोदय का गृह जिला सीकर है, मैं खुद वहां मदरसे में गया था, वहां पर बहुत ही अच्छे और शानदार मदरसे चल रहे हैं, जहां पर बच्चे-बच्चियां सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस विधेयक के आने के बाद मैं समझता हूं कि मदरसा बोर्ड को एक वैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाएगा। बोर्ड के तमाम काम, चाहे मदरसों को पंजीकृत करना हो, मदरसों में प्रभावी पर्यवेक्षण करना हो, विकास एवं शिक्षा के उन्नयन हेतु, मदरसा बोर्ड एक स्वायत्त निकाय के रूप में अलग से कार्य कर सकेगा। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, आने वाले समय में तीव्र गति से कार्य कर सकेगा। बोर्ड बनने के बाद, मदरसा बोर्ड अपने स्तर पर अपना पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करना, छात्रों की परीक्षा कराना, व्यवस्था आदि अपने स्तर पर कर सकेगा।

माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे मदरसा पैराटीचर हैं, या मदरसों

(श्री शाले मोहम्मद)

के लिए जिला स्तर पर हमारे अधिकारी लगते हैं या मदरसा बोर्ड में अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में, बोर्ड बनने के बाद इन सभी नये पदों का सृजन बोर्ड कर सकेगा। कार्मिकों की नियुक्ति का काम भी करेगा।

स्टेट लेवल पर बोर्ड के प्रभावी कार्यक्रम के लिए सलाहकार समिति बनायी जा रही है, जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में नौ सदस्य समिति के गठन का भी प्रावधान है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में मदरसों का अच्छा संचालन होगा। माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है, आने वाले वक्त में मदरसों में और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त होगी।

आज माननीय विपक्ष के साथी नहीं हैं, 2018 में जब विधान सभा का लास्ट सत्र था तब इस विधेयक को पुर:स्थापित किया गया था। दूसरे विधेयक पास कर दिये गये थे, पर मदरसा बोर्ड के विधेयक को जान-बूझकर उनकी नीति में खोट था इसलिए इसको पास नहीं किया गया। आज लम्बे अंतराल के बाद, 2003 के बाद, यदि वह पहले चाहते तो मैं समझता हूं कि आज तक मदरसा को वैधानिक दर्जा मिल जाता, लम्बे अंतराल के बाद आज इसको वैधानिक दर्जा मिल रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में, तमाम लोगों की, माननीय सदस्यों की जो शिकायत रही है, वह सब समस्या दूर होगी और मदरसा बोर्ड एक मजबूत बोर्ड बनेगा। राजस्थान के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अच्छी और गुणवत्ता वाली तालीम प्राप्त होगी।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 पारित किया गया।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,

भारत भाग्य विधाता

पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा,

(श्री सभापति)

द्राविड़-उत्कल-बंगा
विन्ध्य-हिमाचल, यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय-जय-जय-जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.00 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)